खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-05) अंक-93

बृहस्पतिवार 20 दिसम्बर, 2018 / 29 मार्गशीर्ष, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-05) में अंक 93 से अंक 95 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–05) बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर, 2018 / 29 मार्गशीर्ष, 1940 (शक) अंक–93

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–4
3.	बधाई प्रस्ताव (नियम – 114)	5–39
4.	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	39–68
5.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	68
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	68–69
7.	विधेयक का पुरःस्थापन।	70
8.	अनुपूरक अनुदान मांगों (2018–19) का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण।	71–75
9.	विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	76–81
10.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) ''1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करने तथा इन दंगों को भड़काने में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को सजा दिलवाने के संबंध में।''	81–134

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–05) बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर, 2018 / 29 मार्गशीर्ष, 1940 (शक) अंक–93

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान

19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी
21. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री गुलाब सिंह
25. सुश्री भावना गौड़
26. श्री सुरेन्द्र सिंह
27. श्री विजेन्द्र गर्ग
28. श्री मदन लाल
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्रीमती प्रमिला टोकस
31. श्री नरेश यादव
32. श्री करतार सिंह तंवर
33. श्री प्रकाश
34. श्री अजय दत्त
35. श्री दिनेश मोहनिया
36. श्री सौरभ भारद्वाज
37. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
38. श्री सही राम
39. श्री नारायण दत्त शर्मा
40. श्री अमानतुल्लाह खान
41. श्री राजू धिंगान
42. श्री मनोज कुमार
43. श्री नितिन त्यागी
44. श्री ओमप्रकाश शर्मा
45. श्री एस.के. बग्गा
46. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
47. श्रीमती सरिता सिंह
48. मो. इशराक
49. श्री श्रीदत्त शर्मा
50. चौ. फतेह सिंह
51. श्री जगदीश प्रधान
52. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र–7 (भाग–05) बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर, 2018 / 29 मार्गशीर्ष, 1940 (शक) अंक–93

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(वंदेमातरम)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस सेशन में...

श्री नितिन त्यागीः सर, एक जरूरी बात है। सर, हमारे सदन की गरिमा के ऊपर... बहुत जरूरी बात है।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, दो मिनट बैठिए।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री जगदीश प्रधान जी, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से नियम–54 के अंतर्गत... ये मोबाइल किसका बोल रहा है? मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री जगदीश प्रधान जी, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा जी

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा श्री अखिलेशपति त्रिपाठी और श्री गुलाब सिंह जी से नियम–55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि आज की कार्य–सूची में सरकारी कार्य के अलावा केवल एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक चर्चा को सम्मिलित किया गया है। कार्य–सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को विचारार्थ नहीं लिया जायेगा। अतः मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। यदि सदस्य मेरी अनुमति के बिना कुछ बोलेंगे तो उसे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और मेरे निर्देशों के पालन न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है...

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष जी, मैं सर, एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ सर अभी, सदन की गरिमा का सवाल है, इस वजह से बोलना बहुत जरूरी है। हम सबकी गरिमा का सवाल है, इसलिए बोलना बहुत जरूरी है और आपका अपना बहुत बड़ा इसमें...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मुझे धन्यवाद प्रस्ताव मिला है, अपने महेन्द्र गोयल जी, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। श्री महेन्द्र गोयल जी और...

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्षः दलाल साहब कहाँ गये?

बधाई प्रस्ताव

श्री महेन्द्र गोयलः हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, पूरी दिल्लीवासियों के लिए कि मैट्रो के लिए जो दिल्ली सरकार ने मंजूरी दिलवाई फेज थ्री और फोर के लिए– रिठाला से नरेला वाया बवाना 21.73 किलोमीटर, लाजपत नगर से साकेत, जी. ब्लॉक 7.96 किलोमीटर, इन्द्र लोक से इन्द्रप्रस्थ 12.57 किलोमीटर, मुकन्द पुर से मौजपुर 12.54 किलोमीटर, जनकपुरी वेस्ट से आर. के. आश्रम 28.09 किलोमीटर, ऐरोसिटी से तुगलकाबाद 22.02 किलोमीटर जो कि कुल मिलाकर 104 किलोमीटर की ये मैट्रो लाइन की मंजूरी दिल्ली सरकार के द्वारा ये दिलवाई गयी और करीब 47 हजार करोड़ रुपया दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च करने का निर्णय किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का और पूरे मंत्रिमंडल का दिल्ली की पूरी जनता की तरफ से, विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और खास तौर पर क्योंकि मेरे एरिया के पास से भी रिठाला से नरेला की तरफ जो ये मैट्रो लाइन जायेगी तो वो जनता आज पूरे हर्ष के साथ मेरे घर पर आई और मिठाइयाँ बांट रही, ढोल नगाड़ों के साथ वो लोग आये तो उस जनता की तरफ से भी मैं पुनः सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का और पूरे मंत्रिमंडल का और आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक बैठे हैं, उनका, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसी सोच रखते हैं कि कितनी अड़चनें आ जायें, कितनी अड़चनें क्यों न आ जायें, ये काम पर विश्वास रखते हैं और ये मैट्रो लाइन 104 किलोमीटर की बिछने के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन घटेगा...

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए।

श्री महेन्द्र गोयलः ट्रैफिक घटेगा। कन्क्लूड तो अध्यक्ष जी 2019 आ गया।

माननीय अध्यक्षः नहीं, महेन्द्र जी, ये धन्यवाद प्रस्ताव है।

श्री महेन्द्र गोयलः 2019 में कन्क्लूड कर देंगे पूरा और इसमें कहता हूँ, क्योंकि लोगों के दर्द को जानते हैं ये, क्योंकि मेहनत से उठे हैं, एक मिनट...

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयलः आपके लिए बधाई वो भी दे रहा हूँ। मैं 1984 के दंगों वाली वो हाई कोर्ट के द्वारा...

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र गोयल जी, जो आपका विषय है...

श्री महेन्द्र गोयलः किसी आतताई को सजा दी गई है, उसके लिए भी मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद पेश करना चाहूँगा इस बात के लिए।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र गोयल जी, जो विषय आपने दिया, उस तक सीमित रहें।

श्री महेन्द्र गोयलः उसी पर था, वो तो सिरसा जी खड़े हो गये, इनकी भावनाओं को देखते हुए...

माननीय अध्यक्षः उस विषय पर मेरे पास आया हुआ है।

श्री महेन्द्र गोयलः इसके लिए मैं बधाई दे रहा था।

मेहनत से उठे हैं,

मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं।

आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानते हैं।

आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानते हैं।

झेल जाते हैं आँधियाँ...

केन्द्र सरकार बहुत रोड़े अटकाती है,

झेल जाते हैं आँधियाँ...

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, ये धन्यवाद प्रस्ताव है इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः धन्यवाद प्रस्ताव पे सुना...

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद प्रस्ताव... आप कन्क्लूड करिए। आप का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से आपने धन्यवाद कर दिया।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, पुनः मुख्यमंत्री साहब का और पूरे मंत्रिमंडल का और सभी दिल्ली वासियों की तरफ से कि 104 किलोमीटर की जो मैट्रो लाइन की ये मंजूरी दी गई, इसके लिए पुनः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं भी धन्यवाद...

माननीय अध्यक्षः आप स्लिप भेज दीजिए, ऐसे नहीं। हाँ, स्लिप भेज दीजिए मेरे पास नाम हैं।...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, देखो ऐसे...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दलाल साहब, दलाल साहब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः XXX[2]

माननीय अध्यक्षः दलाल साहब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः XXX

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः XXX

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, आप... अब ये दिकक्त है! आप बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं। मैंने इजाजत नहीं दी, आप बोल रहे हैं। जितना विजेन्द्र जी बोल रहे हैं, कार्यवाही से निकाल दें। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः XXX

माननीय अध्यक्षः आपको अनुमति लेनी पड़ेगी ना जी। आप दीजिए स्लिप। आप दीजिए स्लिप कि मैं भी इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूँ। मैंने कब रोका है? रोका कब है?...

...(व्यवधान)

---

2. XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द कार्यवाही से हटाये गये।

माननीय अध्यक्षः नहीं दलाल जी, जब समय दिया था, तब आप बोले नहीं। मेरे पास नाम आया हुआ था आपका।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, बोलने के लिए समय देने के लिए। मैं बधाई देता हूँ पूरी अपनी कैबिनेट को क्योंकि मेरा भी देहात का इलाका ऐसा है जहाँ लोग मैट्रो के लिए तरसते थे। लेकिन कल जब अखबार में, आज सुबह–सुबह उठकर ये पता लगा कि फेज–4 का और वो... क्योंकि मेरा रिठाला से ही लगता है जहाँ महेन्द्र भाई का लगता है, वहीं से मेरी विधान सभा भी शुरू हो जाती है और लोगों में इतना उत्साह है कि भई दिल्ली सरकार ने जो काम करके दिखाया है, क्योंकि पहले कॉलोनियों में करते थे अनऑथोराइज में, और आज जब सुबह से ये खबर मेरे इलाके में पहुँची है, उसके लिए बहुत–बहुत अपनी पूरी कैबिनेट को, दिल्ली सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसकी बधाई देता हूँ कि भई...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सभी नहीं, अब इसमें, दो–तीन विधायक... सारा समय गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आप बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद दलाल साहब।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़े हर्ष के साथ सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे जन सेवक के टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो दिन रात दिल्ली की जनता के विकास के लिए लगे हुए हैं। इस विकास की कड़ी में एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो मैट्रो रेल के चौथे

फेज को मंजूरी दे दी, मेरे लिए तो और भी गर्व की बात है कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा जिसकी अभी गोयल साहब चर्चा कर रहे थे; 20 किलोमीटर की, मेरी विधान सभा क्षेत्र तुगलकाबाद में भी पड़ता है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्रवासियों की तरफ से भी और साउथ दिल्ली की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करता हूँ। आज दिल्ली में मैट्रो रेल लाइफ लाइन बन चुकी है। इससे सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के गाँवों व अनऑथोराइज कॉलोनियों को होगा, जो अभी खराब सार्वजनिक व्यवस्था का शिकार हैं। इस चौथे फेज को रुकवाने के लिए रिब्बन काट पार्टी बीजेपी ने फेसबुक में चला रखा है कि उनके अथक प्रयासों से... उनके सांसद चला रहे हैं कि उनके अथक प्रयासों से... तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अथक प्रयास किये तो किए हैं, लेकिन इसके विपरीत किए हैं, इसको रोकने के लिए किए हैं। तो ये पता नहीं, किस उसमें अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय मुख्य मंत्री जी के अथक प्रयासों से ये कार्य सम्भव हो सका है, इससे दिल्ली की आम जनता को काफी सहूलियतें होंगी। मैं आपका भी, इस मौके पर बोलने का मुझे मौका दिया, अपनी पूरी कैबिनेट का, अपनी पूरी सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद जी। सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, ये जो आज प्रस्ताव लाया गया है धन्यवाद का, अच्छा होता अगर तीन साल पहले ही केंद्र सरकार जब ये काम करने के लिए बार–बार दिल्ली सरकार को कह रही थी और ये

मान जाते। ऊबर और ओला को दिल्ली में लाया गया, प्राइवेट टैक्सियों को, उनको बेनिफिट देने के लिए तीन साल तक मैट्रो को रोककर रखा गया, तीन साल तक! 45 हजार करोड़ जो आज ये कह रहे हैं, हमने खर्च करना है, अध्यक्ष जी, अगर आप मैट्रो का किराया नहीं बढ़ाते, ये 45 हजार करोड़ जो आप खर्च कर रहे हैं और आप अब कह रहे हैं कि हमारे पास लोग बधाई देने आते हैं। अध्यक्ष जी, मेरे घर में भी लोग आए थे सुबह–सुबह, रो रहे थे, कह रहे थे कि तीन साल तक सिरसा जी, आपके साथी विधायकों से जाकर पूछना विधान सभा में, आप अपने साथी विधायकों से पूछना, पूछना उन्होंने हमारे साथ क्यों धोखा किया, उनसे जवाब माँगना सिरसा जी। और अध्यक्ष जी, मैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने मेरे को मेरे साथी विधायकों से, सरकार से, मंत्री से जवाब माँगने का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, तीन साल तक करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ दिल्ली के लोगों का ...(व्यवधान) और आज केंद्र सरकार ने ये अनाउंस कर दिया

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दिल्ली की जनता सुन रही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कवर करने जा रहे है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दिल्ली की जनता सुन रही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम इसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भागे और फटाफट इसको पास करने की। अरे! तीन साल तक आपने फाइल क्यों रोकी?

माननीय अध्यक्षः चलिए, ठीक है। अब हो गया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस इस बात का है आपने जो किराया बढ़ाया है, जिस तरह आप ये बधाई लूट रहे हैं, आप कह रहे हैं, मुझे खुशी होगी अगर मेरे साथी मेरे साथ खड़े हों और जो किराया बढ़ाया गया है, उसके लिए अभी पास करें कि जो केंद्र का किराया है, वो केंद्र सरकार करे, जो आपका किराया है, आप अपना किराया आज बढ़ाए, कम करें, यहाँ पर हमें इस बात की खुशी होगी। और जब आप अपनी सब्सिडी यहाँ पर देंगे, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं अध्यक्ष जी, आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने हिस्से का किराया कम करें और ये 45 हजार करोड़ जो आप खर्चने जा रहे है अध्यक्ष जी, तीन साल तक आपने दिल्ली के लोगों को वंचित रखा इससे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, अब हो गया, आप बैठिए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर जो लोग आए थे, उनकी आवाज को मेरे को दिल्ली में उठाने का मौका दिया, वो रो रहे थे, उनके आँसू इस विधान सभा में आपने... इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, अब नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, और सदस्य जवाब देंगे ना। प्लीज। भई, अब इसको लम्बा विषय ना बनाइये। एन.डी.शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। बहुत बड़ा कैबिनेट का, सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का बहुत बड़ा तोहफा है दिल्ली की आवाम के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को। तुगलकाबाद से एयरपोर्ट तक 104 किलोमीटर की कई फेजों में इस काम को किया जा रहा है। मेरी एक गुजारिश है सरकार से, अपने मंत्री मंडल से और अपने सदन से... थोड़ा सा एरिया और बदरपुर में और बढ़ जाए, बदरपुर की आवाम के लिए एक स्टेशन और बढ़ जाए और एक निवेदन और है जी, तुगलकाबाद गाँव में भी एक स्टेशन बनेगा, बदरपुर में जो स्टेशन बना हुआ है, उसका नाम भी तुगलकाबाद रखा हुआ है। बदरपुर एक ऐतिहासिक गाँव है

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई बात सुनिए, शर्मा जी, ये इस विषय पर चर्चा नहीं है।

श्री नारायण दत्त शर्माः देखो जी, मैं अपनी विधान सभा के लिए माँग सकता हूँ जी।

माननीय अध्यक्षः आपका कोई सुझाव हो, वो लिखकर भेज दीजिए माननीय मंत्री को। आपके कोई सुझाव हैं, वो माननीय मंत्री जी को लिखकर भेजिए। ये धन्यवाद प्रस्ताव है।

श्री नारायण दत्त शर्माः मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी का, मुख्य मंत्री जी का और अपनी सरकार का।

माननीय अध्यक्षः चलिए, विजेन्द्र गुप्ता जी। बस इसमें मैं सौरभ जी को इसके बाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा है, आपको दो मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये दिल्ली फेज–4 और रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों दिल्ली के लिए एक लाइफ लाइन हैं। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली, पानीपत से दिल्ली और इसी तरह गुड़गाँव से आगे अलवर से दिल्ली, ये तीन लाइन जो सराय काले खाँ तक आनी है, ये मामला और फेज–4 दोनों दिल्ली की सरकार ने रोके हैं और सिर्फ रोके नहीं हैं, उसमें हर अड़चन अड़ाई, उसको फेज–4 को ये सारे देश को, सारी दिल्ली को, एक–एक जनता को पता है। इसके लिए आंदोनल हुए। पहले सरकार यहाँ सदन के समक्ष इस बात का जवाब दें, अगर आपका रैपिड रेल रोकना...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, दो मिनट रुक जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, आपका विषय ये गड़बड़ हो जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैं बोलने की इजाजत दूँगा... मैं बोलने की इजाजत दूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपको बोलने...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, दो मिनट। नहीं, सिरसा जी ये उचित नहीं अब। बैठ जाइए आप। सिरसा जी, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये, ये उचित नहीं है। नहीं, ये उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मुझे फिर बोलना पड़ेगा इस विषय पर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, ये ठीक नहीं है। आप जो अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं उनको रोक रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ ना उनको। मैं रोक रहा हूँ ना उनको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने बोला ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। बैठिए, बैठिए दो मिनट अब, अब बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपको समय दूँगा, मैंने कहा ना समय दूँगा। एक बार इस पर पूरी चर्चा हो जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद की बात है कि विपक्ष को जिस तरह सदन में क्रश करने की कोशिश की जाती है, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा, ये बहुत ही चिंता की बात है। एक छोटे विपक्ष को भी आप...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, अब विषय पर आइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ...(व्यवधान)... करने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय अध्यक्षः फिर कोई उधर से बोले...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप कहिए, हम चर्चा में भाग न लें। हम सदन में न आयें?

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, इधर–इधर बात करो, मुझसे बात करो। आप विषय पर आइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना कि दिल्ली की सरकार ने ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां, बोलने दीजिए उनको। नहीं, प्लीज टोकस जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पिछले तीन वर्ष से आपने मैट्रो को रोका हुआ था। फाइल आपके पास थी। बार–बार यू.डी. मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट करते रहे, बार–बार हर उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, पब्लिकली उन्होंने इस बात को कहा कि आप फाइल भेजिए। आपने कहा, ''हमारे पास पैसा नहीं है, अपने आप कर लीजिए... वगैरह–वगैरह।'' लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सदन को सरकार और विशेष रूप से उप मुख्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वो ये स्पष्ट करें कि तीन वर्ष से फाइल क्यों रूकी

हुई थी? अगर आप सही थे तो अब अचानक क्या बदलाव आया कि आपने फाइल को क्लीयर किया और आप अगर ठीक नहीं थे तो फिर ये तीन साल मैट्रो को डिले क्यों किया गया?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, प्लीज बैठिए, अभी माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उसके बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप फाइलों को रोकें, आप तमाम योजनाओं को ठंड़े बस्ते में डालें, दिल्ली का विकास रोकें और फिर आप सदन के समक्ष एक गुमराह कर देने वाला बयान... सदस्य यहाँ पर दें कि यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी न कोई योजना थी, न आपका कोई सिद्धांत था और सिर्फ इसके पीछे एक बैड इन्टैंशन थी कि मैट्रो को डिले करवाओ।

माननीय अध्यक्षः हो गया? ठीक है। राजेश ऋषि, बहुत संक्षेप में रखिए प्लीज। अजय दत्त जी, बैठ जाइए। इतना नहीं है, प्लीज। ना मेरे पास कोई नाम नहीं आया हुआ।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने मुख्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीमंडल को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने मेरे यहाँ के एक मैट्रो स्टेशन जिसका नाम डाबड़ी था, उसका नाम जनकपुरी साउथ साथ में जोड़कर उन्होंने मेरे क्षेत्र की जनता को खुश किया। उसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

दूसरा, जनकपुरी से लेकर आर.के. पुरम तक जो सबसे बड़ी लाइन इस फेस में बनने वाली है; 28 से 29 किलोमीटर की, उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी मंत्रीमंडल को, अरविंद जी को और यहाँ बैठे सभी सदस्यों को, मेरी ओर से बहुत–बहुत धन्यवाद, मेरी जनकपुरी की जनता की ओर से बहुत–बहुत धन्यवाद। जनकपुरी का जो, जनकपुरी वैस्ट स्टेशन है, वो इस समय पूरे दिल्ली का सबसे सुंदर बैस्ट स्टेशन बनाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको भी मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, नहीं, उसके बाद मंत्री जी, अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज। आप अजय दत्त जी, मैंने कहा ना, बैठिए प्लीज। ये इसी पे सारा सदन का समय लग जाएगा। सौरभ जी। अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज, बैठिए, सदन की कोई मर्यादा होती है। प्लीज, बैठिए। प्लीज बैठिए, आज आपका मफलर बहुत अच्छा लग रहा है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं अजय दत्त जी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसे तो फिर बहुत सदस्य हैं उसमें सारा समय लग जाएगा, नहीं, प्लीज। चलिए, चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली मैट्रो के विषय में इस सदन में कई बार बहस हो चुकी है और कई बार इस बारे में चर्चा हो रखी है कि दिल्ली

मैट्रो किसकी है? दिल्ली मैट्रो दिल्ली वालों की है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है और दिल्ली मैट्रो के अंदर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बराबर की हकदार है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जो बार–बार माननीय एलओपी साहब पूछ रहे थे कि आपको क्या परेशानी थी, वो परेशानी सबको पता है और दिल्ली वालों को भी पता है, मैं दुबारा बताता हूँ। हमारी परेशानी ये थी कि जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बराबर की हिस्सेदार है दिल्ली मैट्रो में तो दिल्ली मैट्रो के अगर आपने दाम इतने बढ़ा दिए जिससे वहाँ की राइडरशिप घट गई। इसमें बहुत बार बहस हुई, हमने नहीं बढ़ाए, तुमने बढ़ा दिए। तुमने नहीं बढ़ाए, हमने बढ़ा दिए। मैं चाहता हूँ, उस बहस को भी खत्म किया जाए। चलिए बढ़ गए, हरदीप पुरी जी आपके मंत्री हैं, भाजपा सरकार के मंत्री हैं, हमारे मंत्री ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर गहलोत जी यहीं बैठे हैं। आप अभी समय ले लो हरदीप पुरी जी से, आज का ले लो, कल का ले लो, मंत्री जी को लेके मैं चलूँगा और पूरे सदन को लेके चलूँगा, हरदीप पुरी जी के पास। जब ये भी चाहते हैं दाम कम हो, केंद्र सरकार भी चाहती है; दाम कम हो, तो दाम कम क्यों नहीं हो रहे? भई, इसमें तो साफ होना चाहिए, भई, इसमें कोई गोल–गोल बात तो है ही नहीं, जो जलेबी की तरह हम गोल–गोल घुमा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं कहता हूँ एलओपी साहब को मौका दीजिएगा दुबारा भी, इस हाउस के अंत में बोलने का। ये हरदीप पुरी जी के ऑफिस में सम्पर्क कर लें, उनसे समय ले लें आज का, कल का, पूरा हाउस, कॉंग्रेस के तो हैं नहीं, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के मंत्री जी को ले जाने की

मेरी जिम्मेवारी है, वहाँ चलते हैं। दूध का दूध पानी का पानी करते हैं; इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सिरसा जी, ऐसा नहीं है। सिरसा जी, ये चीज नहीं है, फिर आप कहते हैं बोलने नहीं देते। नहीं, आपको बोलने का मौका दिया ना, बैठिए आप। बैठिए आप, उनको पूरी बात तो करने दीजिए। वो पूरी बात तो करने दीजिए क्या कह रहे हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः अब अध्यक्ष जी, ये कहा जाए कि जी, कोई बोर्ड है, जो फेयर डिसाइड करता है। इस देश के अंदर कोई भी बोर्ड और कोई भी कोर्ट, इन सरकारों से बड़ी नहीं है, न पार्लियामेंट से बड़ी है, न विधान सभा से बड़ी है। यहाँ की सरकार तैयार है, वहाँ की सरकार भी तैयार है, किसी बोर्ड की क्या औकात कि वो रोक दे। मगर इच्छा होनी चाहिए कम करने की। वो इच्छा मुझे लगता है कि कल शाम तक साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी की इच्छा नहीं है या भाजपा की बात नहीं है। एक चीज और नियम होना चाहिए अध्यक्ष जी, मैं उस नियम के पक्ष में हूँ और वो विधान सभा का नियम होना चाहिए। मैं बार–बार उन भाइयों को देखता हूँ, मुरगन जी को देखता हूँ, इनके कपड़ों को देखता हूँ फिर सामने सिरसा जी को देखता हूँ। मैं बार–बार कन्फ़्यज होता हूँ और मेरे मन में डर ये है अध्यक्ष जी, और अध्यक्ष जी, और ये सही डर है, मैं बड़े और छोटे की भी बात...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरा क्या है, मैं तो गरीब आदमी हूँ।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं बताता हूँ मेरा डर क्यों है, मैं ये भी बताता हूँ। वो डर क्यों है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः और वो डर क्यों है, बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष जी, समस्या गरीब और अमीर की नहीं है।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, बैठिए, ठीक है, बैठिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अच्छा अध्यक्ष जी, समस्या ये नहीं है कि कौन गरीब है या अमीर है, समस्या ये है कि जिस अकाली दल ने xxx[3]

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः मेरी समस्या ये है अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी मेरी समस्या ये है...

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं बताता हूँ और ये बकायदा कोर्ट ने...

...(व्यवधान)

---

3. XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द कार्यवाही से हटाये गये।

माननीय अध्यक्षः ये कार्यवाही से बाहर निकाल दें जो xxx की बात कही है।

श्री सौरभ भारद्वाजः मगर अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप मेरे शब्द जरूर निकाल सकते हैं, आप निकालिए। आपको हक है, मगर ये बकायदा दिल्ली के कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनके अकाली दल के नेता के ऊपर एफआईआर कराई जाए कि उन्होंने xxx के अंदर गड़बड़ी की है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी हम चर्चा कर रहे हैं मैट्रो पर, मैट्रो की चर्चा को छोड़कर हम भटक जाएँगे, आप सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः जी, जी।

माननीय अध्यक्षः एक अच्छे वक्ता हैं, आपकी ओर सारा सदन देखता है।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर मैं मैट्रो पे वापस आता हूँ। सर, मैं मैट्रो के विषय पर वापस आता हूँ। तो एक चीज तो ये हो जाए कि मैट्रो का किराया अब ये घटाना चाहते हैं या नहीं घटाना चाहते हैं, इसके ऊपर फैसला हो जाए और दूसरी बात, ये कहते हैं कि भई हमने बनाई है मैट्रो। अगर इनको कुछ बनाना था तो लोगों को पता है कि 2014 में इनको बनानी थी, कौन सी बनानी थी इनको? बुलेट ट्रेन। मोदी जी का वायदा तो बुलेट ट्रेन बनाने का था। अगर बुलेट ट्रेन कहीं बनाई हो, दिल्ली में बनाई हो, गुजरात में बनाई हो, अमृतसर में बनाई हो, तो वो बता दो। तो हम तुम्हें क्रेडिट दे

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द कार्यवाही से हटाये गये।

देंगे कि तुमने बनाई थी। जो बुलेट... एक बाद बताऊँ तुम्हे मैंने इसके बारे में सोचा था कि इन्होंने बुलेट बनाई या बुलक बनाई, इन्होंने गुल्लक भी नहीं छोड़े। इन्होंने गाय के नाम पे बुलकों के ऊपर भी, जो है ना अत्याचार किया है। तो ये ना ये बुलेट के हैं ना ये बुलक के हैं और सर, अगर इन्होंने बुलेट ट्रेन कहीं बनाई हो तो क्रेडिट ले लें। जो मैट्रो सालों से दिल्ली में चलती आ रही है उसका फेस–4 हमने पास किया है। अगर उसका क्रेडिट लेने के लिए भी इनके सांसद लालायित हैं तो इसके अंदर बहुत गंभीरता से इस हाउस को सोचना चाहिए और आखिरी बात विजेन्द्र गुप्ता जी के लिए, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मगर मेरे को एक चीज का दुःख हुआ और मैं ये बात इस हाउस के सदन में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। हमारी राजनीतिक लड़ाई अलग है, आपको आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, हमें भी बीजेपी अच्छी नहीं लगती। मगर 25 साल से ये हाउस चल रहा है, ये सदन चल रहा है और बड़ी लड़ाइयों के बाद दिल्ली वालों ने, बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी है और मैं बताऊँ बीजेपी वालों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके अंदर कि दिल्ली को अपनी सरकार मिली, दिल्ली को अपनी विधान सभा मिली जिसमें दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आते हैं और यहाँ पे कानून बनाते हैं; दिल्ली वालों के बारे में चर्चा करते हैं। उस विधान सभा का एक प्रोग्राम था, ये भी कह सकते हैं कि चलो, हमें नहीं बुलाया... देखिए, मनोज तिवारी जी को नहीं बुलाया, वो जबरदस्ती आ गये उस प्रोग्राम में, गड़बड़ी की, ठीक है। अच्छा जिन्हें बुलाया, वो आये नहीं। अब ये तो मतलब ये है अब मैं बताता हूँ। अब अध्यक्ष जी, मैं इसके अंदर छोटी–मोटी बातें बता दूँ। अध्यक्ष जी से मेरी एक बार चर्चा हो रही थी...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इनका बीच में बोलने का राइट नहीं था

...(व्यवधान)

जब मैं बोलूँगा तो सारी ऐसी बातें बोलूँगा, याद रखना।

श्री सौरभ भारद्वाजः सारी की सारी जो चर्चा हुई थी, मैं बिल्कुल गंभीरता से बात कर रहा हूँ इस हाउस के अंदर, जो मैट्रोपॉलिटन कांउसिल थी, इस विधान सभा से पहले उसमें सबसे पहले जो स्पीकर थे, वो लालकृष्ण आडवाणी जी थे। भाजपा के नेता थे। उसके बावजूद बिना किसी राजनीति के अध्यक्ष जी, आपने उनको न्यौता दिया। आडवाणी जी ने भी उसको स्वीकार किया। लिखित में स्वीकृति आ गई। कार्ड छप गये। कार्ड में लिखा गया, 'मुख्य अतिथि लालकृष्ण आडवाणी जी।' उनके नीचे हमारे मुख्य मंत्री का नाम आया। कोई दिक्कत नहीं, इसको कहते हैं, हम राजनीति की भावना से हमने उठके एक काम किया। अगर कार्ड छपने के बाद कोई आदमी आखिरी मूवमेंट में मना कर दे तो इसके अंदर दिल्ली विधान सभा का क्या दोष है या किसी अध्यक्ष का क्या दोष है? उसके बाद मुझे बताया जाता है कि जो हमारे राज्यपाल जी हैं। जगदीश मुखी जी, वो भी इस हाउस में और मैट्रोपोलिटेन काउंसिल में अलग–अलग समय में इतनी बार रहे हैं कि वो मोस्ट सीनियर हैं। बताया जाता है कि उनकी पेंशन इतनी है उससे भी ये समझ में आता है कि उन्होंने अलग–अलग मौकों पे... कई जो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं, वो यहाँ निभायी हैं। उनको बताया गया। उनकी तरफ से कंफर्मेशन आया, वो भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल आऊँगा। बाकायदा वो वहाँ से उन्होंने फ्लाईट ली, दिल्ली के लिए फ्लाइट

आयी, फ्लाइट में चढ़ने से पहले उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, ''बिल्कुल आ रहा हूँ। प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ। इसीलिए ही आ रहा हूँ।'' और आने के बाद वो जब यहाँ पे उतरे तो उनकी तरफ से भी लिखित में आ गया कि जी, मैं नहीं आ सकता। ये... अब हमारी दिक्कत ये है कि पुल का उद्घाटन हुआ। मनोज तिवारी को नहीं बुलाया, तिवारी जी जबरदस्ती आ गये और कह रहे कि मैं ये काम नहीं होने दूँगा। और जब बुलाओ तो ये आयेंगे नहीं और उसका बायकॉट करेंगे। मतलब चित भी हमारी पट भी हमारी और सिक्का मोदी जी का। ये तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। और जिस तरह से विजेन्द्र गुप्ता जी ने इसका बायकॉट किया, मुझे लगता है ये सरकार का कोई बायकॉट नहीं था। इस सदन का जो बायकॉट किया, वो इनको नहीं शोभा देना चाहिए था और देता भी नहीं है। इनकी पार्टी से अगर मना भी था तो भी इनको कहना चाहिए था कि भई, मैं इस सदन का लीडर आफ ओपोजिशन हूँ और विजेन्द्र गुप्ता जी ये बात जानते हैं कि जब–जब वो किसी प्रोग्राम के अंदर आये हैं यहाँ पे हमारे बीच में मन–मुटाव कितना भी हो, मगर हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि भई इनकी इज्जत के अंदर थोड़ी कमी करें।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड कराइए सौरभ जी, कंन्कलूड करिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः तो मेरे हिसाब से विजेन्द्र गुप्ता जी का ये जो पूरा का पूरा प्रकरण था जिसके अंदर अखबार के अंदर इन्होंने लिखा, The decision to give the Event a miss taken at a meeting of BJP Legislatures. It was decided that the Kejriwal led Government which has thrown democratic values, the constitution and Delhi Assembly rules to the wind during almost last four years, has no moral right to celebrate

Silver Jubilee of Delhi Assembly,' ये गलत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार सिल्वर जुबली नहीं मना रही थी, ये हाउस और ये लेजीस्लेटिव असैम्बली मना रही थी तो ये जो बयान है, ये एक एलओपी को शोभा नहीं देता। ये बात मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अभी, अभी माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। गहलौत जी इस चर्चा का अब ऐण्ड करेंगे, जवाब देंगे।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): सर, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं पूरे सभी दिल्ली वासियों को इस पूरे सदन की तरफ से बधाई देता हूँ और साथ ही मैं माननीय सीएम साहब को, डिप्टी, सीएम साहब को धन्यवाद करता हूँ, सभी दिल्लीवासियों की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से की ये सभी अड़चनों के बावजूद उन्होंने बिल्कुल दिल खोलकर जितने भी कॉरिडोर्स थे, उन सभी को मैट्रो फेज– फोर में अप्रूव किया और जो सिरसा जी कह रहे हैं, तीन साल, तीन साल मेरे ख्याल से फिर दोबारा बिना किसी तैयारी के, बिना फैक्टस के ये बिल्कुल सदन के गरिमा के अगेंस्ट ऑन रिकॉर्ड ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब विजेन्द्र जी, अब वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए... कोई बात नहीं।

माननीय परिवहन मंत्रीः लगातार सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये बिल्कुल सदन के बीच ये बात रख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार इस मुद्दे पे बात होती रही। लगभग चार से पाँच बार फाइल

जो है, बार–बार दिल्ली सरकार में आयी दिल्ली सरकार से केन्द्र सरकार गई और शायद ये बात भूल रहे हैं कि बीच में जीएसटी का, जीएसटी भी लागू किया गया जिसकी वजह से पूरे जितने भी एस्टीमेटस थे, वो दोबारा बने। आप डेट के साथ निकालिये कि केन्द्र सरकार ने कितनी बार ये कितनी देर तक फाइल रही। और बल्कि मैं... मैं ये भी, ये भी बात सदन के बीच रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सीसीटीवी रोके गये, जिस प्रकार से मौहल्ला क्लीनिक रोके गये, उसी प्रकार से बहुत बड़े षडयंत्र के बीच ये दिल्ली सरकार के द्वारा मैट्रो को भी रोका गया। दिल्ली... नहीं, नहीं मैं... नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार के जो अफसर जो बीजेपी ने एप्वाएंट किये, दिल्ली सरकार में जो–जो फाईनेंस में जो ऑफिसर्स रहे, उन्होंने बार–बार फाइल पे ऑब्जेक्शन लगाये। ये छः–छः कॉरिडोर्स जो अभी अप्रूव हुए...

माननीय अध्यक्षः भई सिरसा जी... तो वो कह तो रहे हैं, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं ना, आप पूरी बात तो सुनते नहीं।

माननीय परिवहन मंत्रीः आप सुन नहीं रहे। आप सुन लीजिए दोबारा, दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं।

माननीय अध्यक्षः आप दो मिनट रुकिये। चलिए।

माननीय परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, ये बहुत बड़ा षडयंत्र था फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो अफसर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बार–बार ऑब्जेक्शन लगाये, फाइलों में ऑन रिकॉर्ड है जो छः कॉरिडोर जो अभी पास किए डिस्पाइट ऑब्जेक्शनस... रिठाला, बवाना, नरेला। फाईनेंस डिपार्टमेंट ने कहा... उस टाइम अधिकारियों ने कि जी, इसमें ये नेगेटिव है। इसमें कोई केश

फ्लो नहीं होगा, इसमें कोई किराया नहीं आयेगा। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ उन्होंने कहा नेगेटिव है। ऐरोसिटी से तुगलकाबाद... उन्होंने कहा, नेगेटिव है। किसने ओब्जेक्शन लगाये फाईलों में। जो अधिकारी बीजेपी ने भेजे यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाये। दिल्ली सरकार ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। किसी मंत्री ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। डिप्टी सीएम से कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। सीएम साहब ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये बात। लाजपत नगर से साकेत वाला... उन्होंने नेगेटिव किया, किसके ऑब्जेक्शन हैं फाईलों में? बात कर रहे हैं, बड़ी–बड़ी यहाँ बैठकर!

माननीय अध्यक्षः नहीं, भई अब मैं चर्चा के लिए समय नहीं दूँगा। ऑन रिकॉर्ड मैं पेपर रखवा रहा हूँ अगर आप... नहीं, सिरसा जी।

माननीय परिवहन मंत्रीः उसके बावजूद...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सेकण्ड रुको, नहीं–नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नहीं मैं बिल्कुल अलॉउ नहीं करूँगा। मैं ऑन रिकॉर्ड पेपर रखवा रहा हूँ अगर मंत्री जी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप चैलेंज करियेगा। न, बैठ जाइए प्लीज।

माननीय परिवहन मंत्रीः अब आप जा के पता कीजिए पहले। आपको मालूम है नहीं कुछ, कोई आपके पास फैक्टस नहीं हैं। बेसलेस स्टेटमेंट आप देते जा रहे हैं सदन के बीच। और स्पीकर साहब एक और... बता रहा हूँ मैं, एक और... बता रहा हूँ मैं। सीएम साहब ने, सीएम साहब ने ये पब्लिक के बीच...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज।

माननीय परिवहन मंत्रीः पब्लिक के बीच में वादा किया सीएम साहब ने जब पब्लिक के बीच में वादा किया कि अगली केबिनेट में हम इस प्रपोजल को पास कर देंगे। ये पूरे सदन के बीच में अपने पूरे रख रहा हूँ ये बात कि बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज निकल के आयी कि डीएमआरसी के बोर्ड ने ये प्रपोजल पास ही नहीं किया था। और डीएमआरसी और हार्दिक पुरी जी क्या कहते हैं कि जी, केबिनेट पास कर दे, हम बोर्ड में पास कर देंगे। ये, ये कहाँ का कानून है? ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? डीएमआरसी का बोर्ड पहले उसको अप्रूव करेगा उसके बाद केबिनेट में प्रपोजल आता है। आप देखिए, डीएमआरसी ने बोर्ड, डीएमआरसी बोर्ड ने इस जो 40 हजार करोड़ का जो एस्टीमेट है, वो किस तारीख को पास किया? अभी एक हफते पहले। तो सिरसा जी को कुछ, कुछ चीजें, कुछ कोई फैक्टस इनके पास नहीं हैं। लेकिन तमाम, तमाम अड़चनों के बावजूद जितने छः के छः कॉरिडार्स थे मैट्रो फेज–फोर के ये दिल्ली सरकार ने पास किए, इसकी मैं बधाई पूरे सभी दिल्लीवासियों को, सभी विधायकों को जहाँ–जहाँ उनके विधान सभा से ये मैट्रो निकलेगी क्योंकि मैट्रो... मैट्रो सिर्फ केन्द्र सरकार की नहीं, दिल्ली सरकार की भी है ऐण्ड वी ऑल टेक प्राइड कि दिल्ली सरकार इस मैट्रो का एक हिस्सा है और जिसकी प्रशंसा न कि दिल्ली में होती है, न कि इंडिया में होती है, बल्कि पूरी दुनिया में होती है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मनीष जी, उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है... लेकिन कुछ चीजें

इसमें ऐड करना जरूरी है क्योंकि विजेन्द्र गुप्ता जी और सिरसा साहब और पूरे उससे शिद्दत से लगे हुए हैं कि जनता को कुछ बात कन्फ्यूज़ कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से कोशिश कर ली कि किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को न होने दें। जिस तरह से इन्होंने मौहल्ला क्लीनिक रुकवायीं, जिस तरह से इन्होंने डोरस्टेप डिलीवरी रुकवायी, फालतू के कमेंट करा–करा के अखबार में। आपको याद होगा डोरस्टेप डिलीवरी पे इन्होंने लिखवाया था कि अगर डोरस्टेप डिलीवरी शुरू कर दी गई और लड़के घर जाने लगे, लोगों की समस्याएँ लेने और उसपे सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लेने घर जाने लगे तो दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जायेगा। तो इस तरह की हरकतें इन्होंने इसमें भी की थीं। इसी तरह की हरकतें इन्होंने इसमें भी करायी थीं। बोले, फिजिबिलटी नहीं है; तीन रूट की फिजिबिलटी नहीं है। बहुत आप फाइल देखिएगा, फाइलों में... इतिहास गवाह है, हम कोई अपनी तरफ से बयानबाजी नहीं कर रहे। इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की जब इनकी–हमारी दिल्ली सरकार में चलनी बंद हुई तो इन्होंने केन्द्र सरकार की तरफ से अड़ंगा लगावाया कि टैक्स नहीं देंगे साहब। जिस तरह से रेवेन्यू मॉडल था, उसी तरह से टैक्स का मॉडल था कि जो सेंट्रल के टैक्सेज हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हो, उद्घाटन करने में इतनी भी तमीज भी नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री को बुला लो, राज्य सरकार को पूछ लो। इतना भी बेसिक कर्टसी नहीं बची आप लोगों के अंदर। क्रेडिट लेने में, उद्घाटन करने में सबसे ज्यादा झंडी आपको चाहिए। ले लो भैया, दिल्ली की जनता को मैट्रो में ले जाएं, हम

तो उसमें भी खुश हैं। लेकिन जब टैक्स में शेयर करने की बारी आएगी वो बोलेंगे, ''दिल्ली सरकार करेगी बियर।'' कर लेगी जी। हम इनसे लड़ते रहे सर, जो प्रेसिडेंसेज बनी हैं जिस तरह की चीजें शुरू हुई हैं, उस पर कायम रहिए। नहीं माने, फिर फाइनली मुख्यमंत्री जी ने कहा, ''कोई बात नहीं, जनता के लिए है और जनता के लिए आगे बढ़ने दीजिए।'' और आज रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ जिस तरह की इन्होंने फिक्टीसियस कैलकुलेशन करवाए थे, बैठ–बैठ कर ताकि फिक्टीसियस कैलकुलेशन के साथ में रेट्स ऐस्कलेट होते चली जाएँ और अंत में रुके चीजें। आज मुझे एग्जैक्ट फीगर याद नहीं है। लगभग–लगभग 10 हजार करोड़ नीचे आए हैं... 11 हजार करोड़ रुपये उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट नीचे आई है। ये हमेशा होता है कि किसी भी चीज को इवेलुएट करो आगे चीजें उसकी कॉस्ट बढ़कर आती है। 46 हजार करोड़ रुपये... मैं अभी कल जो सेंक्शन हुआ है, वो जो उसमें प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट का। पहले उसकी कॉस्ट 57 हजार करोड़ रुपये थी तो दिल्ली की जनता के ऊपर का बोझ इनकी साजिशों को किनारे कर–करके कम करवाया है। टैक्स जो इनको बियर करवाना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये अड़ गए, बोले, ''दिल्ली की जनता से हमारा सौतेला व्यवहार है, हम नहीं मानेंगे।'' इसकी वजह से जिद्द पे इनकी जिद्द की वजह से देर हुई है और साजिशों की वजह से देरी हुई है। इसमें मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ इस चीज को।

उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, किराया बढ़ाने को लेकर मैं भी एक प्रोग्राम में था, एक मैट्रो रेल के उद्घाटन पर था। मैंने भी हरदीप पुरी साहब को

कहा और हमारी पुरजोर... मतलब हर जगह जहाँ भी हम शिद्दत से इस बात को कहा उनको।

माननीय अध्यक्षः मैं भी था उस कार्यक्रम में।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः हर जगह शिद्दत से इस बात को रखते हैं कि साहब मैट्रो दिल्ली का शौक नहीं है, दिल्ली की जरूरत है। आप शौक पूरा करने के लिए कुछ और अच्छी चीज बना लीजिए। दिल्ली की जरूरत पूरा करने के लिए ऐसी चीज बनाइए जिससे दिल्ली की जनता चल सके। एक साइकिल वाला, एक रिक्शेवाला, एक मोटर साइकिल वाला, एक आटो वाला जो उसमें ऑटो में ट्रैवल करता है, वो आपकी मैट्रो में सफर कर सके। आप किसके लिए मैट्रो बना रहे हैं? आप तुलना करते हैं। साहब, दुनिया के फलाँ–फलाँ देशों में मैट्रो है, उसका किराया देख लीजिए। उसके रेशो से सबसे कम है। अरे! सर जी, ये भी तो देख लीजिए, वहाँ की जीडीपी क्या है और वहाँ की पर इनकम क्या है। उसको भी कर लीजिए। वहाँ के मजदूर को कितना मिलता है, आपके मजदूर को कितना मिलता है वहाँ के मिनिमम वेजिज कितने हैं, आपके मिनिमम वेजिज कितने हैं। उसको कंपेयर करके देखिए, उसके बाद सोचिए, आप हवा–हवाई मैट्रो बनाना चाहते हैं। आप हवा–हवाई मैट्रो चलाना चाहते हैं जिसमें खाली पड़े रहें डिब्बे, किसलिए? आप किसके लिए मैट्रो चलाना चाहते हैं? आप दिल्ली की जनता के लिए मैट्रो चलाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता तो सड़कों पर जूझती रहे और मैट्रो के किराए हवा–हवाई छूती रहे। जिस दिल्ली की जनता की सरकार से आप पैसा मांगते हैं, उस दिल्ली की जनता की सरकार को ये भी अधिकार दीजिए कि वो किराए में अपनी

बात कह सके और उसके हिसाब से किराया तय हो सके। आज अगर हमारे पास ये पॉवर आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कम से कम 25–30 परसेंट किराए कम हो जायेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार नहीं चाहती है कि मैट्रो के किराए कम हों। ये हवा–हवाई तरीके से मैट्रो चलाना चाहते हैं और पता नहीं, किसके लिए चलाना चाहते हैं। हम आम जनता के लिए चलाना चाहते हैं, हम आम जनता के लिए करना चाहते हैं। ये पता नहीं, हवा–हवाई! अरे! आप... रैपिड रेल पर आयेंगे, आपकी बतायेंगे, आपकी क्या साजिश है, उसमें जिस दिन रैपिड रेल पर आयेंगे, कुछ छोटी साजिश नहीं है वो भी आप लोगों की, रैपिड रेल पर भी बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप इस सदन में इस सरकार का विजनरी रोल भी दिखना चाहिए क्योंकि दुनिया भर में जहाँ–जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रोड का सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। वहाँ तीन–तीन, चार–चार लेयर के फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें करीब 50 किलोमीटर... 55 किलोमीटर पहली बार दिल्ली में ऐसी सड़के बनेंगी, जहाँ नीचे सड़क उसके ऊपर सड़क और उसके ऊपर मैट्रो। क्योंकि आज के बाद जहाँ–जहाँ सड़कों पर मैट्रो का जाल बिछा है, अच्छी चीज है लेकिन इसमें एक कमी यह रह गई कि अब वहाँ पर आप अगर जनता में अगर ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ेगा। आप उसमें अब ऊपर फ्लाईओवर नहीं बना सकते। मैट्रो के ऊपर फ्लाईओवर्स नहीं बनाए जा सकते मैट्रो के ऊपर ऐलिवेटिड रोड नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए ऐलिवेटिड रोड प्लस मैट्रो का ये जो प्रस्ताव आया है ये अपने आप में बहुत यूनिक है

और इसका एक फायदा ट्रांस यमुना को मौजपुर की तरफ को मिलेगा। वहाँ पर एक और पुल क्योंकि ऐलिवेटिड रोड बनेगी मैट्रो के नीचे तो एक और पुल एक्स्ट्रा दिल्ली के हिस्से में आएगा, यमुना के हिस्से में आएगा। तो ये सारी चीजे ऑन रिकॉर्ड इसलिए कहना जरूरी था। मंत्री जी के बाद जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद इनके केन्द्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मैट्रो को क्लीयर किया है। इनकी पूरी इच्छा थी कि ये मैट्रो किसी तरह से क्लीयर न हो और जिस तरह से ये लोग मैट्रो को महंगा कर–करके आम जनता से दूर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आम जनता की सवारी रहे न कि किसी रईस और अमीरजादे की सवारी रहे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आज वो विषय नहीं है विजेन्द्र जी, अब विषय नहीं हुए, ठीक है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः और आपके रिश्तेदारों की पार्किंग का भी पर्दाफाश करेंगे। जिस पार्किंग के लिए आपने चार हजार स्कवायर मीटर का स्कूल 16 सौ स्कवायर मीटर का करवाया है ना, अपने रिश्तेदारों की जिस पार्किंग के लिए, उसका भी पर्दाफाश करेंगे और इसी सदन में करेंगे। आप चिंता मत करिए, नहीं तो आप बताइए, आपके कौन से रिश्तेदार हैं? पार्किंग माफिया में आपके कौन से रिश्तेदार है? जिनके प्रेशर में दिल्ली की जनता के लिए स्कूल चार हजार स्कवायर मीटर से सोलह सौ स्कवायर मीटर किया गया? आप बताइए, आपके किस रिश्तेदार की पार्किंग है वो? वो भी बतायेंगे,

आपके रिश्तेदार का ठेका रूकवायेंगे, आपके रिश्तेदार का पार्किंग का ठेका रूकवायेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः त्यागी जी। त्यागी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, ये 14/12 में ये विधान सभा रजत जयंती समारोह का बहिष्कार करेगा, विपक्ष... गुप्ता जी का कहना है, ये और गुप्ता जी कहते हैं कि नेता विपक्ष ने शर्त रखी है कि विधान सभा के 25 साल के सुनहरे कार्यकाल से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के चार साल के काले अध्याय को निकाला जाए। ये जिस समय... ये पहली बार ही बने हैं। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने विधायक हैं।

माननीय अध्यक्षः मतलब 15 साल का कांग्रेस का शासन इन्होंने बढ़िया बनाया है।

श्री नितिन त्यागीः सर, ये तो मिले हुए हैं।

माननीय अध्यक्षः वो बहुत बढ़िया माना है।

श्री नितिन त्यागीः इनकी कॉल आई जिस वक्त अजय माकन ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे तो बीजेपी ने कहा कि बहिष्कार करेंगे। We always say, they are partners in the crime. They have been partners in the crime all alone. हम लोग बार–बार कहते हैं कि ये लोग...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सिरसा जी, मैं बड़ा पीड़ित हूँ इससे। मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करिए। इस विषय पर मैं बहुत पीड़ित हूँ। नहीं, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। मैं इस विषय पर बहुत पीड़ित हूँ। बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उनको बोलने दीजिए प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः अजय माकन जी कहते हैं कि हम बॉयकाट करेंगे। उनका ऑलरेडी पूरी जनता बायकाट कर चुकी है। इनका भी ऑलमोस्ट बॉयकाट ही है। सर, चार ही सीटें है इनके पास में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी को इस अपने कार्यकाल के ऊपर शर्म आती हो, उसे कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली चीज सदन में बैठना नहीं चाहिए। इतने सारे जन–हितकारी काम किए गए, पिछले चार साल के अंदर यहाँ पर। इतनी सारी जन–हितकारी स्कीम्स आई है यहाँ पे, इस सदन में इतिहास रचा है, दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। उसको ये काला अध्याय कहते हैं। ये इस दिल्ली की जनता के खिलाफ हैं। इस हाउस की पूरी की पूरी गरिमा और भावना के खिलाफ है ये। ये अगर इसे काला अध्याय कहते हैं तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके के स्टेटमेंट बीजेपी के जो एलओपी साहब हैं, जो आपने एलओपी बना रखा है आज इनको, इस लायक नहीं हैं कि ये एलओपी बनें सर। जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये कहते हैं किः The decision to give Event a miss was taken at a meeting of BJP legislators.' *do-char legislatures jo hain, ye auto party* which has thrown democratic… The Government which has thrown democratic values the Constitution under Delhi Assembly rules to the wind.'

ये बात–बात पर टेबल पर चढ़ जाने वाले, ये बात–बात पर माइक तोड़ने वाले, ये बात–बात पर वेल में आ जाने वाले और बार–बार उठाकर फिंकवाने वाले, ये फैंके जाते हैं, इसी लायक हैं ये। ये कांस्टिट्यूशन को ताख पर रखते हैं सर, ये गुंडागर्दी करते हैं। इधर यहाँ पर आकर और उल्टा बोलते हैं सर, झूठ बोलते हैं बात–बात पर।

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाते हैं ये लोग, कांस्टिट्यूशन के देश की भावना के खिलाफ लोग हैं और ऐसे आदमी को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कहता हूँ कि पूरे के पूरे सदन का सर, आप एक बार सेन्स ले लीजिए।

सब लोग ये चाहते होंगे कि ये एलओपी न रहे। या तो ये अपनी मेंबरशिप विदड्रा कर लें और चले जाएँ और दोबारा इलेक्शन लड़ लें। देख लें पाँचवी, छठी विधान सभा में, सातवीं में आ जाएँगे लेकिन इस तरीके की बात इन्होंने की है, सर, इससे बहुत ठेस पहुँचा है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। सर, इनसे इस्तीफा लीजिए, नहीं तो इन्हें बर्खास्त कीजिए, सस्पेंड तो कीजिए ही कीजिए।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए।

श्री नितिन त्यागीः इतना बड़ा, इतना बड़ा इवेन्ट 25वाँ साल रजत जयन्ती उत्सव, इसे ये पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। सर, जनता ने चुन के इनको भी बड़े प्यार से भेजा होगा चाहे कितना भी इन्होंने मूर्ख बनाया हो जनता को, पर उस वक्त तो प्यार से ही भेजा होगा। आज जनता ठगा

महसूस करती होगी इनकी रोहिणी की, पर उस वक्त प्यार से भेजा होगा। आज उस जनता का मजाक उड़ा रहे हैं सर ये। ये इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सर। इन्हें शर्म आनी चाहिए सर, और आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि ऐसा आदमी जो अपने अपने कार्य के लिए संजीदा न हो, जो अपनी जनता के लिए संजीदा न हो, उस आदमी को एलओपी का पद मत दीजिए सर, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब मैं इस पे कोई जवाब... फिर मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बहुत–बहुत पीड़ित हूँ उस दिन। मैं न बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बैठिए आप। ऐसा नहीं प्लीज। न–न बिल्कुल नहीं, जवाब नहीं चाहिए। नहीं, आपने जो कुछ मीडिया में बयान दिया है, वो बहुत खतरनाक बयान है। बैठिए। 280 प्रमिला जी। प्रमिला जी, भई विजेन्द्र जी, बैठिए आप। मुझे मालूम है कितना नॉलेज में... बैठ जाइए। प्रमिला टोकस जी। 280।

विशेष उल्लेख नियम–280

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने मेरी विधान सभा की क्षेत्रीय समस्या को उठाने का मौका दिया। मेरी आर.के. पुरम विधान सभा में चार गाँव आते हैं– मोती बाग गाँव, बसंत गाँव, मोहम्मद पुर गाँव और मुनिरका गाँव। इन गाँवों की सभी जमीन लगभग 1962 और 1965 के बीच में अधिकृत कर ली गई थी। डीडीए की पॉलिसी के तहत इन गाँवों की

सुविधा के लिए प्रॉपर पार्किंग और पार्कों की व्यवस्था करनी थी। गाँव में रहने वाले बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बनाने की व्यवस्था करनी थी। परन्तु बड़े दुःख के साथ बताना पड़ रहा है कि इन सभी गाँवों में न पार्किंग की व्यवस्था है और न ही पार्कों की व्यवस्था है और न स्कूलों की व्यवस्था है। अभी इन गाँवों में काफी जगह डीडीए की भूमि और एमसीडी की भूमि खाली पड़ी है। कृपया गाँव वालों की सुविधा के लिए उन खाली जगहों पर पार्किंग आदि की व्यवस्था कराई जाए और जो गाँव की जमीन है और गाँव की पार्किंग के लिए फ्री में व्यवस्था की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मेरी विधान सभा क्षेत्र की समस्या रखने के लिए कहा है। अध्यक्ष जी, समस्या कहीं तो बहुत छोटी है कि मजनूँ टीला गुरूद्वारा, तिब्बत कालोनी से एक पीडब्ल्युडी का नाला है जो बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी शरणार्थी भाई–बहन जो आए हैं पाकिस्तान से, उनके वहाँ से होकर गुजरता है। लेकिन कुछ समय से हमारे मजनूँ टीला, गुरूद्वारा तिब्बत कालोनी के लोगों ने मुझसे सम्पर्क किया और कहा कि उनका पानी जो है सीवर का, आगे नहीं जा रहा है। वो रुक गया है जिससे बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने पीडब्ल्युडी से, उससे जाकर देखने को कहा अध्यक्ष जी, और उन्होंने जब देखा तो पता लगा कि जो शरणार्थी आए हुए हैं... मैं व्यक्तिगत तौर पर बिना जाति, बिना धर्म, बिना देश के हिन्दुस्तान ही नहीं, विश्व के जितने भी हमारे शरणार्थी होते हैं, उन सबका मैं खुद समर्थन करती हूँ कि मानवीय आधारों पर इन

देशों को; कोई भी देश हो, इन्हें संरक्षण देना चाहिए। मानवीय आधार पर इन्हें वो सभी सुविधाएँ; चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी है, रोजगार है, सीवर है, पानी है, शौचालय देने चाहिए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी आज जो पाकिस्तान से हमारे शरणार्थी भाई–बहन आए हैं, उन्हें मजनूँ टीला के साथ में जो है यमुना बेल्ट पे, भारत की सरकार ने बसाया हुआ है, मजबूरी है। जमीन खोदी नहीं जा सकती, सीवर लाइन, पानी लाइन नहीं दे पा रही, शौचालय नहीं दे पा रही हूँ। पीछे उनके यहाँ आग भी लग गई थी। इमरान हुसैन भाई, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करती हूँ, जितने भी परिवार जलके खाक हुए, हर एक परिवार को दिल्ली सरकार ने 25 हजार रुपया मानवीय आधार पर मद्द भी की और वो अभी मुझसे लगातार माँग कर रहे हैं, उनके बच्चों को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा भी देने की जो है, व्यवस्था की हुई है। उन्हें हम स्वास्थ्य सुविधाएँ दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें दिल्ली का जो हमारा डूसिब विभाग है, उन्हें वहाँ पर शौचालय उपलब्ध करा दिए गए हैं। बिजली के कनेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने किसी तरह उसकी भी कुछ समय तक जनरेटर लगाकर व्यवस्था की, बात ये आ रही है अध्यक्ष जी, भारत की सरकार को अगर पाकिस्तान के इन हिन्दुओं को बसाना है, हम स्वागत करते हैं। मानवीय आधार पर कोई भी हो, उसे बसाइए। लेकिन उसे उस तरह की जिंदगी तो दीजिए, वो नरक की जिंदगी में जी रहे हैं और अब हिंसा होने लग गई है। क्योंकि उन्होंने रोजगार के लिए नाले में पूरा सीमेंट ईंट डालकर अपनी दुकानें, अपनी झुग्गी, अपने घर बना लिए हैं। जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए

दिक्कत हो रही है और पीडब्ल्युडी का अधिकारी जब मौके पे पहुँचा तो मुझे जवाब मिला जब मैंने पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की? आज भी लोग उतनी ही परेशानी में हैं। उनका सीवर का पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा हम उस कैम्प में गए थे, उस कैम्प में अवैध निर्माण करके बिल्डर माफियाओं के साथ यमुना बेल्ट है, केन्द्र ने बसाया है। मैं आज भी निवेदन करती हूँ केन्द्र सरकार से, ये हिन्दु विस्थापितों को जो आपने यहाँ पे शरण दी है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मानवीय आधार पर उन्हें वो जिंदगी तो दीजिए जिसके वो काबिल हैं। ये केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है; उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार ऐसी जगहों पर बसाइए जहाँ पर उन्हें सीवर, पानी, इंडस्ट्री, रोजगार ये सब तो दे पाएँ। सिर्फ लेकिन आपने भारत की राजधानी दिल्ली को चुना है ताकि आप दिखा पाएँ कि हिन्दू शरणार्थियों को लेकर पाकिस्तान में क्या होता है और हम क्या करते हैं। सिर्फ 2019 की राजनीति के तहत आप इतना गंदा खेल कर रहे हैं कि आज हिंसा हो रही है। हमारे पीडब्ल्युडी के अधिकारी ने लिखित में दिया है कि जब वो नाला खुलवाने के लिए गए, उन्हें पीटा गया है, अध्यक्ष जी। पुलिस ने संरक्षण देने से हमारे पीडब्ल्युडी के अधिकारी–जेई को मना कर दिया है और उन्होंने एक लैटर लिखकर मुझसे इस चीज के लिए जो असहायता जताई है कि हम कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। हम पर हिंसा हुई, हमें मारा गया। पुलिस ने संरक्षण नहीं दिया। मैं आपसे चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, इसका हल क्या हैं? इसका हल क्या है? क्या मजनूँ, टीला तिब्बत कालोनी के जो लोग हैं क्योंकि तिब्बत कालोनी भी पूरी तिब्बत से आए हुए हमारे शरणार्थी लोग हैं, जो बसे हुए हैं। बीच में एक मजनूँ

टीला पूरा गुरूद्वारा आता है और उसके बाद पाकिस्तानी हिन्दु से आए शरणार्थी हैं।

मैं आज भी निवेदन करती हूँ एल.जी. साहब ने डीडीए की जमीन यमुना बेल्ट उन्हें बसाया हुआ है। इतने सालों से अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं और ये हिंसा हो रही है। आपस में लड़ाई–झगड़े करवाए जा रहे हैं। अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, हल नहीं दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है। मैं कहूंगी, 2019 की राजनीति छोड़िए, उन विस्थापितों को वहाँ से हिन्दुस्तान के किसी भी कौने पर एक अच्छी मानवीय जिंदगी दीजिए और इस तरह की जो हिंसा हो रही है जिसका फायदा आप जो सोच रहे हैं, 2019 में उठा लेंगे। मुझे लगता है, ये बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अध्यक्ष जी, उम्मीद करती हूँ पीडब्ल्युडी के इन अधिकारियों को पुलिस से सुरक्षा मुहैय्या कराई जाए, जो अतिक्रमण किया गया है, नाले को बंद कर दिया गया है; पीडब्ल्युडी की तरफ से, उसको खुलवाया जाए ताकि लोगों की... जो पीछे लोग है, उनकी जिंदगियाँ बदतर न हो। राजनीति से ऊपर उठकर इसके समाधान खोजने की हम सबको जरूरत है। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी, अनुपस्थित? हाँ, बोलिए, गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर आज बोल रहा हूँ, इस विषय पर मैं पहले भी दो बार बोल चुका हूँ और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को स्मरण होगा कि पिछली बार उन्होंने

कहा था कि मैं सभी देहात के एमएलएज को बुलाकर एक मीटिंग लूँगा और इसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय लेंगे और ये विषय है दिल्ली के अन्दर खेती–बाड़ी में उपयोग किए जाने वाले बिजली के कनेक्शनों के ऊपर आने वाले बिल का। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं सुबह घुम्मनहेड़ा गाँव में. .. मेरा गाँव है और वहाँ मेरा दफ्तर है। वहाँ मैं बैठता हूँ। आसपास के 30–40–50 गाँव के लोग रोजाना आते हैं और मैं इसको बड़ा डीपली... आज बताना चाहता हूँ कि एक एकड़ की जो खेती है; 96–97 में जब हम खेती–बाड़ी करते थे और आज भी कर रहे हैं, उसमें और आज में दुगना फर्क आ गया है। उस समय 14–15 हजार रुपये लागत आती थी और आज ये लागत डबल हो गई है। इसको लेकर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसको तो एक तो जो आपका फिक्स चार्ज है, 120 रुपये– 125 रुपये जो आ गया है चार किलोवाट का प्रत्येक किसान के यहाँ पे कनेक्शन है। एक किसान का जो 80 रुपये बिल आ रहा था चार किलोवाट का, वो बिल आ रहा है अब 480 रुपये। आप सोचिएगा कि डीएपी के दो कट्टे होते थे जी, जो ये खाद होता है, डीएपी 26 रुपये का... मैं एक एकड़ का वो बता रहा हूँ जी, और थोड़ा सा इसको और गंभीरता से सुनना पड़ेगा सुखवीर दलाल जी, शरद चौहान जी और माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी हमारे जितने भी साथी हैं, उनके पास सबके पास ही कम्प्लेंट आती हैं। 26 रुपये का डीएपी यूरिया चार कट्टे डलते हैं, एक एकड़ गेहूँ के अन्दर। 1200 रुपये का पानी का बिल 6 हजार रुपये, दवाई डलती है 500 रुपये की। भाई होती है जो खेत को बहा जाता है 7–8 हजार रुपये खर्च आता है। उसके बाद बीज जो डलता है, 1500 रुपये

का आता है और कढ़ाई, कटाई और ढुलाई 8 हजार रुपये और टोटल बन गए 27800 रुपये लागत आई है आज की तारीख में और इसके अन्दर गेहूँ कितना पैदा होगा 50–55 क्विंटल, 50–55 मण और क्विंटल में इसको करें तो 20 से 22 क्विंटल और एक क्विंटल कितने का बिक रहा है दिल्ली में 1650 रुपये का, 1725 सरकारी है लेकिन हमारे यहाँ बिक रहा है 1650 रुपये जिसके तहत ये टोटल जो आया है, ये 33 हजार रुपये आया है यानी के पूरा 4–6 महीने मेहनत करने के बाद मात्र 5 हजार रुपये किसान को मिल रहे हैं अपनी मजदूरी। पाँच हजार रुपये! और बिल कितना आ रहा है? छः हजार रुपये। लेकिन इसको हरियाणा की जो पूर्व सरकार ने जिस तरह से फिक्स चार्ज किया था 300 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से... अगर इसको कर दें तो ये जो छः हजार रुपये है ये चार महीने में मात्र 1200 रुपये आएँगे और किसान के 4800 रुपये बच जाएँगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर, और इसको अगर हम कर दें... आज तक हमारी सरकार ने किसानों के लिए... मैं धन्यवाद देता दूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आजाद हिन्दुस्तान में पहली बार 50 हजार रुपये हैक्टेयर मुआवजा देने का काम किया। माननीय गोपाल राय जी और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद करता हूँ। मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि ग्रामीण विकास बोर्ड से दो करोड़ रुपये पर विलेज के हिसाब से एक गाँव में फाईनेन्सियल इयर कोई भी हो, एक गाँव में दो करोड़ रुपये पर विलेज के हिसाब से बोर्ड ने... हमारे कामों की सेंक्शन अभी चल रही है जो कि बहुत बड़ा काम है लेकिन ये एक छोटा सा काम रहा है जिसमें मैंने बार–बार बोला। मात्र 12 करोड़ रुपये की सब्सिडी।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए, गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः सर कन्क्लूड कैसे करूं, सर? डेली बीपी बढ़ जाती है। दवाई खानी पड़ रहीं है। किसान आते हैं सर, घर पर।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए।

श्री गुलाब सिंहः बहुत बुरा हाल है भाई दलाल साहब, भाई आप एक बात बताओ। मैं गलत तो नहीं कह रहा। भाई साहब आज ये हालत है मंत्री जी, आप भी ये बता दो। हमारी मीटिंग करवा दो। हाथ जोड़ रहे हैं साहब। हमारी तो हो रखी हैं हालत खराब। मैं हरियाणा पॉलिटिकल रीजन चला जाता हूँ। घर पर मेरे बाबू के कपड़े फाड़े हैं। रोज मेरा बाबू पकड़े मैनें, जनता तो पकड़े, पकड़े। मेरा बाप भी पकड़े। ''अरे तू, करवा क्यों न रहा है इसका?'' हमने... हम कित जां जी? हम कित जांवा? हम किस... भाई, गलत तो नहीं कह रहा, बता दो? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उर्जा मंत्री जी। इतने बड़े–बड़े आपने काम कर दिए। भगवान आपको लम्बी उम्र दे। आप स्वस्थ रहें। शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप लोगों ने... हमारी सरकार ने खूब काम किए। ये छोटा सा एक काम और कर दो जी, मौज हो जाएगी। गंगा जी से नहा जाएँ, नहीं तो मरेंगे। मर जाएँगे जी, मार देंगे लोग बाग। जेल ही ले के आओ जमींदार दुसंगी। नूँ पकड़ लें, बोले या तो करवा, नहीं तो मारेंगे। आठ करोड़ रुपये के पुल का उद्घाटन करा मने झटीकरा गाँव में। उस पुल के उद्घाटन पे मुद्दा ये उठ गया, वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो रद्द हो गया मेरा। सारे जमींदार बोले, ''रे बताओ, बिजली का बिल कद करवाओगा?'' मेरेत हाथ जोडू जी। मैं अध्यक्ष साहब, आपके

सामने जैन साहब ने कही थी। बोला एक दिन मीटिंग कर लूँगा, मैं करवा दूँगा।

माननीय अध्यक्षः जैन साहब, गंगा नहला दो विधायकों को।

श्री गुलाब सिंहः जैन साहब अब की पक्का काम कर दो।

माननीय उर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

श्री सुखवीर सिंह दलालः भाई दो–दो विधायक आ गये हैं। आज थारे बिजली के बिल माफ हो जाएँगे। पूछ लें किसका होता है? मैं बोला भई... ये अभी एक हफ्ते पहले की बात है। वो इसलिए...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जैन साहब। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई विजेन्द्र जी। हाँ जी। माननीय मंत्री जी, आप बोलें। प्लीज।

माननीय ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि फिक्स्ड चॉर्जेज के बारे में बात हुई थी कि किसानों के फिक्स्ड चॉर्जेज अभी जो नया टैरिफ आने वाला है, उसके अन्दर कम करवाये जाएँगे और बाकी जो चीजें ये कह रहे हैं, नई डिमान्ड बतायी है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई विजेन्द्र जी, या तो आप अगले विषय पर लगाते। आप हरेक के विषय में डिस्टर्ब करेंगे? हरेक का विषय है। आप अपना लगाते। आप गाँव वालों के खिलाफ है क्या? नहीं, आप किसानों के खिलाफ हैं क्या? आप किसानों के खिलाफ हैं। बात किसानों की हो रही हैं और फैक्टरी वालों को बीच में ला रहे हो। आप किसानों के खिलाफ हैं। बात किसानों की हो रही है और विषय को भटका रहे हो। बात किसानों की हो रही है और विषय को भटका रहे हो। आप किसानों के खिलाफ हैं क्या? गुलाब जी, बैठिए प्लीज। गुलाब जी, ये समय खराब हो रहा है। सदन का समय खराब हो रहा है, प्लीज। माननीय मंत्री जी।

माननीय उर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊँ कि जो फिक्स्ड चॉर्जेज की बात मेरी सारे सदस्यों से बात हो चुकी है। चार–पाँच जिनके एरिये में आता है, इस बार के टैरिफ ऑर्डर में उसको कम करा दिया जाएगा और बाकी अभी जो नई बात करी है, इसके बारे में बैठ के बात करेंगे।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। मैं भी बाम्बे गया दो दिन पहले। वहाँ पर अडानी को उन्होंने बिजली के दे दिए और 30 परसेंट रेट उसने आते बढ़ा दिए और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो बाम्बे वाले रेट हैं, दिल्ली में कर दें क्या? एक बार रिप्रजेन्टेशन लिखके दे दो। बाम्बे वाले रेट दिल्ली में कर देते हैं।

माननीय अध्यक्षः पवन कुमार शर्मा जी।

श्री पवन कुमार शर्मा: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि मुझे 280 के तहत बोलने का आपने मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में सराय पीपल थल्ला में डूसिब का एक बस्ती विकास केन्द्र है जो एक साल से पॉली क्लीनिक के लिए लीज पर लिया हुआ है और बार–बार बोलने के बावजूद बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जो है, प्रतिभा जी है एम.एस. है वहाँ की। उनको पॉली क्लीनिक के लिए बार–बार बोल लिया। नई बिल्डिंग हैं। पुरानी होने लग रही है और वो स्टाफ की दिक्कत बता रही है कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भई इस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए और दूसरा, एक हजार गज का भूखण्ड जो है, गांधी विहार में डीडीए से पॉली क्लीनिक के लिए मिला है। वहाँ पर समस्या हमारी ये है कि जो लिंक हास्पिटल पाँच किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए वो लगभग बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल सात किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसको या तो डिस्पेन्सरी में कन्वर्ट कर दिया जाए या ये जो दूरी लिंक हॉस्पिटल की जो दूरी है; पाँच किलोमीटर की इसको दस किलोमीटर, आठ या दस किलोमीटर की, परिधि थोड़ी इसकी बढ़ा दी जाए। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि भई जो ये है, थोड़ा सा गौर किया जाये इन बातों का। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत–बहुत धन्यवाद। सुश्री भावना गौड़ जी। माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देंगे?

माननीय उर्जा मंत्री: पहली बात तो ये जो पाँच किलोमीटर की जो लिमिट है, वो सजेस्टिव है। कोशिश की जाती है पाँच किलोमीटर के अन्दर

रखा जाए। अगर उससे एक–दो किलोमीटर बढ़ जाता है तो ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

दूसरा, आपने जो स्टाफ की कमी की बात करी है, सभी को पता है। कई सारे एमएलए साहब नाराज हो जाते हैं। अजेश जी बैठे होंगे। पता नहीं, मेरे को ऐसा मेसेज भेज दिया उन्होंने। पता है? कहते हैं जी, जगजीवन राम में स्टाफ कम कर दिया आपने। ये आये थे। मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाई तो पता लगा। मैंने कहा, भई, इनका स्टाफ पूरा कर दो। अब अफसर कहते हैं उलटा। वहाँ से इन्स्ट्रक्शन तो लेते हैं एलजी के यहाँ से। उन्होंने उठाके कम कर दिया। तो मुझे लिखते हैं जी, जैन साहब ने स्टाफ ट्रांसफर कर दिया। उस ट्रांसफर ऑर्डर पर फाइल पर मेरे साइन दिखा देना कहीं भी। कहीं मेरे पास फाइल आयी हो। आप सभी को पता है कि कोई भी ट्रांसफर किए जाते हैं दिल्ली सरकार के अन्दर पिछले ढ़ाई साल से... कोई ट्रांसफर की फाइल किसी भी मंत्री के पास नहीं आती है। वो अपनी मर्जी से करते हैं और जो अभी रिक्रूटमैण्ट की बात है, स्टाफ की कमी की बात है तो एलजी साहब इस तरह के अड़ंगे अड़ा ही रहे हैं। तो स्टाफ की कमी की वजह से, वो सही कह रहे हैं स्टाफ की दिक्कत हो सकती हैं। जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा। उसके बाद कर देंगे, तुरन्त कर देंगे।

माननीय अध्यक्षः सुश्री भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 280 के अन्तर्गत मैंने रिटन में जो आपको दिया है, इसी विषय से सम्बन्धित दो पंक्तियाँ मैं इसमें बढ़ाऊँगी। उसकी अनुमति मुझे आपसे चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान अपने पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण की उन क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर दिलाना चाहती हूँ जिनकी दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई सुध नहीं ले रहा हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाली बहुत सारी सड़कें खस्ता हालत में हैं जिसके कारण वहाँ के निवासियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन टूटी हुई सड़कों की न तो कोई मरम्मत की जा रही है और न ही इनका पुनर्निमाण किया जा रहा है। जिसकी वहाँ अत्यन्त आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, पालम विधान सभा के अन्दर एक फ्लाईओवर बना है। फ्लाईओवर डीडीए ने बनाया है। नियम के अनुसार जिसका फ्लाईओवर बना होता है, उसके नीचे की सड़क को मेन्टेन करने का काम उसी एजेन्सी का होता है। पालम विधान सभा का फ्लाईओवर क्योंकि डीडीए ने बनाया है, उसके नीचे पड़ने वाली सड़क पर जहाँ से लगभग चार–चार विधान सभाओं के लोग निकलते हैं, बहुत ज्यादा खस्ता हालत में है। अनेक बार डीडीए को पत्र लिखे गये। अनेक बार उनके अधिकारियों से मिले हम लोग लेकिन सड़क का... न तो उस पर मरम्मत हुई और न ही उस पर कोई किसी तरह का पुनर्निर्माण हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी सेक्टर–1, सेक्टर–2 और सेक्टर–7 जो कि पालम विधान सभा में आते हैं। द्वारका के अन्दर पड़ने वाला एरिया है और ये सारा का सारा द्वारका... डीडीए ही उसको मेन्टेन करता है। उसकी सड़कों की देखरेख करता है। उसको नया बनाता है लेकिन

लगभग पिछले तीन, साढ़े तीन साल में डीडीए के द्वारा पालम विधान सभा के द्वारका के अन्तर्गत पड़ने वाले सेक्टर–1, सेक्टर–2 और सेक्टर–7 के अन्दर किसी भी सड़क का न तो पुनर्निर्माण किया और न ही वहाँ किसी तरह की कोई मरम्मत की गयी है। अध्यक्ष महोदय, अनेकों बार मैंने प्रयास किया कि एमएलए को मिलने वाला जो उसका अपना फण्ड है, उसके माध्यम से मैं उन सड़कों का पुनर्निर्माण करूँ या उसकी मरम्मत करूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि नियम के अनुसार हमें एनओसी दूसरी एजेंसी से लेनी पड़ती है। डीडीए के द्वारा मुझे किसी तरह की कोई एनओसी मुझे नहीं मिली जिसके कारण मैं अपने बजट से भी वहाँ कोई काम नहीं करवा पाई।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करूँगी कि डीडीए के अधिकारियों से बातचीत करके पालम विधान सभा क्षेत्र की वो सड़कें जो खस्ता हालत मे हैं, उनका शीघ्र–अतिशीघ्र पुनर्निर्माण करवाया जाए या उनकी मरम्मत की जाए और इसके साथ ही अगर बाइ द वे डीडीए नहीं सुन रहा आपकी तो मुख्यमंत्री पुनर्निर्माण सड़क योजना का फण्ड आपके पास मे उपलब्ध है, मैं निवेदन करूंगी शहरी विकास मंत्री से की उस फण्ड के माध्यम से इन सड़कों का पुनर्निर्माण हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी स्वास्थ्य निदेशालय को तीन सदसीय कमिटी ने गुरू तेगबहादुर हॉस्पिटल की रिपोर्ट सौंपी है और

उस रिपोर्ट मे जो तथ्य सामने आए हैं, वो चौंका देने वाले हैं। वहाँ कहा गया है कि हस्पताल मे दलालों का बोलबाला है। जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की लैब है, पैथालाजी लैब उसमे किट उपलब्ध हैं, टेस्ट हो सकते हैं उसके बावजूद प्राइवेट लैब ओनर्स को रेफर किया जा रहा है और बाहर वहाँ पर कमीशन चल रहा है और सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। अध्यक्ष जी, इसी तरह से जो ये पूरा मामला गुरू तेगबहादुर हॉस्पिटल का सामने आया है; मोर और लेस ऐसी ही स्थिति हर दिल्ली सरकार के हस्पताल मे है। जो योजना लागू की गई थी, उस योजना के तहत उसका दुरुपयोग हो रहा है। करोड़ों रुपया जनता का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हमारा ये मानना है कि ये जो रिपोर्ट आई है और इसमें जो मरीज हैं, उनको निःशुल्क अस्पतालों मे सर्जरी होनी चाहिए जो रेफर किए जाते हैं, वहाँ भी उनसे चार्जेज लिए जा रहे हैं और सरकार भी पेमेंट कर रही है। यानी कि मरीज को दोहरी मार! दोहरी मार ये, सरकार का पैसा भी जा रहा है और मरीज की जेब से भी पैसा जा रहा है। ये सब बातें जो हैं, रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई हैं। हमारा ये कहना है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए क्योंकि ये गंभीर मामला है और इसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, अस्पतालों में सात हजार के करीब... दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गुरू तेगबहादुर हास्पिटल और जहाँ पर हजारों की संख्या मे पेशेंट, आउटडोर पेशेंट आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से उनके नाम पर प्राइवेट पैथोलॉजी लैब जिस तरह से बाहर सड़कों पर बन गई हैं, जिस तरह से एजेंट वहाँ घूम रहे हैं, जिस तरह उनके एजेंट हॉस्पिटल के अंदर आकर सैम्पल इक्ट्ठे कर रहे हैं, पूरे का पूरा मामला जो है, ये

आउट आफ कंट्रोल हो गया है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार... मैं चाहूँगा मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करें, रिपोर्ट जो आई, जो कमिटी की... हालाँकि कमिटी आपने खुद बनाई थी, आपकी ही बनाई हुई कमिटी की रिपोर्ट में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। अगला कदम आपका क्या है, हम जानना चाहते हैं। क्या आप इस सारे जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, इसको रोकने की किस प्रकार कोशिश करेंगे और जो भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है, उससे कैसे आप निपटेंगे?

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ ये गंभीर मामला है।

माननीय अध्यक्षः देखिए, मंत्री जी को जवाब देना होगा, वो देंगे। 280 मे जवाब देने का नियम नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन अध्यक्ष जी, ये हस्पतालों मे जो गड़बड़ हो रही है।

माननीय अध्यक्षः नहीं ठीक है, आपने बोल दिया ना। सदन के नोट मे आ गया, मंत्री जी उचित समझेंगे, उत्तर देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप नहीं देना चाहते तो उसके...

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने 280 के अंतर्गत मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक विधायक की लाइफ में मल्टिपल रिस्पांन्सिबिल्टीज आते हैं। हमें जिस मुद्दे पर बोलना है और क्षेत्र के अंदर जो काम करने हैं, किसी विषय के ऊपर कुछ रिसर्च करना है तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी को कह सकें कि हमारे लिए सर्च कर दो। लोकसभा के अंदर भी और डेवलप्ड नेशन्स में भी। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी फेसिलिटीज हैं। उनकी पार्लियामेंट में कोई रिसर्च विंग हो। उस रिसर्च विंग मे वहाँ का विधायक, वहाँ का पार्लियमैंटेरियन जाता है, कहता है कि जी, हमें इस विषय के ऊपर रिसर्च करके दे दिया जाए। हम सारे विधायक साथी यहाँ हैं, जब भी किसी विषय पर बोलना होता है सदन के अंदर तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम किसके पास जाएँ? सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार ने एक अटेंप्ट किया था कि भई विधायकों की, हमारी सेलरी बढ़ जाए तो हम लोग कुछ अपने आप एम्पलाई कर लेते लोगों को। आज विधायक के पास न तो कोई रिसर्च के लिए आदमी है, न कोई ऑफिस के लिए आदमी है, न कोई ड्राईवर है, न कोई पेट्रोल है, न कोई गाड़ी है, न कोई, कुछ नहीं हैं। हम कैसे करें, क्या करें? अध्यक्ष महोदय, तो मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा था। जैसे आज 1984 के रायट्स पर बोलना है। आज किसी और मुद्दे पर हमें बोलना है तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। एक स्टेनो तक उपलब्ध नहीं है कि हम किसी को डिक्टेट कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, इस नीड के ऊपर हिन्दुस्तान की लोकसभा मे एक 'पार्लियमेंट लाइब्रेरिएन रेफरैंस रिसर्च डाक्युमैंटेशन इन्फार्मेशन सर्विस' की स्थापना की गई है। उसको शार्ट फॉर्म में लॉ डेक कहते हैं। मेरा ऐसा

प्रपोजल है कि आपके नेतृत्व मे दिल्ली विधान सभा के अंदर अपनी लाइब्रेरी के अंतर्गत अगर एक सिमिलर फ्रेमवर्क तैयार की जाए जिसका नाम हम रख सकते हैं 'डार्स' हमने इसको पाइंट किया है, दिल्ली असैम्बली रिसर्च सर्विस। अगर ये विंग स्थापना यहाँ पर हो जाए तो हममे से कोई भी विधायक जाकर के उस रिसर्च विंग को कह सकता है कि जी, हमें फलानी टॉपिक पर आज तक जितनी भी इसके ऊपर बोला गया है और सदन के अंदर या बाहर या जो कुछ भी मैटीरियल उपलब्ध हो तो हमे उपलब्ध करा दिया जाए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चूँकि मैं काफी ज्यादा इससे भुक्तभोगी हूँ। जब भी सदन मे बोलने का मौका होता है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कोई इंडीपेंडेंट साथी नहीं है। कोई उपलब्धता नहीं है। कोई इन्टर्न्स नहीं है। इन फैक्ट अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के अंदर एक और फैसिलिटी है वो चलता है, एलएएमपी; लेजिस्लेटिव एसिस्टैण्ट टु मेम्बर ऑफ पार्लियमेंट, उसके अंतर्गत वहाँ पर इंटर्न्स उपलब्ध कराए जाते हैं, मेम्बर ऑफ पार्लियमेंट को। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कोई इंटर्न की भी हेल्प ले सकें। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, दोनों मुद्दों के ऊपर की डार्स, अगर साथी सारे सम्मिलित हों और अगर सभी लोग इस बात के लिए राजी हों तो हम लोग माननीय स्पीकर महोदय को हाथ जोड़कर विनती कर लें के जी, बहुत भुगत चुके। इस मुद्दे, उस मुद्दे के ऊपर। न हमारे पास पैसा है लोगों को एम्प्लॉए करने के लिए, न हमारे पास फैसिलिटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस विंग की स्थापना आपके नेतृत्व मे सरकार के जरिए जो कुछ एडीशन फण्ड उपलब्ध कराके किया जा सके तो बड़ा अच्छा रहेगा और दूसरा, इन फैक्ट इसी के ऊपर

अध्यक्ष महोदय, अमेरिका मे बहुत बड़ा सर्विस चलता है। सारे सीनेटर्स के लिए 'Congressional research service and that usually employees more than 200 researchers. They are all available during the research for senaters. *To hum log hayen kahan?* because unless and until this facilities made available to us we will not be able to give effective legislative work. अगर एमएलए का काम सदन के अंदर जिस कानून का बदलाव करना है, कोई नया कानून लेकर आना है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल मूव करना है, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। साढ़े चार साल करीब करीब होने को हैं हम लोगों को, वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर ये फैसिलिटी आपके जरिए हो जाए और चूँकि माननीय उप मुख्य मंत्री भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो भी इस पर कुछ बता सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका कोई कमिटी बना दें। वो कमिटी इसका कोई रोड मैप बना ले। अगर ये कमिटी बन जाए अगर आप सब साथी कहें कमिटी बन जाए जो डिस्कशन करके, रिसर्च करके इसके ऊपर कुछ अपना सुझाव दे तो बड़ा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक पहलू है जो हमारे क्षेत्र के अंदर काम करना होता है। एमएलए लैड फण्ड के ऊपर कोई भी काम कराने के लिए, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं हमें सेक्रेट्रिएट के, हम बता नहीं सकते हैं आपको। जो एमएलए लैड की आपने फेसिलिटी दी थी, एक वेब साइट; mlalad.delhi.gov.in वो फंक्शनल नहीं है। हम जाकर के वहाँ लॉग इन करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। ये न तो हम क्षेत्र के कामों को गति दे पा रहे हैं, न हमारा जो लेजिस्लेटिव वर्क है, उसको गति दे पा रहे हैं

तो दोनों तरफ से हम बहुत अगर चूंकि अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था और सारे राज्यों के मैंने वेबसाइट देखे तो सबसे बेस्ट वेबसाइट निकला इसका, उड़ीसा का। उड़ीसा का वेबसाइट जो कि एनआईसी बनाता है जैसा कि जिसने वेबसाइट हमारी बनाई है अगर वो वेबसाइट बन जाए तो हम लोग घर बैठे अपने डाक्यूमेंट को अपलोड कर सकें, डाउनलोड कर सकें। घर बैठे अगर ये सुविधा हम सबको मिल जाए तो जितना वक्त जाया जाता है हमारा सचिवालय आने में और उनसे संपर्क करने में और उनसे बातचीत करने में, इसको हम ठीक कर सकते हैं तो मैं दोनों पहलूओं पर, पहला पहलू रिसर्च का और दूसरा पहलू जो हमारा लैजिस्लेटिव वर्क है, ग्राउंड वर्क जो हमारा विधान सभा का वर्क है, उसके लिए एमएलए लैड फण्ड की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता दोनों के ऊपर अगर एक्सपीडिशियस वर्क हो सके, वेबसाइट को वैसा फंक्शनल बनाया जाए तो हमारी दोनों मांगें हैं, आपके जरिए अगर मंत्री जी भी कुछ कह सकें। आज हमारे उप मुख्य मंत्री जी सदन के अंदर ही है तो बड़ा अच्छा होगा। चूंकि...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथः ये इस वक्त हो क्या रहा है अध्यक्ष महोदय, एमएलए लैड फण्ड में करीब–करीब ऑन एन ऐवरेज एक साल का वक्त लग जाता है वर्क ऑर्डर निकालने में। कंसेप्टुअलाइजेशन से एक्चुअलाइजेशन तक एक साल का वक्त लगता है। आपके पास कुल मिलाकर पाँच साल हैं और पाँच साल में अगर इस तरह से काम होगा तो हम कहाँ के रहेंगे? आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोनों पहलूओं पर आप उचित आदेश... अगर मंत्री जी कुछ कह सकें तो वो भी बड़ा अच्छा रहेगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और मुझे लगता है लोकतंत्र में सारा लोकतंत्र की धुरी विधान सभा से और संसद से घूमता है। हाउसेज जो भी होते हैं, लोकतंत्र में उनसे घूमता है। इनका रिसर्ज के प्वाइंट ऑफ व्यू से डेटा ड्रिवन का इन्फोर्मेशन होना एक लेजिस्लेचर का वेल इन्फार्म्ड, वेल रिसर्च्ड होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। वो पक्ष... कहीं भी बैठे हैं लेकिन हर लेजिस्लेचर के लिए बहुत जरूरी है और दूसरा प्वाइंट जो एमएलए साहब ने उठाया कि सैलरी... निश्चित रूप से सैलरीज बहुत मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस आधार पर वो निर्धारित की गई होगी उस वक्त। कैसे वो एश्योर किया जा सकता था या किया जा सकता है अभी भी कि कोई एमएलए 12 हजार रुपये में अपनी एमएलएशिप भी चला लेगा एरिया में, और बारह हजार रुपये की तनख्वाह में काम कर लेगा। तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने ये विचार किया होगा, उन लोगों ने... ये मानकर चला होगा कि देखो, एमएलए है, पैसा वैसा तो कमाएगा ही। तो ठीक है 12 हजार रुपये भी दे दो उसको बाकी तो कमा ही लेगा धंधे पानी से। जो एमएलए वाले लोग करते हैं। पर अब पहली बार जब ऐसी विधान सभा बनी जहाँ एक–एक एमएलए इस बात को लेकर संकल्पित है कि किसी भी रूप में कहीं भी कोई कमिशन या इस तरह ही चीजें नहीं करने देनी हैं और न ही होने देनी है और न करती है। उस सब के बीच में ये विचार किया गया कि सैलेरी बढाई जाए लेकिन केन्द्र सरकार के दुराग्रह के कारण और सौतेले व्यवहार के कारण अभी भी वो पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है। जब कि जिस वक्त हमने इस

विधान सभा में सैलेरी बढाने का बिल पास किया था, उसी वक्त इसका खूब... आपने भी उस भाषण में कहा, चारों तरफ अफवाह उड़ाई गई कि... भई हुआ ये था कि लगभग 12 हजार रुपये से 50 हजार रुपये उसमें किया गया था, तो बारह हजार को पचास हजार रुपये को भई चार गुणा सैलेरी बढा ली गई... चार गुणा बढा ली गई। वो बढ़ी–वढ़ी है नहीं, बदनाम हो गए और। ऊपर अभी तक नहीं बढ़ी, चार साल हो गए। तो हमारी केन्द्र सरकार से भी गुजारिश है हम लोग गए भी थे कि भई, इसको जल्दी करवाएँ। कम से कम इसी टैन्योर में करवा दें, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं, वहाँ इस बात को लेकर कोई वो है और बाकी राज्यों में एमएलएज की सैलेरी बढ़ा ली गई। लेकिन वो एक मसला है जिस पर अभी केन्द्र सरकार के साथ भी फोलोअप करने की जरूरत है। मैं हमारे चीफ सैक्रेटरी नए आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस बात को फोलोअप करें... आपकी ऑफिस की तरफ से रहे। लेकिन सोमनाथ जी ने एक मुद्दा जो उठाया है कि रिसर्च और फैलोशिप और इन सबको स्ट्राँग किया जाए। मुझे लगता है, उसको हम यहाँ मतलब मेरा प्रस्ताव रहेगा और सरकार का आश्वासन भी है कि विधान सभा की या तो कोई कमिटी आप बना दें जो इस बात पर तुरन्त कुछ निर्णय ले ले कि दिल्ली में हॉयर एजूकेशन का भी बहुत अच्छा रिसर्च और सब चीजों का बहुत अच्छा हब है। टैक्नोलोजी से लेकर लॉ से लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डीयू है, यहाँ पर जेएनयू जैसी संस्थाएँ हैं, मतलब देश और दुनिया में जो भी तरह के हॉयर एजूकेशन के एक्सपरटीज हैं, उसके हर तरह के कोई न कोई स्कूल–कॉलेज, किसी न किसी तरह की फैकल्टी यहाँ पर है। तो वहाँ से

हम इन्टर्नशिप लेने की व्यवस्था कर सकते हैं और विधान सभा तय कर सकती है इन्टर्नशिप लेने के लिए डिसाइड कर सकती है। इसी के साथ–साथ सरकार ने भी अलग–अलग विषयों पर बहुत सारे फैलोशिप मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना के तहत लागू किए हैं और बहुत जल्द हम सरकार में उनके साथ उनकी सेवाएँ लेना शुरू करने वाले हैं; करीब पन्द्रह बीस महीने में। वो भी प्रोग्राम एलजी साहब ने रोक दिया था। लेकिन चार जुलाई को इस विधान सभा को और इस सरकार को डिसिजन लेने की पॉवर मिलने के बाद, स्पष्टीकरण मिलने के बाद में, फिर से उसको शुरू किया गया है। प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरण में है। मुझे लगता है हम महीने भर में इसको कर लेंगे। लेकिन उसी तर्ज पर हमें लगता है, दिल्ली विधान सभा भी अपने विभिन्न कार्यों के लिए लैजिस्लेचर सम्बन्धित कार्यो के लिए, विधायकों की सहायता के लिए, विधायक किसी मुद्दे पर रिसर्च करना चाहे, क्योंकि यहाँ ऑफिसर्स हैं और उनकी संख्या और उनकी ऊपर की रिसर्च ओरियेन्टेशन उनका रिसर्च बैण्डविड्थ का मैं समझता हूँ, उतना है नहीं है जितने की जरूरत है, कम से कम एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर को जितनी जरूरत है। तो फैलोशिप भी आप इन्ट्रोडयूस कर सकते हैं, विधान सभा इन्ट्रोडयूस कर सकती है और स्कॉलरशिप भी कर सकती है। तो अलग–अलग प्रोग्राम बनाकर जिस में अलग–अलग कोई कमिटी इस पर बैठ सकती हैं और ये कमिटी तुरन्त बहुत तेजी से इस पर निर्णय लेकर, आप उस कमिटी को अधिकृत भी कर सकते हैं सदन की ओर से भी कि निर्णय लेकर उसको आगे बढ़ा दे, सचिव साहब के माध्यम से। दिल्ली सरकार की ओर से मैं आपको ये आश्वासन दे सकता

हूँ कि इसके लिए जितने भी फण्ड की जरूरत होगी और मैं कहूँगा कि पर्याप्त मात्रा में लिए जाए क्योंकि अगर सदन चाहे तो हर विधान सभा के लिए कुछ रिसर्च के लिए इन्टर्नशिप के लिए और अलग–अलग सब्जेक्टस के लिए भी रख सकते हैं। सदन अपने सचिवालय के लिए भी रख सकता है। पूरा विधान सभा अपने सचिवालय के लिए फैलोज रख सकती हैं। तो जितनी भी संख्या में हो, इसको मजबूत करने की जरूरत है। इसकी नॉलेज को इसके बैंडविड्थ को जितना हम रिसर्च कर सकें, मैक्सीमम रिच हमारी असेम्बली होनी चाहिए, नॉलेज के प्वांइट ऑफ व्यू से, एनॉलिटिकल प्वाइंट ऑफ व्यू से, वेल इन्फार्म्ड, वेल रेसर्च्ड हमारी असेम्बली होनी चाहिए, ऐसी हमारी भी आशा है। और इसके लिए सरकार की ओर से जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितना भी उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मैं वैसे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जीपीसी की मीटिंग में जिसका मैं स्वयं चेयरमैन हूँ, अभी हमने निर्णय लिया था कि क्योंकि केन्द्र सरकार ने पेपरलेस करने के लिए सब विधायकों को... घर से भी वो काम कर सकें, जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने उलझा कर रखा तीन साल तक, जो योजना बनी थी, उसके अन्तर्गत हमको बजट नहीं दिया। वो काफी लम्बा विषय हो जाएगा। अभी जीपीसी ने निर्णय करके अगले वर्ष हम इस पर काम शुरू कर सकें, आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार से 20 करोड रुपया माँगा है, लैटर भेजा है हमने और उसके अन्तर्गत हम इस योजना पर काम कर रहे हैं, एक बात। और आपका ये लैटर मैं जीपीसी को, जनरल प्रपज कमिटी को रैफर कर रहा हूँ जिसका मैं चेयरमैन भी

हूँ और उसमें स्पेशल इन्वाइटी के नाते से हम सोमनाथ जी को उसमें रख रहे हैं। बाकी उसमें हम सारी चर्चा उसमें करेंगे। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम उसमें चर्चा कर लेंगे जी। देखो, फैलो–शिप के लिए, रिसर्च के लिए जो–जो चीजें हो सकती हैं, उस कमिटी में हम चर्चा, करेंगे आपको स्पेशल इन्वाइटी... जल्दी उस मीटिंग को रखेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे, प्लीज। मैं स्वयं उसका अध्यक्ष हूँ। हम करेंगे उसको। वो हम करेंगे डिस्कश। श्री गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने नियम 280 के तहत मेरे क्षेत्र की समस्या पर बोलने का मौका दिया। मेरे यहाँ दो डीएसआईडीसी के शेड्स हैं। जो कि पन्द्रह या बीस साल पहले बने थे। अब पन्द्रह बीस साल पहले अभी हमारे उप मुख्य मंत्री साहब बता रहे थे किस तरह की सरकारें होती थी, कमिशन बाजी होती थी। तो आप उससे अन्दाजा लगा सकते हो, उस शेड की हालत इस समय क्या होगी। वो सभी जगह दिल्ली में समस्या, एक ही समस्या आ रही है। उसमें डीएसआईडीसी के शेड की हालत जो है, इतनी खराब है कि कहीं से तो लगता है एक डबल स्टोरी बना हुआ है। कहीं से गिर न जाए, जीना न गिर जाए या इसकी बालकनी में से कुछ न हो जाए। बहुत ही ऐसी स्थिति में, खराब स्थिति में। दूसरा जो सिंगल... उसमें तो एक शेड की दोनों तरफ से दीवार गिर चुकी है। अब दोनों तरफ से दीवार गिर चुकी है। वहाँ रेजिडेंशियल एरिया है। हमने डीएसआईडीसी से कहा कि इसको रिपेयर करा दो। डीएसआईडीसी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा रिपेयर का फण्ड नहीं होता। हम इसमें नहीं लगाएँगे। ये वो ही लोग कराएँगे, जिनको अलाट किया हुआ है शेड। क्या

उसमें अलाटमेंट के समय ये था कि भई, ये सभी उस शेड को खुद रिपेयर कराएँगे। अब पता नहीं कि इसमें से क्या ऐसा हो रहा है कि मैंने जब डीएसआईडीसी को जब लिखा, डीएसआईडीसी ने कहा कि आप इसमें से जब लोगों की समस्या आसपास के लोगों की भी आ रही हैं तो आप इसमें एमएलए फण्ड लगा सकते हैं। मैने कहा एमएलए फण्ड से लगा दीजिए, कोई नहीं। इसका एस्टीमेट बना दीजिए। यूडी में जब उसको लगाया गया तो उन्होंने कहा कि जी, डीएसआईडीसी में एमएलए का फण्ड ही नहीं लग सकता। एमएलए का फण्ड लग नहीं सकता। जो वहाँ पर जिनको शेड अलाट हुए हैं, वो रिपेयर करा नहीं रहे हैं। डीएसआईडीसी कहती है, ''हम रिपेयर करा नहीं सकते।'' वहाँ हालत इतनी खराब है, कोई हादसा हो गया... जो दीवार गिरी थी ,वो भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर गिरी थी। दो दिन हॉस्पिटल में रह कर आ गया। सही सलामत है अब। लेकिन हादसा हो सकता है। तो जब ऐसी हालत की कन्डिशन है। तो इसमें क्या विभाग इसके लिए करेगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये सवाल है मेरा कि भई उसको कौन रिपेयर कराएगा या उसके लिए कोई नई तकनीक निकाली जाए, हमने तो ये तक कह दिया कि एमएलए फण्ड इसके अंदर लगाके इसको रिपेयर करा देते हैं, वो भी नहीं हो पाता और वो करा नहीं रहे हैं या फिर जो डीएसआईडीसी के पास ऐसा कुछ है कि भई उनको जिनके शेयर हैं, उनको कोई नोटिस भेजकर कि भई आप इनको तुरंत रिपेयर कराइए, अगर उनको अलॉटमेंट के समय ऐसा कुछ दिया गया है। तो ये दिल्ली में सभी जगह ये हालत है और डीएसआईडीसी के पास कोई पैसा

नहीं है इसके लिए, रिपेयर कराने के लिए तो कैसे रिपेयर होगा वो? मंत्री जी से मेरा सवाल है, उसका मंत्री जी उत्तर दें तो बहुत अच्छा है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके समक्ष दिल्ली होमगार्ड के जो हमारे नौजवान जो काम कर रहे थे, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज दिल्ली के अंदर होमगार्ड में काम करने वाले 10285 होमगार्डस के लोगों की जरूरत है। लेकिन वर्तमान में 4550 होमगार्ड के जो लोग हैं वो कर रहे थे जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें काफी जरूरत है। एक्ट के अंदर 52 जो महिलाएँ, हमारी जो होमगार्ड में थीं, उनको वापिस ले लिया गया, बाकी जिन होमगार्ड के नौजवानों को निकाला गया, उनको आज तक नहीं रखा गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न है उन लोगों की भावनात्मक बात को रख रहा हूँ कि आज उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी है और उनका पूरा का पूरा परिवार भुखमरी का शिकार हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो जाएँ कहाँ पर? और ये सारे दस्तावेज माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं चार लाइन पढ़ सकता हूँ इसमें। इसमें लिखा हुआ है जो ऑर्डर की कापी है,

Extension of tenure of existing Home Guard volunteers. Currently there are 4550 home guards volunteers seeding on the role of this

directive majority of tenure completing their 9 years tenure in February-March 2018. It is, therefore, proposed that these existing home guards volunteers may be granted extension of tenure for another 2 years. In addition to their current tenure of 9 years. 3+2+1+2= 9 years. Making a total of 11 years. It is there are where extension of tenure have been granted in similar situation of shortage in year 2014, 15 and 16. By Government notification after obtaining an approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi. This step would have no financial burden on Government. *Doosari line hai iski second line of Order copy…jo maine pahle kaha hai ki* sanctioned strength of 10285. There are 4000…

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, ये इसके साथ, बाजपेयी जी, ये आप इसके साथ अटैच कर दीजिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः मैं सर अटैच...

माननीय अध्यक्षः इसको अटैच कर दीजिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, मेरा मतलब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और ये मेरा अकेला कुछ नहीं है ये इसके अंदर 15 दिल्ली विधान सभा के 15 लोगों ने चिट्ठी लगाई हुई है। जिसमें फतेह सिंह जी की भी है, नितिन त्यागी ने भी लगाई हुई है, बग्गा जी ने भी लगाई हुई है, मनोज कुमार जी ने लगाई हुई है और विपक्ष के हमारे जो हमारे साथी हैं, जगदीश प्रधान जी का भी इसमें पत्र लगा हुआ है। तो सारे विधायक अगर इस बात को कह रहे हैं सर, एक तो हर आदमी का है, हम लोग

भी कोई भी हो, इन पर भावनात्मक उनके विचार किया जाए और इन बेचारों को नौकरी पे माननीय मंत्री जी, रखा जाए। जब 52 महिलाओं को रख लिया गया है तो इन बेचारे पुरूषों को भी रखा जाए और ये आफ्टर काम करते हैं और जो होमगार्ड के लोग हैं, आपदा आ जाए तो ये काम करते हैं, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो होमगार्ड थानों में जा के सारा काम करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और जब उन लोगों को रखा है तो इनको भी नौकरी पे रखा जाए। ये सर, मैं आपको दे रहा हूँ सर।

माननीय अध्यक्षः ठीक है, बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, लगातार पिछले सदन में भी हमने 280 के माध्यम से हमारे क्षेत्र में 11 स्लम एरिया हैं और उन सभी स्लम में दो साल से लाइटों की दुरूस्त व्यवस्था नहीं है। कहीं तो लाइटें खराब हैं और बहुत जगह लाइटों को काट दिया गया है। एमसीडी द्वारा एनडीपीएल, टाटा पॉवर को बिल नहीं पेमेंट करने की वजह से सभी लाइटों की सर्विस देना बंद कर दिया गया है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र में लगातार अपराध की संख्या बढ़ रही है और अपराधियों की छुपने की जगह स्लम बन गया है और स्लम के साथ ही, रोज अपनी लड़कियों को घर के अंदर रखने लगे हैं, शाम होते वो घर के बाहर नहीं निकलने देते और स्लम के अंदर जितना भी इल्लीगल ऐक्टिविटी है, अपराधियों की जितनी भी ऐक्टिविटी है,

वो बढ़ गयी है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ जो स्लम के अंदर लाइट जल्द से जल्द लगवाई जाए और कौन सा डिपार्टमेंट इस लाइट को लगाएगा और इसकी देखभाल कौन करेंगे, ये जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। लगातार एक साल से हम इस समस्या को लेके हमारे स्लम के साथी परेशान हैं, बस्ती के लोग परेशान हैं, बस्ती की महिलाएँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, बेटियाँ शाम के बाद नहीं निकल रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, जय हिन्द!

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। सरकारी आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन श्री जितेन्द्र सिंह तोमर जी उपस्थित नहीं हैं, श्री मदन लाल जी, तोमर जी, हाँ, तोमर जी, सॉरी, प्लीज। प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात [4]

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। अब माननीय मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वर्ष 2014–15 एवं

4. www.delhiassembly.nic.in पर तथा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 20482 पर उपलब्ध।

2015–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों की अंग्रेजी और हिन्दी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों की अंग्रेजी और हिन्दी की प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी, उर्जा मंत्री कार्यसूची में दर्शाये गये अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय, ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक–3 के उप बिन्दु–2 में दर्शाये गए अपने विभागों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ[5]

1. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 के संदर्भ में; दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ.17(85)/डी.ई.आर.सी/इंजि0/2017–18/5855/2680 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 (अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतियाँ)

2. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डी.एस.आई.आई.डी.सी) का वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतियाँ)

5. www.delhiassembly.nic.in पर तथा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या 20427–30 पर उपलब्ध।

विधेयक का पुरःस्थापन

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 (वर्ष 2019 का विधेयक संख्या 5) को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन माँगेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 (वर्ष 2019 का विधेयक संख्या 5) को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे।

माननीय, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली विनियोग (संख्या–04) विधेयेक, 2018 वर्ष (2018 का विधेयक संख्या 06) को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अनुदानों की पूरक मांगें 2018–19 अब उप मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री 2018–19 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश करेंगे।

अनुपूरक अनुदान माँगों (2018–19) का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण

माननीय उप मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker sir I present 2nd batch of supplementary demands for grants for the year 2018-19 before the House.

माननीय अध्यक्षः अब सदन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड पर डिमांडवाइज विचार करेगा। डिमाण्ड नं–2. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता;

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं.–2 पास हुई।

डिमाण्ड नं–3. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब, 37 करोड़, 37 लाख, 53 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं.–3 पास हुई।

डिमाण्ड नं.–5. होम, जिसमें कैपिटल में 10 करोड़ 54 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं.–5 पास हुई।

डिमाण्ड नं–6. एजुकेशन, जिसमें रेवेन्यू में 29 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं–6 पास हुई।

डिमांड नं–7. मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ, जिसमें रेवेन्यू में 10 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं– 7 पास हुई।

डिमाण्ड नं– 8. सोशल वेल्फेयर जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब, 37 करोड़, 50 लाख रुपये हैं और केपिटल में 9 अरब, 8 करोड़, 59 लाख, 25 हजार रुपये कुल राशि 12 अरब, 46 करोड़, 9 लाख, 25 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं–8 पास हुई।

डिमांड नं–9. इंडस्ट्रिज जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं. 9 पास हुई।

डिमांड नं–10. डेवलपमेंट जिसमें रेवेन्यू में हैं 6 लाख रुपये एवं केपिटल में 25 करोड़ रुपये हैं, कुल राशि 25 करोड़, 6 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नं–10 पास हुई।

डिमाण्ड नं–11 अर्बन डेवलेपमेंट एण्ड पब्लिक वर्क्स जिसमें रेवेन्यू में तीस लाख रुपये कैपिटल में 33 करोड़ कुल राशि... ये थोड़ा गलत लिखा गया है मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ जिसमें जिसमें रेवेन्यू में तीस लाख रुपये, कैपिटल में 33 लाख रुपये, कुल राशि 63 तीस लाख रुपये है, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर 11 पास हुई

डिमांड नं.–14. जिसमें कैपिटल में 90 करोड़ रुपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर 14 पास हुई।

हाऊस में कुल मिलाकर रेवेन्यू में चार अरब 75 करोड़ 64 लाख 53 हजार रुपये कैपिटल में दस अरब 34 करोड़ 40 लाख 25 हजार रुपये, कुल राशि 15 अरब दस करोड़ दस लाख 78 हजार की सप्लीमैंटरी डिमाण्ड को मंजूरी दे दी है।

विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

ऐप्रोप्रिएशन नंबर बिल 4 बिल 2018 बिल नंबर 6 आफ 2018 माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल नंबर छह 2018 हाऊस में इंट्रोडयूस करने की परमीशन माँगेंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation number 4 bill no.6, 2018 of the House.

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ

अब माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बिल को सदन में इंट्रोडयूज करेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker sir, I introduce Appropriation no. 4 bill 2018 to the House.

माननीय अध्यक्षः अब बिल पर क्लाज वाइज विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–दो, खण्ड–तीन व शैडयूल विधेयक का अंग बनें,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ

खण्ड–दो, एवं खण्ड–तीन एवं शैडयूल बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड–एक, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड–एक, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2018 को पास किया जाये, अनुमति माँगेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker sir, the house may now please pass theAppropriation no. 4 bill 2018.

माननीय अध्यक्षः अब माननीय उप मुख्य मंत्री वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

ऐप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2018 पास हुआ।

अल्पकालिक चर्चा... इमरान हुसैन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? माननीय मंत्री जी।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।

मैं सदन के सामने आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय... मतलब मेरे एरिया का मुददा है... मेरे एरिया का नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का ही मुददा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये कि, मुझे बहुत दुःख है कि ये मुद्दा... मतलब मुझे उठाना पड़ रहा है और ये इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे एरिया के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बीजेपी ने, एमसीडी ने उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया है और अत्याचार क्या कर दिया है। छोटे छोटे मकान हैं। लोगों के दस गज, 15 गज, बीस गज, 25 गज... मेरे एरिया में एक जगह है राम नगर नबी करीम। वहाँ प्रेम नगर है, अमरपुरी है, चिन्नोड़ बस्ती है, कूड़ा खत्ता है। वहाँ पर बहुत छोटे–छोटे मकान हैं, लोगों के 15 गज, 20 गज 10 गज, 5 गज मतलब इतने छोटे हैं कि दो आदमी अगर उस मकान में चले जायें तो उसमें जगह नहीं होती है। अगर चार लोग

बैठे हैं तो जगह नहीं है। वहाँ पर इस वक्त एमसीडी ने एक मतलब, एक लाइन से नोटिस भेज रही है सीलिंग के लिए और उन लोगों को इतना डरा रखा है कि कुछ हद नहीं है। लोग इतने सहमे हुए हैं। मेरे पास आते हैं और ज्यादातर वो लोग कौन हैं, ज्यादातर वो वीकर सैक्शन के लोग हैं, माइनोरिटी के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार समाज के लोग हैं और वो इतने डरे हुए सहमे हुए हैं क्योंकि वो उसी में तो रहते हैं और उसी में थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं। कोई सिलाई मशीन का करता है, कोई हाथ से काम करता है और बहुत ज्यादा परेशान हैं। लाइन से उन्हें नोटिस भेज दियें हैं और वो यहाँ तक परेशान हैं कि अपने बच्चों को लेकर कुछ लोग कल मेरे पास आये और वो कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि ये जो एमसीडी हमें नोटिस भेज रही है, जब हमारे घरों में सील लगा देगी, काम हम कुछ कर नहीं सकते, कारोबार हमारे पास है नहीं, मजदूर लोग हैं। तो सिर्फ अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या करने का ही रास्ता है हमारे पास हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चोरी, डकैती, ये क्राईम बढ़ेगा अगर इस तरीके का हादसा होगा और शरीफ लोग हैं, गरीब भी हैं और शरीफ भी हैं। तो मैं आपका ध्यान ये सीलिंग, जो ये अवैध तरीके से गरीब लोगों को डराया जा रहा है और सीलिंग की तलवार उन पर लटकाई जा रही है, इसकी तरफ दिलाना चाह रहा हूँ।

आज सुबह एलजी साहब के यहाँ मीटिंग थी, इनवायरमेंट की। मैं उस में गया था। वहाँ पर भूरे लाल जी भी आये थे, माइनोरिटी कमिटी की मीटिंग थी। मैंने वहाँ ये मुददा उठाया तो वहाँ दो माइनोरिटी मोनिटरिंग कमिटी बनी

हुई हैं। एक भूरेलाल जी के अंडर में बनी हुई है और एक चीफ सैक्रेटरी साहब के अंडर में बनी हुई है। तो वहाँ मैने पूछा कि ये जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, जिनका दस गज का मकान है या बीस गज का मकान है, उसी में थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं दो चार लोग और ऊपर रहते हैं और इन्हें किस, कौन सी मोनिटरिंग कमिटी इन्हें मॉनिटर कर रही है और इन पर जो अत्याचार हो रहा है क्या इन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये माइनोरिटी के हैं, एससी एसटी के हैं या पूर्वांचल के हैं, क्या सिर्फ इसीलिए इनको नोटिस भेजे जा रहा है? तो वहाँ मुझे ये पता लगा, न तो... भूरेलाल जी से मैंने कहा, ''आप करा रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पॉल्यूशन का देख रहा हूँ।'' फिर मैंने वहाँ चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ देखा और मैंने उनसे कहा, ''क्या ये आपकी जो मॉनिटरिंग कमिटी ये करा रही है?'' तो उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैंने एमसीडी कमिशनर से पूछा कि ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने पता नहीं, किसी पुराने केस का हवाला दिया, मतलब ये मैं आपकी नोलेज में लाना चाह रहा हूँ कि मॉनिटरिंग कमिटी के नाम पर भी बहुत सारी ये एमसीडी जो है, उन वीकर सैक्शंस को टारगेट कर रही है, गरीब लोगों को शायद सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही है कि वो इन लोगों को वोट नहीं देते। मॉइनोरिटीज को टारगेट कर रही है, पूर्वांचल के जितने लोग हैं, बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उनको टारगेट कर रही है। मेरे एरिया में एक वार्ड आता है जो कि एससी वार्ड है राम नगर नबी करीम, उसके अंदर एक जगह है प्रेमनगर, अमरपुरी चिन्नोट बस्ती, कूड़ा खत्ता तो उसको स्पेशली टारगेट किया गया है इसके अंदर... और लाइन से भेज रहे

हैं, लाइन से नोटिस भेज रहे हैं मतलब दस गज, बीस गज में अगर कोई आदमी रह रहा है और उसके घर को सील करने का आप नोटिस भेज रहे हो, किस आधार पर भेज रहे हो? तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप एमसीडी कमिशनर को नोटिस दें और उन्हें बुलायें और इस पर जल्द से जल्द सदन कोई इस पर हल निकाले और इसको तुरंत प्रभाव से कि इस तरीके का तो न करें। अगर मॉनिटरिंग कमिटी को सुप्रीम कोर्ट ने पॉवर दी है। तो पॉल्यूशन रोकने के लिए दी है ना। लेकिन ये थोड़ी है कि गरीब आदमियों को, अब वो आत्महत्या करने तक को लोग बाग तैयार हैं। इसका हक किसने दिया है उन्हें? और ये जो अवैध तरीके से नोटिस भेज रहे हैं, वो किसके कहने से भेज रहे हैं? क्या बीजेपी के कहने से भेज रहे हैं? धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सीलिंग पर चर्चा करवा लेंगे, थोड़ा रुकिए अभी। उनका विषय उठा है। सीलिंग के लिए दिल्ली की जनता बहुत दुखी है।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा नियम 55, श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस चर्चा में भाग लेने का सदन में मुझे मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर मामला है जिसके ऊपर आज इस चर्चा को मैं शुरू कर रहा हूँ और इस देश के लिए बहुत जरूरी है कि सन् 1984 के अंदर जब इस देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी... 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी हत्या हुई थी। और 31 अक्टूबर, 1984 के बाद जिस तरीके से दिल्ली की गलियों में सिक्ख समुदाय के लोगों का कत्लेआम किया गया और जो ऑफिशल डेटा है, जिसको हम कह सकते हैं कि सरकारी डेटा जो होता है, उसके अंदर तो कम से कम चीजों को करके रखा जाता है, उस सरकारी डेटा के हिसाब से भी दिल्ली के अंदर उस समय कुछ दिनों के अंदर–अंदर 2,733 सिक्ख समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।

अध्यक्ष जी, 1984 को 2018 में करीब 34 साल हो गए हैं और ये कत्लेआम कोई ऐसा कत्लेआम नहीं था जिसके अंदर कहीं पर चोरी छुपे ये हुआ हो। सब लोगों को, जिन–जिन इलाकों के अंदर ये कत्लेआम हुआ था, सब लोगों को मालूम है कि कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, किस पार्टी के लोगों ने उन कत्लेआम करने वाले लोगों को सरंक्षण दिया था। कोर्ट ने खुद अपनी जो जजमेंट अभी दी है, हाल ही में हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई है। अध्यक्ष जी, उसके अंदर कोर्ट ने खुद ये लिखा है कि ये जो कत्लेआम था ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमेनिटी था। इसका मतलब ये वो अपराध था जिसके अंदर पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड... पूरी सरकार द्वारा प्रायोजित ये कत्लेआम था और इस कत्लेआम के अंदर पहली बार किसी बड़े राजनेता को हिंदुस्तान के अदंर मुझे लगता है खास तौर पर 1984 के दंगों के अंदर एक सजा दी गई है और ये एक कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार, हालाँकि

इनका नाम मुझे लगता है कि सज्जन नहीं कहलाना चाहिए, दुर्जन कुमार है, दुर्जन कुमार जो है इनको आजीवन कारावास की सजा हुई है। हम धन्यवाद करना चाहते है कोर्ट्स का, न्यायालय का कि उन्होंने ये सजा इनको सुनाई है।

मगर अध्यक्ष जी, इसके अंदर एक खास बात ये है कि कोर्ट के अंदर ये जो मामला आया, ये 2010 में आया। 2010 में ये मामला कोर्ट में आया। 2013 में लोअर कोर्ट ने इसके अंदर एक डिसीजन दिया और अब दुबारा अपील के अंदर जब ये मामला गया तो 2018 में इस मामले के अंदर ये फैसला आया है।

अध्यक्ष जी, अगर हम कही सुनी बातों पर न भी जाएँ और सिर्फ उस रिकॉर्ड पर जाएँ जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर है। सिर्फ आप दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को भी अगर पढ़ें तो ऐसी–ऐसी घटनाओं का जिक्र है कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि ये इसी समाज के लोग थे, जो हिंदू–सिख एक साथ गलियों में, मौहल्लों में एक साथ रहते थे। जो एक दूसरे के त्यौहारों पर एक साथ त्यौहार मनाते थे। रोज का जिनके घर आना जाना था। उस हिंदू समाज के दिल में इतना जहर भरा गया, इतना जहरीला उस समाज का एक तबका हो गया कि उन्होंने अपने भाइयों का, इस बेरहमी से कत्ल किया कि आप अगर पढ़ भी लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे।

एक जिक्र किया है राम अवतार शर्मा, एक हिंदू परिवार है, जिसने शरण दे रखी थी कि कुछ सिक्ख पड़ोसियों को शरण दे रखी थी, शिव मंदिर

मार्ग का ये हादसा है जो हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर जिसका जिक्र है। उस हिंदू परिवार के घर पर रात को हमला किया गया, इंदिरा गांधी की असेसिनेशन के अगले दिन 1 नवम्बर, 1984 को। माँ के सामने उसके जवान बेटे को पीट–पीटकर मार दिया गया। सर कुचल दिया गया, क्रश टु डेथ, पति को गली में निकाल कर मारा गया, जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। और जब वो औरत पुलिस के पास गई, दिल्ली पुलिस के पास गई तो पुलिस के एएसआई ने उसको ये कहा, ''भाग यहाँ से, अभी तो और भी मरेंगे, जब सारे मर जाएँगे तो जो कुछ होगा, सबका इकट्ठा होगा।'' ये पुलिस के एएसआई के शब्द थे उस औरत को, जिसका पति और जिसके लड़के को जिंदा जलाकर मार दिया गया।

उसके बाद उस जगह का जिक्र किया जाता है कि एक रजनी बाला थी हिंदू, जिनके घर में कुछ और सिक्ख थे, छुपे हुए थे, शरण मांगने गए थे। उनके घर कुछ फौज के अंदर जो ठेकेदार काम करते थे, तीन सिक्ख भाई थे जिनको आसपास के लोग ठेकेदार कहा करते थे, उन्होंने उस घर के अंदर शरण ले रखी थी। पूरी की पूरी xxx[6] की भीड़ उस घर के बाहर लाठियों के साथ, तलवारों के साथ, सरियों के साथ हमला कर रही थी, ...(व्यवधान) गुंडों की थी जिसमें ज्यादातर xxx थे, मैं xxx हूँ इसलिए मैं इस चीज को मुझे लगता है कि इस्तेमाल कर सकता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ...(व्यवधान)

6. XXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं खुद इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। एण्टी सोशल एलीमेंट की ...(व्यवधान) ठीक है। एण्टी सोशल एलीमेंट की भीड़, कांग्रेस के गुंडों की भीड़, अगर मेरे भाइयों को एतराज है तो ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, हम आपस में चर्चा करेंगे, सदन को...

...(व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं ये कह देता हूँ कि ज्यादातर कांग्रेसी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये xxx शब्द निकाल दीजिए इसमें से।

श्री सौरभ भारद्वाजः xxx शब्द निकाल दिया जाए। कांग्रेसी गुंडों की भीड़ और उनके द्वारा बरगलाए लोगों की भीड़ उस घर के बाहर, उन्होंने घर का दरवाजा जला दिया और जब जलाकर उनको लगा कि दूसरा दरवाजा था, उन सिक्खों तक नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर एक अम्बेसडर कार आई, अम्बेसडर कार के अंदर दुर्जन कुमार, सज्जन कुमार बैठे हुए थे। वो बाहर निकले। 40–50 लोग जो पहले उस घर के बाहर थे, वो उस कार के पास पहुँचे और उन्होंने उनको बताया कि इन सिक्खों को, उस सज्जन कुमार ने कहा सिक्ख साला एक नहीं बचना चाहिए। ये जजमेंट के अंदर से बता रहा हूँ। अध्यक्ष जी, जो हिंदू भाई इनको शरण देता है, उनका घर भी जला दो, उनको भी मारो, ये सज्जन कुमार के शब्द थे। क्योंकि भीड़ ने कहा कि अभी हिंदूओं ने शरण दे रखी है सिक्खों को, हम क्या करें? अध्यक्ष जी, उस वक्त भी इंसानियत थी मगर सज्जन कुमार ने कहा कि हिंदूओ को भी मारो, जो शरण देते हैं। उसके बाद वो भीड़ दुबारा उस घर पर आई, सज्जन कुमार साथ आए और उन्होंने निरीक्षण किया,

उन्होंने कहा तुमने तो सिर्फ ये दरवाजा जलाया है, उनका क्या होगा और सज्जन कुमार चले गए, भीड़ ने नारे लगाए, इन सिक्खों को मारो, इन गद्दारों को मारो, हिंदुस्तान में एक भी सिक्ख जिंदा नहीं बचना चाहिए। अध्यक्ष जी, गद्दारों को मारो, एक भी सिक्ख जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये वो ही नारे हैं जो 1992 में मुम्बई में लगे और 2002 में गुजरात में लगे। उस वक्त 1984 में सिक्ख गद्दार थे, 2002 में मुसलमान गद्दार थे। नारे वो ही थे, पार्टियाँ बदल गई, विक्टिम बदल गए। और उसके बाद उन भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। एक भाई बच गया, उसको नहीं मालूम था कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ। वो किसी तरीके से जान बचाके जिस फौज में वो काम करता था, उसके मेजर के घर पहुँचे, उस मेजर साहब का नाम था... गोपीनाथ बाजार में वो रहते थे मेजर धनराज यादव, उसको तब भी भरोसा था एक हिन्दु ऐसा भी है जिसके अंदर इंसानियत है और वो मेजर यादव अपने 6 सिपाही सिक्ख रैजमेंट के लेके उनके साथ आए कि हम आपके भाई को बचाएँगे। मगर जब वो वहाँ पे आए वापस उस इलाके में तो उन्हें पता चला, दोनों जो उनके भाई थे, उन दोनों को जिंदा जलाया जा चुका था। इसके बाद अध्यक्ष जी, उसके अंदर एक ओर जिक्र है, उसमें कई सारे जिक्र हैं मैंने एक दो सिर्फ चीजें निकाली हैं ताकि इस सदन को पता चले कि किस तरीके से इन्सानियत मर जाती है जब आपको अफवाहों के बाजार के अंदर झूठ परोसा जाता है। आपको एक झूठ दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है, ''ये आपके दुश्मन हैं, इनको आपको खत्म कर देना है और इनको खत्म करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है और आप ये करिए।'' एक ओर वाकया है

जिसके अंदर हाईकोर्ट ने लिखा है राजनगर गुरूद्वारा, किलिंग ऑफ निर्मल सिंह। अध्यक्ष जी, पालम के अंदर, मैडम के इलाके के अंदर उस वक्त का जिक्र है जब इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हत्या हो गई, दोपहर में, सुबह–सुबह, शाम के वक्त तक उनके परिवार को ये इत्तला आ गई थी कि भई सिक्खों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, आप लोग अपने बच्चों को जितने भी लोग हैं, सबको घर के अंदर रखो। बाहर बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है और ये अपने घर के अंदर थे। रात को या मान लीजिए देर रात को करीब ढ़ाई से तीन बजे इनको ये खबर मिलती है कि अब डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है अब डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस के लोगों की तैनाती गुरूद्वारा में भी कर दी है, ये गुरूद्वारा की भी देखभाल करते थे। ये एक टैक्सी स्टैंड चलाते थे आनंद निकेतन के अंदर, 1984 में 31 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई करीब शाम को कुछ लोग, कुछ काँग्रेसी गुंडे इनके पास आए, इनकी घर की तह लेने के लिए और ये कहने के लिए आए, ''सरदार जी, आपके यहाँ टैक्सी स्टैंड में किसी को नौकरी की जरूरत है तो उसकी नौकरी लगवा देना आप अपनी टैक्सी स्टैंड में।'' किसको नौकरी की जरूरत थी, वे घर में देखने आए थे घर में क्या–क्या है, कितने आदमी हैं। इन्होंने कहा मेरे यहाँ अभी किसी की खाली नहीं है, कोई पोस्ट, कोई ड्राइवर की जरूरत आएगी तो मैं आपको बताऊँगा और वो लोग चले गए। रात को तीन बजे पुलिस का पहरा शुरू हो गया, ये लोग भी इत्मीनान से हो गए कि चलिए अब पुलिस आ गई है, अब सब की सुरक्षा की जाएगी। सुबह करीब सात, साढ़े सात बजे ये गुरूद्वारे गए,

गुरूद्वारे में पहुँचे तो यकायक भीड़ आ गई और भीड़ ने गुरूद्वारे को चारों तरफ से घेर लिया। इतने में इन्होंने पुलिस वालों की तरफ देखा तो पुलिस वाले गायब, पुलिस वाले नहीं थे, मगर क्योंकि गुरूद्वारा था, बहुत सारे सिक्ख भाई थे वहाँ पे, तो सिक्खों ने भी अपने कृपाण और तलवारें निकाल लीं। उधर जो गुंड़ों की फौज थी उन्होंने अपने लाठियॉ, तलवारें, सरिये जो कुछ था उन्होंने निकाल लिए, दो–ढ़ाई घंटे एक दूसरे की मारपीट चली, दोनों कम्युनिटीज का झगड़ा चलता रहा, पुलिस गायब थी, दो–ढ़ाई घंटे बाद पुलिस वहाँ पे वापस आई। अध्यक्ष जी, पुलिस वापस आई और पुलिस ने कहा ये झगड़ा बंद करो और राजी नामा कर लो, सरदार जी से कहा आप लिखित में राजीनामा कर लो, सरदार जी ने कहा मैं लिखित में राजीनामा नहीं करूँगा, इनकी रिपोर्ट कराऊँगा, तो पुलिस ने कहा ठीक है, आप रिपोर्ट कराना मगर ये तलवारें, कृपाण जो हैं ये वापस हमें दे दो। अध्यक्ष जी, दिल्ली पुलिस... कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनसे सारी की सारी कृपाणें और तलवार ले लिए कि अब झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये कृपाण तलवारें हमें दे दो और दिल्ली पुलिस वो तलवारें लेके वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही इनकी तलवारें और कृपाण गई, वो गुंड़ों की भीड़ जिसको सज्जन कुमार या दुर्जन कुमार कहें, कांग्रेस के उस वक्त के मैंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने उस भीड़ को उकसाके वहाँ पे भेजा था, उस भीड़ ने दुबारा से उन सब लोगों को, दुबारा से उनको घेर लिया और ये जो निर्मल सिंह जी थे... उन्होंने कहा ये बचा है, ये आखिरी बचा है इसका भी काम करना है और वहाँ पे नारे लगने लगे, अध्यक्ष जी, इंदिरा गांधी अमर रहे, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। ये

नारे वहाँ पे लगने लगे, पुलिस इनकी तलवारें, कृपाण लेके जा चुकी थी और उन्होंने निर्मल सिंह जी को घेरा, उनके ऊपर मिट्टी का तेल, पूरा का पूरा उनको मिट्टी के तेल के अंदर नहला दिया, माचिस नहीं थी, भीड़ आई थी, पागल भीड़ थी, माचिस के बिना आई थी और अध्यक्ष जी, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर कौशिक का जिक्र होता है। दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की लाठी बजाता था और मोदी जी की सरकार में अब मोदी जी की लाठी बजाता है, वो इंस्पेक्टर जिसका न दीन है, न ईमान है, वो इंस्पेक्टर कहता है, ''डूब मरो! तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। ये लो माचिस, ये दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर करता है, इंस्पेक्टर कौशिक और वो माचिस को इस्तेमाल करके उनके अंदर आग लगा देते हैं। जलता हुआ आदमी दौड़ के नाले में कूदता है, नाले में कूदने से उनकी आग बुझ जाती है, भीड़ उसकी वहाँ पे भी पीछा करती है, अधमरे आदमी को उठाके भीड़ खींच के, चौराहे पे लाती है, टेलीफोन का जो पोल होता है उसको उससे बांधा जाता है और उनके जख्मों पे, उनको जलाने के लिए सफेद पाउडर का फॉस्फोरस उनके ऊपर लगाया जाता है। अध्यक्ष जी, ये है हैवानियत! आप सोचिए, हम और आप जिस समाज के अंदर रहते हैं और हमारा हाथ कई बार प्रैस करते वक्त भी अगर जल जाता है तो फफोला हो जाता है और कम से कम दो दिन तक वो दुःखता है। जिंदा आदमियों को जलाया गया, मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया, फॉस्फोरस लगा के जलाया गया। क्या हम इंसान कहने के लायक है! हम दिल्ली का ये जो समाज है हिन्दुओं का, मुसलमानों का, सिक्खों का, क्या हम लोग अपने आपको इंसान कह सकते हैं कि किसी एक... मेरे

पास शब्द नहीं है, किसी एक घटिया आदमी सज्जन कुमार... मैं ऐसे आदमी के भड़काने पे आप लोग दरिंदे बन गए और आपने दरिंदगी की वो हदें पार कर दी कि जिस आदमी के बीवी हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, उसको आपने ऐसे जिंदा जलाया और ऐसे 2733 आदमी आपने जिंदा जलाए दिल्ली के अंदर! अध्यक्ष जी, इसके अंदर हम सबको अपने अंदर टटोलना चाहिए, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार है जो वाट्सअप पे, मुसलमानों के खिलाफ मुझे मैसेज भेजते हैं, ये देश के दुश्मन हैं, इनका कुछ करो। डायरेक्ट—इन्डायरेक्ट कुछ—कुछ करके मैसेज भेजते हैं। मैं अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले कतर गया था किसी पाटी के काम से। वहाँ पे एक मेरे ताऊ की लड़की रहती है और उनके जो हसबैंड है, वो कश्मीरी ब्राह्मण है, मैं उनसे बहुत कम मिला हूँ, कभी—कभी मुलाकात होती है, उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया कि भई तुम आए हो तो एक काम करो डिनर पे आ जाओ, इत्तेफाकन जो मुझे होस्ट कर रहा था, वो एक मुस्लिम था और एक बड़ा पढ़ा—लिखा सभ्य इंजीनियर था। यहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंडियन था, वो उनको लेके गया, मेरे को वो वहाँ पे छोड़ने आया तो मैंने उनको मिलवाया कि जी इनका नाम ये है। मैं नाम भी भूल गया क्या नाम था उनका, तो हमारे जो जीजा लगते हैं उनका मुँह—सा बन गया। उनका नाम सुनते ही और मैंने बोला के हम डिनर कर लेते हैं साथ। तो वो जो मुस्लिम था, वो चला गया कि मैं आपको ना, बाद में ले लूँगा, आपकी सिस्टर हैं, आपके जीजा हैं। मैं उनके साथ डिनर कर रहा था तो उनको कोई चीज चुभ रही थी अंदर से और उन्होंने बोला कि तुमको... तुम यहाँ कतर में आए हो, तुम यहाँ पे इन लोगों के साथ घूम रहे हो तुम्हें अंदर से घृणा नहीं होती? मैंने कहा

कि जी, आप तो इतने पढ़े–लिखे हो, इनसे किस बात की घृणा होगी मुझे? कहने लगे, ''आपको पता नहीं है, इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। मैंने कहा कि मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, मेरे को तो इसकी बीवी ने दो बार खाना बना के खिलाया है अभी तक। कह रहा है कि जी, आपको नहीं मालूम, आठ सौ साल तक इन मुसलमानों ने हमारे ऊपर राज किया है। अच्छा जी! और पहली बार देश के अंदर हिन्दू राजा आया है और अब मौका मिला है हमको आठ सौ सालों का कि अब हम अपना बदला लें और इन मुसलमानों को इनकी जगह दिखाएँ। ये मेरे सगे, मतलब कजन जीजा मेरे को बता रहे थे, पढ़े–लिखे, एमएनसी के अंदर... मुझे लगता है कम से कम 5–10 लाख की महीने की नौकरी करने वाले। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मगर इसके अंदर किसी मुसलमान राजा ने हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार किए भी हों, तो उससे इस आदमी का क्या लेना–देना है, कहने लगे, ये भी तो मुसलमान है। है तो ये उन्हीं का आदमी। मैंने कहा कि जी, आप ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। कह रहे हैं, ''हॉ।'' मैंने कहा, ''ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने दलितों के ऊपर कई हजार साल तक अत्याचार किए हैं।'' कह रहे हैं कि ऐसा कहा तो जाता है पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा, ''प्रूफ तो नहीं है मगर कहते तो हैं।'' राजेन्द्र गौतम जी से मेरी बात होती है।

हम तो दोस्त हैं, भाई हैं। ये मेरे से कह देते हैं, ये बात मेरे को कोई बुरा नहीं लगता। मैने कहा किए भी होंगे, क्या पता। कई तरीके के लोग होते हैं। मैने कहा, ''जी, अगर ब्राह्मणों ने दलितों के ऊपर कई हजार साल तक अत्याचार किए तो क्या आज आप किसी दलित को इजाजत

दे देते हो कि वो आपके परिवार में से एक दो को उड़ा दे या जिंदा जला दे। आप बता दो।'' अगर देते हो तो मैं भी बुला लाता हूँ किसी दलित को। मेरी बहन देख रही थी मुझे। अब वो इस पसोपेश में थी कि ये मेरा भाई है। ये आम आदमी पार्टी से आया है, ये मेरा पति है ये कश्मीरी ब्राह्मण है और इनके मन में कुछ सैन्टीमेंट हैं जो अलग तरीके के हैं... मुस्लिम के लिए, उनके अपने रीजन्स हैं। वो बेचारी न इसकी साईड ले पाई, न इसकी साइड ले पाई। मैने सोचा कि देखिए, रिश्तेदारी का मामला है रिश्तेदारी खराब होगी। मैने पनीर के ऊपर कहा मैने कहा पनीर बहुत अच्छा है। ये रेस्टोरेंट पर आप पहले भी आए हो। उन्होंने बोला हम आते रहते हैं। मैने टॉपिक बदला और मेरी बहन ने जब मैं वापिस इंडिया आ गया उसने मुझे वट्सअप पर मैसिज लिखा कि तुमने जो बात कही वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी। मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतना मैच्योर हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमको जानकर। वो ये नहीं कह पाई कि तूने सही कहा, तूने गलत कहा। क्योंकि वो अपने पति की दिन रात की विचारधारा के अंदर अभी भी वो कन्फ्यूज हो गई कि मेरा भाई सही कह के गया या मेरा पति सही कहता है। क्योंकि वो रोज कहते होंगे उससे। वो सिर्फ इतना कह पाई कि तुमने जो कहा, बड़ा मैच्योर कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा।

अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई उग्रवादी है और वो एक फलांना धर्म का है तो उसका बदला आप किसी और आदमी से कैसे ले सकते हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसी धर्म का है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब अगर कोई हिन्दू ब्राह्मण

है जैसे कि नाथू राम गोडसे थे। अगर कोई हिन्दू ब्राह्मण ने गांधी का कत्ल किया था तो क्या मैं किसी को इजाजत दे दूँगा क्योंकि मैं भी एक हिन्दू ब्राह्मण हूँ तो मेरे किसी रिश्तेदार का कत्ल कर दें या मेरा कत्ल कर दे। ये जो विचार धारा है, मुझे लगता है कि मैंने सिक्खों के बारे में जो दो तीन बातें बताई, उसका कारण ये है कि हम लोग एक इन्सानी मौत का... ये बात समझें कि एक इन्सानी दर्दनाक मौत कितनी बड़ी मौत होती है। आपका एक रिश्तेदार एक उम्र पूरी करने के बाद मरता है तो भी आपको कितना दुःख होता है। आपने पूरे के पूरे के परिवारों के अंदर से सारे के सारे मर्दों को मारा डाला। औरतें बच गई विधवा और उनके बच्चे बच गए। उनमें से एक बच्चा भी हमारे बीच में भी बैठा है। वो हमारे बीच में बोलेंगे मगर अध्यक्ष जी, मेरा कहना ये है कि जो 1984 में सिक्खों को नाम दिये गए वो 2002 में मुसलमानों को नाम दिये जा रहे है। और हो सकता है अलग किसी देश के अंदर हिन्दुओं को वो नाम दिये जाएँ, मगर ये जो नफरत की राजनीति है, इसको हम सबको खत्म करना चाहिए। ये नफरत के छोटे–छोटे वाटस्अप जो हम आगे भेजते हैं ना, फॉरवर्ड करते हैं ये मान लें कि ये जो वाट्स्अप मैसेज जो जहरीले मैसेज हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये किसी न किसी की पति की जान लेंगे, किसी न किसी बच्चे के बाप की जान लेंगे और उस पाप का हिस्सा अगर भगवान है... अगर भगवान नहीं है फिर तो ठीक है, जैसा है, वैसा चल रहा है। मगर अगर भाजपाई ये मानते हैं कि राम हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि एक भी आदमी अगर उस तरह से मरता है तो उसका पाप भगवान राम भाजपाइयों को भी देंगे और अगर आम आदमी पार्टी वाले करेंगे तो आम

आदमी पार्टी वालों को भी देंगे, कांग्रेसी करेंगे तो कांग्रेसियों को भी देंगे। मगर ये पाप इतना जघन्य है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की लीडरशिप को इसके लिए माफ किया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा इसको पॉलिटिकल पैटरोनेज दी। वरना इसका कोई कारण नहीं है। इतने सारे सबूतों के बाद, इतने सारे गवाहों के बाद 1984 से लेकर जो केस चलते रहे, उन केसों के अंदर अब 34 साल बाद पहली बड़ी सजा हुई है। पॉलिटिकल पैटरनेज बार–बार जितने भी कमिशन बने, चाहे वो मारवाह कमिटी हो...

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाजः जैन अग्रवाल कमिटी हो सबने कहा है कि पॉलिटिकल पैटरनेज है। मगर मैं राजनीति को खत्म करते हुए फिर ये बात कहता हूँ कि हमको आपसे में प्यार और भाई चारा बढ़ाना चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खानः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मुद्दे पर मुझे बोलने की इजाजत दी। जिस तरह से अभी सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि 1984 में किस तरह से इन्दिरा गांधी जी के कत्ल के बाद सिक्खों का पूरी दिल्ली के अदंर कत्लेआम किया और उसमें पहला किसी एक पॉलिटिकल आदमी के ऊपर 34 साल बाद फैसला आना, ये अपने आप में अफसोसनाक है। इसमें और कई सारे कांग्रेस के लीडर थे। जिसमें एक जगदीश टाईटलर... अभी ये कमलनाथ... बीजेपी वालों ने कमलनाथ जी का नाम भी लिया। लेकिन 34 साल बाद एक आदमी के खिलाफ जिस तरह से फैसला आया, ये बहुत अफसोसनाक है। 34 साल

में तकरीबन तीन हजार लोगों का दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम किया गया। पॉलिटिकली सारी चीजों को.. जो पॉलिटिकल लीडर थे उस वक्त के, उन लोगों ने भीड़ को इकट्ठा करके पूरी दिल्ली के अंदर कत्लेआम किया गया, जिंदा लोगों को जलाया गया। लेकिन 34 साल बाद किसी भी पॉलिटिकल लीडर की सजा आना, ये बड़ा अफसोसनाक है। अगर इस तरह की चीजें बहुत जल्दी आई होतीं तो बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, उसके बाद 1992 में, महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 3 हजार लोगों का कत्ल किया गया था और उसमें श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट भी आई है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिसमें कहा गया था कि शिव सेना के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, बजरंग दल के लोग इसमें शामिल थे और इन्होंने भीड़ को इकट्ठा करके कहा कि आज मुसलमानों का कत्ल करो और एक भी मुसलमान बचना नहीं चाहिए। उसके बाद तीन हजार लोगों का कत्लेआम किया गया। किसी भी एक आदमी को आज तक उस केस में सजा नहीं हुई है। अगर 1984 के दंगों में इंसाफ जल्दी आता, वो पॉलिटिकल लीडर जो राजनीति हासिल करने के लिए, गद्दी हासिल करने के लिए जिन लोगों ने कत्ले आम किया, अगर 1984 में जल्दी फैसला आ जाता तो 1992 नहीं होता और 1992 में अगर इंसाफ हुआ होता तो 2002 कें दंगे नहीं हुए होते। गोधरा काण्ड हुआ। ट्रेन का गोधरा काण्ड के बाद मुख्य मंत्री उस वक्त के गुजरात के नरेन्द्र मोदी जी थे, उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को और तमाम उस वक्त के सीनियर अफसरान को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे नही करना

चाहिए कहा, ''इकट्ठा करने के बाद कहा कि गोधरा काण्ड हुआ जो मुसलमानों ने हिन्दुओं को कत्ल किया। उसका बदला लेने के लिए हिन्दुओं को गुस्सा निकालने के लिए हिन्दू लफ्ज इस्तेमाल किया, उस वक्त उन्होंने कि हिन्दुओं को गुस्सा निकालने के लिए इनको छूट दे देनी चाहिए। 2002 में गुजरात के अंदर जिस तरह से छूट दी गई और गुजरात के अंदर जिस तरह से फसाद किया गया, उसमें तकरीबन 26 सौ लोगों का कत्ल किया गया। उसमें जो एक अहसान जाफरी जो एमपी थे, उनका भी कत्ल किया गया। वो पूरा गुलबर्गा अपार्टमेंट था। उसमें तमाम लोगों को मार दिया गया, आग लगा दी गई। वो एमपी थे, वो तमाम सरकारी अफसरान से गुहार लगाते रहे। उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर से, सरकार में मंत्रियों से, मुख्य मंत्री से गुहार लगाते रहे कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, हम को मार दिया जाएगा। हमारी मदद की जाए। लेकिन कोई भी सरकारी मशीनरी उनकी मदद के लिए नहीं आई। बल्कि उन लोगों ने तो, उन लोगों का जो मुसलमानों का कत्ल कर रहे थे, भाजपा के लोग उनका साथ दिया भाजपा ने, बाकायदा और उसका बदला क्या हुआ। उन्होंने कत्ले आम किया, उसका बदला क्या हुआ कि नरेन्द्र मोदी जी वहाँ के मुख्य मंत्री; तीन मर्तबा मुख्य मंत्री रहे। आज भी भाजपा की सरकार वहाँ पर मौजूद है। अगर 2002 में जिस तरह से माया कोटलानी कन्विक्ट हुई थी उसमें अमित शाह भी उसमें पूरी तरह से एन्वॉल्व थे। उसमें नरेन्द्र मोदी जी क्योंकि हुकुमत में थे और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उन्होंने ने तो लोगों को उकसाया था। कहा था... मशीनरी को रोका था। सारे पॉलिटिकल सिस्टम को उन लोगों ने मजबूर किया था कि ये सारे के सारे लोग जितने भी

अफसरान थे, उनको मजबूर किया गया था कि आज हिन्दुओं को कत्लेआम करने दो, अपना गुस्सा निकालने दो, इनको मत रोकना। इसकी वजह से गुजरात के अंदर कत्ल हुआ। गुजरात के अंदर कत्लेआम हुआ। अगर जिस तरह से आज 84 के अंदर इंसाफ हुआ है और ये माँग कर रहे हैं कमलनाथ जी की। उस वक्त में नरेन्द्र मोदी जी वहाँ मुख्य मंत्री थे। बाकायदा उन्होंने वहाँ पर सारी चीजें कराई। अगर 2002 में इंसाफ हुआ होता तो हिन्दुस्तान में न मुजफ्फरनगर होता। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर में लोगों के घरों में जाकर बीजेपी, बजरंग दल, आरएसस के लोगों ने घरों में जा जाकर के मुसलमानों को एक घर–घर को निशाना बनाकर के कि इस गाँव के अंदर दस मुसलमानों के घर हैं, उनको कत्ल किया। दूसरे गाँव के अंदर चार मुसलमानों के घर हैं, उन सबको कत्ल किया। किसी तीसरे गाँव में अगर ये हैं और सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के वहाँ पर कत्लेआम किया। उसका फायदा ये हुआ कि इन्होंने पूरे हिन्दू वोट को पोलराइज किया और आज योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हाल ही का एक वाकया है, बुलंदशहर का वाकया– 3 दिसम्बर को 2018 अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बुलंदशहर के अंदर जो है एक गाय के नाम पर जो वहाँ फसाद हुआ और वहाँ एक पुलिस अफसर जिनका नाम सुबोधकांत था, उनको वहाँ कत्ल किया। बजरंग दल के लोग उसके अंदर मुल्लविस थे, बजरंग दल का एक नेता वो भी उसके अंदर मुल्लविस था, योगेश नाम था जिसका। आज तक उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके कहने पर पुलिस ने वहाँ एफआईआर की कि मेरे सामने मुसलमानों ने गायों को काटा। उसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। पुलिस ने

एफआईआर की कि मेरे सामने और जब कि मेडिकल रिपोर्ट आई, उस गोश्त की जो गाय का गोश्त काटा गया था, उसको 24 घंटे से ज्यादा हो गया था। वहाँ पर वीडियो चली, वीडियो में वो लोग कह रहे हैं कि गाय को किसने काटा था, गाय को इसने काटा था, इसने काटा था। लेकिन उनमें से किसी एक के खिलाफ भी पुलिस ने कोई जाँच नहीं की। गाय काटने के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने प्रैस कान्फ्रेंस की। कहीं भी उन्होंने पुलिस अफसर का जो कत्ल हुआ, उसका जिक्र नहीं किया। जो गाय काटी गई, उनका जिक्र किया। तो आज गाय की अहमियत इंसान से ज्यादा है, बीजेपी की हुकूमत में। गाय की अहमियत होनी चाहिए; आस्था से जुड़ी हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन इंसान की भी अहमियत होनी चाहिए। अगर आज एक सरकारी अफसर को जो पुलिस वाला था; इंस्पैक्टर था, उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जिन लोगों ने कत्ल किया, आज तक वो खुले घूम रहे हैं। किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और मैं बताऊँ कि ये एक बहुत बड़ा इनकी बड़ी प्लानिंग थी। बुलंदशहर के अंदर तकरीबन 30 से 40 लाख मुसलमान इकट्ठे हुए थे। एक इस्तमा हुआ था और इस्तमे से दुआ के बाद छुट्टी का वक्त था। इस्तमा खत्म हुआ था, तीन दिन का इस्तमा था पहली, दूसरी, तीसरी को। उसमें तकरीबन 30 से 40 लाख... कहते हैं कि करोड़ों लोग, लोग जो कहते हैं करोड़ों कहते हैं कि करोड़ों लोग जमा थे। तो उनके वो जाने का वक्त था वहाँ से। अपने–अपने गाँव से अपने–अपने घर से जो लोग आए थे, उनको वापसी का वक्त था। तो इन लोगों ने प्रि–प्लान ये सारी चीजें की और वो उनके वक्त गुजरने का था। लेकिन एक पुलिस वाला एक इंस्पैक्टर वो शहीद हुआ, उसकी बहादुरी

को हम सलाम करते हैं कि उस एक आदमी की वजह से एक बड़ी साजिश को रोका गया। बड़ी साजिश को उस आदमी ने रोक लिया और उसकी जान चली गई। कल मैं एनडी टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, उनकी बीवी जो शहीद सुबोधकांत थे, उनकी बीवी कह रही थी कि भई एक पुलिस अफसर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया गया। आज गाय की अहमियत ज्यादा है, वो जो पुलिस अफसर को कत्ल करने वाले थे, आज उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो बजरंग दल के लोग थे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये सिर्फ जो है, पॉलिटिकल चीजें हैं और अगर पॉलिटिकल मशीनरीज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने इस्तेमाल करके पूरे हिन्दुस्तान में फसादाद का सिलसिला किया है अगर इनमें सजाएँ होती हैं... जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर 84 के दंगे को सजा हुई है। अगर ये 2002 में, 92 में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में जिन लोगों का मुल्लविस है जो लोग मुल्लविस हैं। आज ये भाजपा के लोग हैं, ये भी बोलेंगे तो जब ये 84 पर बोलें तो मैं चाहता हूँ 2002 पर भी जरूर बोलें। 2002 पर बोलो तो 1992 पर भी बोलना और जब 1992 पर बोलो तो बुलंदशहर पर बोलना और जब बुलंदशहर पर बोलो तो ये जो अभी बुलंदशहर में जो हुआ है, जो एक अफसर की जो आज जान गई है, अफसर का जो शहीद किया गया, जिन लोगों ने शहीद किया, वो कहीं न कहीं तुम्हीं लोगों में से है, खोलकर बोलो। आओ, आप बात करते हो इंसाफ की, आप बात करते हो इंसाफ दिलाने की तो इंसाफ की आप बात करो। आप जरूर बोलना विजेन्द्र गुप्ता जी, अगर आप वाकई सच्चे

हिन्दुस्तानी सिपाही हो तो हर जुल्म जिसके ऊपर हुआ, वो उस जुल्म के खिलाफ जरूर बोलना। बोलना जरूर। 2002 पर भी बोलना, बुलंदशहर पर बोलना, मुजफ्फरनगर पर बोलना, 1992 पर भी बोलना। जिस तरह से आपके लोग उनमें मुल्लविस रहे, उनको सजा आज तक नहीं हुईं, गिरफ्तारियाँ आज तक नहीं हुई, केस आज तक नहीं चला। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः आधे घंटे का टी ब्रेक उसके बाद सदन बैठेगा।

सदन पुनः 4.55 बजे सम्मिलित हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः सिरसा जी कहाँ हैं सिरसा जी। सिरसा जी को... फिर वो बोलते हैं कि हमें मौका नहीं देते। इतना महत्वपूर्ण विषय था और सिरसा जी हैं नहीं। अगर कहीं भी आवाज सुन रहे हैं तो सिरसा जी आएँ सदन में।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः अवतार सिंह कालका जी, भावना गौड़ जी। नहीं सिरसा जी फिर बोलते हैं।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, लाखों लोग के कत्लेआम और देश के विभाजन के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। उसके ठीक 37 साल बाद दिल्ली में वैसी ही त्रासदी का गवाह दिल्ली बना अपने आप में। 31 अक्तूबर 1984 की रात देश की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी की हत्या कर दी गयी।

1 नवम्बर से लेकर के 4 नवम्बर तक भारत के कई राज्यों में सिक्ख विरोधी दंगे हुए। लाखों सिक्ख विस्थापित हो गये। लाखों सिक्खों ने... अपना घर उनको छोड़ना पड़ा। बहुत सारे सिक्खों ने जिनको बहुत पवित्र मानते हैं केश रखना... उनको अपनी जान गंवाने के डर से अपने बाल तक कटवाने पड़े। जगह–जगह खून की होली खेली गयी। हजारों मायूस लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के सामने बेरहमी से मार दिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, पूरे देश के सिक्खों पर नरसंहार हुआ। जो राजनैतिक अभिनेताओं की योजनाबद्ध तरीके से इन दंगों को पूरे देश के अन्दर करवाया गया। मैं माननीय सदन को एक बार फिर से ये शब्द दुबारा से रिपीट करूँगी राजनैतिक अभिनेताओं की सोची–समझी साजिश के तहत पूरे देश के अन्दर सिक्ख समुदाय को इन दंगों की गिरफ्त में आना पड़ा और बहुत सारी वो एजेंसियाँ जो कानून की देख–रेख करतीं हैं यानी दिल्ली पुलिस, उनकी भी सुलह उनके साथ में उनकी रजामंदी उसका परिणाम निकला। इतने सारे सिक्ख दिल्ली के अन्दर पूरे देश के अन्दर मारे गये। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदया, ये अपने आप में मानवता के खिलाफ अपराध अगर मैं इसको सदन में कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वास्तव में मानवता के खिलाफ अपराध रहा है। सन् 1984 के दंगों की चोट के घाव अध्यक्ष महोदया, आज भी हरे होते हैं। जब–जब दंगों की बात करते हैं तब–तब घाव हमारे हरे हो जाते हैं। इन दंगों के दौरान लगभग पूरे देश में चार हजार लोगों की हत्याएँ हुई। उनको मौत के घाट उतारा गया। सिर्फ दिल्ली के अन्दर 2733 लोग दिल्ली के अन्दर मारे गये। सुनियोजित तरीके से होने वाले इन दंगों में दिल्ली की बहुत सारी विधान सभाएँ प्रभावित रहीं।

सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, यमुनापार की कई कालोनियाँ उसके साथ–साथ में हरि नगर, तिलक नगर और विशेष तौर पर पालम विधान सभा इन दंगों के दौरान बहुत ज्यादा प्रभावित रहीं।

अध्यक्ष महोदया, सन् 1984 की बात है। उस समय अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी उम्र मात्र चौदह साल की रही लेकिन मुझे लगता है कि चौदह साल की उम्र इन सब चीजों को समझने में कि आवाम में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, किस तरह के दंगे हो रहे हैं, किन लोगों की वजह से वो दंगे फैलाये जा रहे हैं, कहाँ पर किसको जबरदस्ती घर से निकालकर के मारा–पीटा जा रहा है। इन सब चीजों को समझने के लिए चौदह साल की आयु अपने आप में बहुत होती है और मेरे पालम विधान सभा में हुआ। मैं इस सदन में गवाह की तरह से मौजूद हूँ। मेरे पिता जो एक दुकानदार थे। बहुत चिन्ता वो करते थे सिक्ख परिवारों की। बहुत अच्छी उठा–बैठी उनकी सिक्ख परिवारों से रही लेकिन जब इस तरह के राईट्स हुए तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पिता जी ने उन सिक्ख परिवार के लोगों को किस तरीके से हमारे दूसरे समुदाय के जो परिवार थे, उनको रात को वहाँ ठहराया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। हमारी अपनी शॉप से सिर्फ चार दुकानें छोड़कर के एक सरदार हरनाम सिंह जी की शॉप है जो कपड़ों की शॉप थी। किस तरह से लोगों ने उस दुकान के पूरे सामान को लूट लिया। पालम में पड़ने वाले माई दयाल बिल्डिंग के साथ में वहाँ जो दंगा कर रहे थे और जिन लोगों के कहने पर वो दंगे सुनियोजित तरीके से करवाये गये, उन लोगों ने हमारी आँखों के सामने हमारे सिक्ख समुदाय के भाइयों को उलटा करके पेड़ के ऊपर

टाँग दिया। उनकी बहुत जोरदार तरीके से लोहे की राड से उनकी पिटाई की। बहुत सारे घर जला दिए। ये सब चीजें हमने अपनी आंखों से देखीं हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं इन सब चीजों का बयाँ इस हाउस में कर रही हूँ लेकिन आप यकीन मानिए कि वो सब घटनाक्रम जैसे मेरे आंखों के सामने घूम रहा है और मेरे शरीर का रोम–रोम जागृत हो गया है। क्योंकि मैंने उन सब चीजों को अपनी आँखों से देखा है। वो पीड़ा, वो तकलीफ जिसके लिए मेरा परिवार, हमारे सहयोगी परिवार रात–रात भर सिक्ख भाइयों की रक्षा के लिए जागे, उनको सुरक्षा प्रदान की। ये सब हमारा आँखों देखा और हमारे सामने घटित हुई घटनाएँ हैं।

अध्यक्ष महोदया, नौजवानों बच्चों के सामने जिनकी उम्र मात्र तेरह साल रही, चौदह साल रही, अट्ठारह साल की उम्र रही। उन लोगों के सामने उनके पूरे परिवार का कत्लेआम किया गया। माफ कीजिएगा अध्यक्ष महोदया, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहूँगी। मुझे जो लगता है। मैं अपनी परिभाषा में कह रहीं हूँ। एक ऐसा बालक जिसकी उम्र मात्र 13 साल की या 14 साल की है। अगर उसके सामने मैं निवेदन चाहूंगी, पूरे हाउस का। मेरी अगर ये बात अगर आपको ठीक लगे तो बताइए, एक चौदह साल, तेरह साल के बालक के आँखों के सामने उसके मां–बाप का, उसके भाई का अगर कत्लेआम किया जाता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अपराधी हम नहीं बनाते। अपराधी सरकारें नहीं बनातीं। स्वाभाविक तौर पर ऐसा बच्चा अपराधी बनेगा। मन के अन्दर बदला लेने की भावना और उसके साथ–साथ में अपने परिवार जो उसने खो दिया है, उसकी पीड़ा ये अपने आप में

बहुत दर्दनाक होती है अध्यक्षा महोदया और मुझे लगता है कि उस समय की तत्कालीन सरकार और वो लोग जिन्होंने दंगे करवाये। जिन्होंने इस दंगों को करवाने की योजना बनायी, उन लोगों के खिलाफ जो पीड़ा, जो नौजवान जो हमारा साथी हैं, वो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं दिखाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि इन बालकों को अपराधी बनाने का जो कारण रहा, वो हमारी वो जो नेता, जो छुटभईये नेता जिन्होंने इन दंगों के अन्दर उनका साथ दिया, उन्होंने कत्लेआम किया, उनकी आंखों के सामने उनके माँ, पिताजी, वो उनको अपने हाथों से उन्होंने मारा। मुझे लगता है कि वो बालक अगर अपराधी बन गये तो कहीं न कहीं हम और हमारा समाज पूरे उसके अन्दर दोषी हैं।

अध्यक्ष महोदया, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आयी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि दिल्ली के अन्दर 587 एफआईआर दर्ज हुई लेकिन 241 एफआईआर को पुलिस डिपार्टमैण्ट के लोगों ने खुद ब खुद बन्द कर दिया। कहाँ है न्याय! वहीं पुलिस डिपार्टमैण्ट के लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए बनें हैं, उन लोगों ने अपने हाथ से 587 एफआईआर में से 241 एफआईआर को बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी परिणाम के अपने हाथ से उसको बन्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदया, सज्जन कुमार जी, सज्जन कुमार को दुर्जन कुमार जो आपने नाम दिया है, ठीक नाम दिया है सौरभ भाई। वो उस समय सांसद होते थे। महेन्द्र यादव जिसको पहले तीन साल की निचली अदालत ने सजा दी थी। उनकी सजा को बढ़ाकर के हाईकोर्ट ने दस साल की सजा की। वही व्यक्ति पालम का निवासी है और 1993 में विधान सभा का सदस्य

चुनकर के विधान सभा का मेम्बर वो व्यक्ति रहा। बलवान खोखर जो इस समय जेल में है। लगभग तीन, साढ़े तीन साल से वो जेल में है। हाईकोर्ट ने उसकी सजा को बढ़ाकर के तीन साल से दस साल कर दिया। वो भी पालम का निवासी है। कांग्रेसी छुटभइया नेता है। उसके साथ में किशन खोखर वो बलवान खोखर का भाई है। वो पालम के अन्दर रहता है। इन लोगों ने सही मायने में दंगे करवाये। सही मायने हमारे सिक्ख समुदाय के लोगों को तहत—नहस करने का काम किया। मैं बहुत—बहुत धन्यवाद दूंगी उस कोर्ट का जिन्होंने वास्तविकताएँ समझकर के और वास्तव में जो दोषी हैं, उसको सही मायने के अन्दर उनको ये सजा दी है कोर्ट ने। मैं कोर्ट को बहुत—बहुत धन्यवाद दूँगी।

अध्यक्ष महोदया, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह जी के एक प्रेस अधिकारी थे 1984 में, वो सांसद हुआ करते थे और उनका नाम था त्रिलोचन सिंह। उन्होंने बहुत कड़ा ऐतराज जताया और उन्होंने लिखित मे ये बात कही कि पुलिस विभाग जिस समय 1984 के दंगे हुए, उस समय पुलिस विभाग का अपना रवैया क्या था और वो किस तरीके से काम कर रहा था। हालात बिगड़ने के बावजूद सेना साइड के ऊपर नहीं लगाई गई, ये त्रिलोचन सिंह ने लिखित तौर के ऊपर इस बात को माना जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के प्रेस अधिकारी के रूप मे काम करते थे और स्वयं एक सांसद भी थे। त्रिलोचन सिंह जी ने ये भी बताया कि ज्ञानी जैल सिंह जी के पास में बहुत सारे ग्रुप्स मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि दिल्ली की हालत क्या है। उन्होंने उनसे गुहार लगाई कि आप सेना को सड़कों के ऊपर उतारें और इन दंगों को रोकें

लेकिन दिल्ली कैंट के अंदर, दिल्ली छावनी के अंदर पूरी तरीके से सेना मौजूद थे लेकिन क्योंकि नियतबद्ध तरीके से ये काम किए गये थे, योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से इन योजनाओं को बनाकर के सिक्ख समुदाय के ऊपर वार किया गया था, दंगे करवाये गये थे इसीलिए अपनी गलत नीयत को उन्होंने दिखाया। सेना होने के बावजूद भी उस सेना को सड़कों पर नहीं उतारा। अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की रिपोर्ट आई है, ये मेरे अपने कोई शब्द नहीं हैं। सीबीआई की जो रिपोर्ट थी, उसके अकार्डिंग मैं बता रही हूँ। जब 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी दिल्ली मे नहीं थे, बाहर थे लेकिन जैसे ही उनको समाचार मिला, वो वापस आए। पालम विधान सभा के साथ में ही पालम एयरपोर्ट पड़ता है। एम्स हास्पिटल के अंदर इंदिरा गांधी जी एडमिट थी, उस समय वहाँ ले जाया गया था उनकी बॉडी को। ज्ञानी जैल सिंह जी पालम एयरपोर्ट के ऊपर उतरे और आरके पुरम की साइड से होते हुए जब वो एम्स हास्पिटल गये तो बहुत सारे लोगों ने उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया, उनके ऊपर जलती हुई मशालें उनकी गाड़ी के ऊपर डाली जबकि वो स्वयं मे राष्ट्रपति थे। शाम को साढ़े पाँच बजे ये वाकया घटा। ये मेरे अपनी शब्द नहीं हैं, सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, उसमे लिखा कि ज्ञानी जैल सिंह जी की गाड़ी को भी... दंगा जो कर रहे थे लोग, जो कांग्रेसी लोग थे और सही मायने मे कांग्रेसी गुण्डे जो लोग थे, जो छुट्टभैया नेताओं को उन्होंने केवल इसी काम पर लगाया था कि किस तरीके से सिक्ख समुदाय को हमने नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे, उनकी गाड़ी को भी नहीं बख्शा। स्थानीय सीबीआई की

रिपोर्ट है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि 31 अक्टूबर, 1984 की रात और 1 नवंबर की सुबह कुछ नेताओं ने स्थानीय समर्थकों के साथ मिलकर के उनको हथियार दिये और उनको पैसा दिया। मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। कांग्रेस के वो गणमान्य व्यक्ति, वो क्या कर रहे हैं, उनकी वो किस तरह की लीला रच रहे हैं, वो किस तरह की योजना बना रहे हैं और विशेषतौर पर उन्होंने सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को तहस–नहस करके रख दिया। उनके बच्चे... ऐसी भाषा उनकी हो गई कि वो बोल नहीं पा रहे हैं अपने आप मे। अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे हैं और ये सब कुछ हुआ, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया और उन्होंने कहा कि ये दंगे अपने आप नहीं हुए, इन दंगों को करवाने के लिए योजना बनाई गई थी और इन दंगों को करवाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पैसे को बाँटने का इस्तेमाल हुआ और साथ मे उन्हें ये कहा गया... कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि एक भी सिक्ख समुदाय का व्यक्ति इस धरती पर जिंदा न रहे, ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा, ये सीबीआई की रिपोर्ट मैं पेश कर रही हूँ मैडम।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः भावना जी कंप्लीट कीजिए।

सुश्री भावना गौड़ः जी, ये दंगे सब होने के बाद में अध्यक्ष महोदया वोट क्लब के ऊपर एक सभा हुई। बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस भीड़ मे बयान दिया और मैं उनके शब्द इस हाउस मे बोल रही हूँ। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि पूरे देश मे दंगे फसाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ

कि पूरा देश इस समय गुस्से मे है और कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि भारत हिल रहा है। लेकिन उन्होंने साथ मे एक पंक्ति और कही, वो गौर करने लायक पंक्ति है। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अध्यक्ष महोदय, एक जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मुझे लगता है कि ये कहकर के शायद उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ा और दंगों को सही ठहराने का प्रयास इन शब्दों के माध्यम से किया।

अध्यक्ष महोदया, गुजरात मे दंगे हुए। मोदी जी, मुख्यमंत्री... दंगे करवाये, प्रधानमंत्री बन गये। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए योगी जी मुख्यमंत्री बन गये। मुझे समझ मे नहीं आता कि कहा गये भारत के आदर्श! कहाँ गये भारत के संस्कार! कहाँ गये भारत के मूल्य जो मूल्यों के आधार के ऊपर आधारित राजनीति होती थी, वो कहाँ चली गई! कहाँ गायब हो गई! उसे, मुझे लगता है कि सिक्ख समुदाय की पीड़ा के साथ साथ हम सभी लोग उसको जानते हैं, समझते हैं लेकिन देखिए, अध्यक्ष महोदया आखिरकार न्याय का पहिया घूमा। 1984 के सिक्ख दंगों मे पाँच सिक्खों की हत्या के मामले मे निचली अदालतों का जो फैसला आया, उसके खिलाफ सात अपीलों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी। उनके साथियों को 10–10 साल की सजा दी। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदया, सज्जन कुमार को अगर हम सिक्ख विरोधी दंगों का सिंबल भी कहें तो अपने आप मे कोई अतिश्योक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि आज सज्जन कुमार पर फैसला हुआ है, कल डेफिनेटली जगदीश टाइटलर पर

फैसला होगा और मुझे लगता है कि जो–जो लोग, जिन–जिन की योजनाएँ सिक्ख समुदाय को समाप्त करने के लिए हुई, उन सब लोगों पर हाईकोर्ट डेफिनेटली उनको सजा सुनाएगा आने वाले समय में। लेकिन देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज पेपर के अंदर आया... सलमान खुर्शीद कोर्ट के आदेश को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मनाक बात है! डूब मरना चाहिए सलमान खुर्शीद जी को! जिसको ये नहीं पता, उनका अपना बच्चा जाए, उनके अपने पिता अगर जाएँ, उनके घर में अगर इस तरह का कोई हादसा हो तो उन्हे पता चलता है कि अपनापन क्या होता है लेकिन जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, घिनौनी राजनीति करते हैं। हिन्दुस्तान के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि सिक्खों को समाप्त करने की योजना बनाने के लिए जो–जो लोग दोषी हैं, उन्हें, कोर्ट कब उनका समाधान करेगा, उन्हें कब न्याय देगा और सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति इस फैसले के होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने की चर्चा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस न्याय के लिए माननीय अदालत को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ लेकिन जिस तरह का ये न्याय अधूरा है इसको पूरा करने के लिए मैं सिक्ख समुदाय को इस विधान सभा के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति आपके अंग–संग खड़ा हुआ है और आपकी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी हम सब आपके साथ मे हैं। उन दोषियों को हम सजा दिलवाएँगे।

अध्यक्ष महोदया, एक आखिरी बात को कहकर के अपनी बात को विराम दूँगी। ये हादसा, ये योजनाएँ नीतिबद्ध तरीके से सिक्ख समुदाय को खत्म करने के लिए जो हुई, मुझे लगता है कि ये तो सिक्ख समुदाय था, मैं सेल्यूट करती हूँ इस विधान सभा से अपने साथियों समेत, सब कुछ लुट—पिट गया, परिवार तबाह हो गया, माँ—बाप चले गये, व्यापार खत्म हो गये और उसके बावजूद भी सिक्ख समुदाय ही था जो वहाँ से आकर के उसके बाद में दोबारा उसने अपना व्यापार बनाया। दोबारा अपने परिवार बसाये। दोबारा रोजी—रोटी की चिंता की और उसके लिए मेहनत की। मुझे लगता है क्योंकि ये सिक्ख समुदाय था, इसलिए संभव हो पाया, कोई अन्य समुदाय होता तो शायद खत्म हो गया होता। मैं सेल्यूट करती हूँ सिक्ख समुदाय को और पूरा का पूरा सदन सिक्ख समुदाय के साथ में है और मुझे लगता है कि एक कवि ने दो पंक्तियाँ कही थी सिक्ख समुदाय के बारे में, वो भी मैं इस विधान सभा मे रखना चाहूंगी। ये आवाज सिक्ख समुदाय के उस व्यक्ति की है जो निर्दोश था। जिसको मार दिया गया। उसने अपनी पंक्ति मे कहाः

रैलियों, दंगों, तमाशों की न थी फुर्सत मुझे,
मैं दिहाड़ी पर गया था, मुझे क्यों मारा गया?

ये कवि की पंक्तियाँ हैं। ये समर्पित हैं सिक्ख समुदाय को जिनकी वो वेदना है, वो पीड़ा है। समस्त सदन आपके साथ में है और एक दिन क्योंकि अदालत में हमें बहुत ज्यादा विश्वास है और वहाँ से सिक्ख समुदाय को न्याय मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत—बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः अवतार सिंह कालका जी।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पंजाबी विच ही कहना पसंद करांगा। जिवें कि अमानतुल्ला खां जी कह रहे सीगे कि अगर 2002 दा गोदरा जेड़ा काण्ड होया, ये ओ वी ना होंदा जे 84 च इंसाफ मिल जांदा। उस तो पहला मैं कहना चावांगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी चंगी तरह जानदी सी इस सिक्ख हिस्ट्री नू। और उन्हांनू पता सीगा कि कुछ वी हो सकता है। पर उसदे विच अडवाणी जी अपनी बुक च लिखदे, 'माई लाईफ माई कंट्री' बुक च लिखदे ने कि इंदिरा जी नू मैं केया कि तुसी अटैक करो दरबार साहब ते। बड़े शर्म दी गल्ल है कि आज ओ किसी वी ओदेपद ते नहीं हैं। क्योंकि जिन्ने वी दरबार साहब नाल मत्था लायेगा ओ दरबार साहब सबदा सांझा है गोल्डन टैंम्पल, ओत्थे कोई सिक्ख दा टैंपल नहीं है। ओ चारो वर्णां दा सांझा स्थान है। ओत्थे भक्ता दी वाणीं पढ़ी जांदी है। उस टोटल हिन्दु जेड़े भक्त होये ने, या मुस्लमान भक्त होये ने या गुरू ऐसे गुरू होये ने सारेयाँ दी वाणीं अे ओदे विच। ओ सारे ही ओथे प्यार करदे हैं। ते ओथे जो उन्होंने ए फैसला कीता कि तुसी अटैक करो आडवाणी जी ने, ते बड़े दुखदायी गल्ल है सारा, सारी घटना रुक सकदी सीगी अगर जे ओ अे फैसला, उन्हां नुकसान ऐ इंदिरा गांधी जी नू दित्ता। ना बेयंत सिंह ते ना सतवंत सिंह दे आज बच्चे अपने घर अपने परिवार नाल खेड़दा होंदा। उन्होंने वी फांसी ना लगदी। पर बड़े दुःख दी गल्ल है कि जेड़ा इंसाफ, जेड़ा मिलया, 34 साल बाद जाके वी, थोड़ा जेया अहसास कराया गया कि कोर्ट है। क्योंकि अगर देखेया जाये मैं उस वक्त दी गल्ल करदा आं 31 अक्टूबर, 1984 दे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी मौत तो बाद सिक्खां दा जो कत्लेआम, जुल्म जे चक्खड़ जो चुल्लेया वो कदे

वी धुंधला नहीं हो सकदा। ना पुलण, पुल सकदा ए उनू इंसान। जे जुल्म 1984 इच होया इंसानियत ते भाईचारे नू शर्मसार कित्ता। बड़ा माणा होया क्योंकि इंसानियत दा कत्ल होया जो भारतीय न्याय प्रणाली ते वी इक कलंक लगा। क्योंकि इंसाफ नहीं मिलया, ए ते पंज दी, पंज दी गल्ल करदे ने हजे इत्थे तां अनगिनत सिक्खां दा कत्ल होया, जेड़ा हजारां तो उत्ते जेड़ा कत्ल होयाँ अे उन्हांदे, अे साढ़े जेड़े देश दे उत्ते कलंक है कि इक जेड़ी कौम है, जेड़ी कम्यूनिटी है, उन्ने 87 परसेंट कुर्बानियाँ दित्तियाँ देश वास्ते। पर उन्हांदे नाल जो अेहोजया अत्याचार होंदा है। ते बड़ी इक दुखदायी गल्ल होंदी है। मन नू सट लगदी है। क्योंकि भारत दा सबतो वड्डा जेड़ा मंदिर आ अखिरला न्याय दा मंदिर ओ सुप्रीम कोर्ट है। जो देश भर दे लोका लई न्याय ते विश्वास दा इक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर उस वक्त 31 अक्टूबर, 1984 तो लेके 4 नवम्बर, 1984 तक साढ़ा न्याय प्रणाली बंद कर दित्ती गई। जदों सरकारां नहीं सुणदिया ते उस वक्त अखबारां दे जरिये, मीडिया दे जरिये साढ़े लयी न्यायपालिका, सुप्रीमकोर्ट है। उस वक्त ओ हिदायत करदी है कि अपना तुसी अदी एफआईआर दर्ज कीति जाये पर ओ ऐसा कोई उस वक्त माहौल नहीं बणेंया, कोर्ट बंद रही। देश विच हजारां सिक्खां ते कत्लेआम होया जे गल्ल करिए केवल दिल्ली विच ही लगभग पंज हजार तो उत्ते जेड़े सिक्ख बेहरेमी नाल कत्लेआम कीत्ता गया उन्हांदा। सोची समझी साजिश नाल कीत्ता गया। तीयां, पेड़ा ते परावां दी बेहरेमी नाल इज्जत लूटी गई। बलत्कार होये, सिक्खा दे घरां च फैक्टरियाँ लुट के अग्गा दे हवाले कर दित्ता गया पर भारतीय प्रशासन दे न्याय प्रणाली नींद विच सुत्ते रहे। उन्हांनू कोई जागृति नहीं कि भई देश च की हो रेया है। कि

अपना कित्थे कोई जुल्म हो रेया है जुल्म दे खिलाफ खड़े होणां, ए कोई ऐसी गल्ल ही नहीं। साढ़ी जेड़ी पुलिस प्रशासन वी उस टाईम उन्हांदे नाल सी। मान जाओ स्पीकर साहब, ए दंगे नहीं सन बल्कि ए सोची समझी साजिश नाल सिक्ख नस्ल कुशी सीगी। मतलब सिक्खां नू खत्म करन दा तरीका सी पूरा ए कि सिक्खा नूं कत्ल कर दित्ता जाये। पर ऐदे पिछछे बहुत हिस्ट्री वी है। हो सकदा ए पाकिस्तान दी जंग लगदी, प्लानिंग चल रही सी जो ओ हिस्ट्री तो पता लगदा है जगह–जगह तों कि शायद पाकिस्तान दे बार्डर ते पूरा लड़ाई लगा दित्ती जांदी, चंगी तरह तबाह कर सकदे सीगे पंजाब नूं पूरे सिक्ख कम्यूनिटी नूं। पर अे तां मन्नू साढ़ी दात्री अस्सी मनु दे सेवये, मन्नू ज्यों–ज्यों वणदा अस्सी दूणं सवाये होये। एक समय था जब मुगल साम्राज्य था उस वक्त, उस वक्त वी कह रहे सी सिक्ख मुक गये ने। पर उस टैम ओ कहदें जी अपना सिक्खां दा सिक्ख खत्म हो चुके ने मुगल साम्राज्य दे टैम विच। पर उस टैम ए दो सिक्खस जिंदा सीगे। ए अपना गरजा सिंह ते बोता सिंह। ते ओ जो कहन्दे भई ऐ सिक्ख उन्हांने केया जे ए गल्ल है ते सरकार नू अस्सी जगा देने आं भई दो ही सिक्ख रह गये ने। भई उन्हांनू जाके अपना नाका लगा ता। उत्थे कर मंगना शुरू कर ता। भई ए ते खालसे दा राज चल रेया ए मतलब अजे खालसा मुक्केया नहीं है। ते उन्हांने अपना उत्थे अहसास कराया भई सिक्ख मुक्केया नहीं हेगा। पर इन्हां नस्लकुशी करन दी कोशिश कीती ताकि सिक्खां नू नस्लकुशी कर दीत्ती जाये ताकि हिन्दुस्तान चों की पूरे देश चों अपना सिक्खां दा अपना खत्म हो जाये क्योंकि सिक्ख दी चढ़दी कला जेड़ी है क्योंकि कुर्बानी दे विच ले लो पावें, किसे पासे वी ले लो। हर पासे

अग्गे होके सेवा करन भावना च हर पास्से अग्गे प्यार रहन्दा है। तो ए नस्लकुशी सी। सबनू कत्ल करन दा, घरां नू लुट्टन दा, बलत्कारां दा ते कत्लेआम विच वर्तेया जाण वाला सामान मिट्टी दा तेल, पैट्रोल, चिट्टा पाउडर, गलां च टायर, हत्थां च लौहे दे सरिये आज सब कुछ ईक्को जेहे ही सी। अचानक कित्थों आ गये। सब प्री–प्लान था ये। ये पूरा इंतजाम किया गया था पहले ही कि क्या करना है इनके साथ। तो ये एक सोची समझी पूरी साजिश थी। इसके, इसतों बाद ईक–ईक करके लगबग ईक दर्जन जाँच कमीशन वी बिठाये गये। कोई इंसाफ नहीं मिलेयाँ आपां सारे जानदे आं दिल्ली विच ए केन दी लोण नहीं है। ए चौरासी इन्ना पुराना ना–इंसाफ हो गया कि सानूं इंसाफ ता मिले पर हर बच्चे–बच्चे नूं पता है अज सिक्ख दी नवीं जनरेशन जेड़ी आयी है उन्नू वी पता है कि चुरासी की एँ भई सानूं इंसाफ नहीं मिलेया और ए जद तक इंसाफ मिलदा नहीं ऐ एदां ही चलदा रेणां एँ क्योंकि अगर गल्ल करिए साढ़ी हिस्ट्री अे हिस्ट्री पढ़ोगे त्वानूं पता लग जाये कि बई इन्हांने इंसाफ लेणां ही लेणां है। ऐ पावें देण ना देण। आज पावें मोदी जी बड़े अपना टेलीविजन देख के कह रहे हैं कि चार साल बाद अगर बीजेपी की सरकार ने जो अपना इंसाफ दिलाया इसका मतलब हमारे कोर्ट प्रणाली सब छोटी हो गई, सरकारें बड़ी हो गयीं। सरकारां वड्डिया हो गईयां। मतलब आप बयान दे रहे हो, आपको पहले दर्द क्यों नहीं आ गया, पहले दर्द आना चाहिए था ना। जब एसआईटी दिल्ली सरकार ने बनायी तो उस वक्त आपको लगा भई अब तो इसमें सारे सबके भंड़े फोड़ेंगे। क्योंकि सब इसमें कोई कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी उसमें कांग्रेस वाले तो थे गुंडे उनके पर जो बीजेपी के लोग

भी थे, वो भी इन्वोल्व थे इसमें। ये ही नहीं, हम सकते कि बीजेपी भी कहे क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सिक्ख हिस्ट्री को भी खत्म करना चाहते हैं आरएसएस वाले। मैं आगे चलकर बात करूँगा पहले मैं आगे की अपनी जो पहले की बात रखता हूँ। जदों वीं चौड़ां दीयां, जब भी कोई अपना चौरासी को ऐसे इस्तेमाल किया गया चाहे वो अपना राजनीति की बात आ जाती है तो राजनीति में खूब बीजेपी वालों ने, अकाली दल बादल वालों ने खूब इसका फायदा उठाया, इनकी भावनाओं से खेला। तो बड़े दुःख की बात है कि ये जब भी ये एक वरदान साबित हुआ राजनीति के लिए, ये कत्लेआम जो, ये जो गोदरा कांड़ भी ये अपना राजनीति के लिए हुआ। वोटस के लिए हुआ। खूब इस्तेमाल किया इसका। सिक्ख परावां नाल चूठ्ठे, कोरे वायदे करके खिलवाड़ कीत्ता गया। ते चौवां तो बाद 1984 सिक्ख कत्लेआम दा मुद्दा ठंड़े बस्ते च पाता। जब भी ए इलैक्शन हुआ, इलैक्शन हो गया उसतों बाद राजनीति अपना 84 दा मुद्दा खत्म।

बैठे हैं, सिरसा साहब सामने बैठे हैं, सिरसा साहब अच्छी तरह जानते हैं ये। इस दौरान कांग्रेस सरकार तों अलावा बीजेपी दी वाजपेयी सरकार ने वी, जिस विच शिरोमणीं कमिटी अकाली दल बादल दे वर्तमान प्रधान सुखबीर सिंह बादल मंत्री रहे जो जब वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ये आज बात कर रहे हैं। तो पहले कहाँ थे।

श्री सौरभ भारद्वाजः 1998 से 2004।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः हाँ 2004 तक पहले कहाँ थे। उस टाइम सुखबीर सिंह बादल था। ये सिर्फ पिठ्ठू बनके रह गये हैं इनके। इनके

पास कुछ नहीं है। और ये तो वो है कि पंजाबी च कहदें आ सप दे मुंह विच कोर्टकीरली। ना ए झड सकदे आ, ना ए मर सकदे आ। जे झडदे तां वीं मरदे आ, जे नहीं झडदे तां वीं मरदे आ। इन्हांदा ओ हिसाब बनेया होया इस टाईम। ते 1984 दे जेड़े पीड़तां दां कोई इंसाफ नहीं मिलेया, ते ना कोई दोषी जेल गया। चलो, देर नाल ही सही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ईसच दखल तां दित्ता। सिक्खां नूं ईंसाफ दी कुज आस बधी। अखीर चौंती वरेयाँ दे लंबे समय, इंतजार उत्ते लम्बी लड़ाई मगरों दिल्ली हाई कोर्ट दे मानद जज साहब ने जो अपना कांग्रेस दा नेता सज्जन कुमार औनू अपनां उम्र कैद दी सजा लई सजा सुनाई पर बड़ा दुःख है कि जिनां दे बच्चे गये जे मैं ओ केस सुनदां ते बैराग आ जांदा है जेड़ी सुखराज कौर जिदे चार भैणां सी, इक औदा भरा सी गा ते नंद नगरी दे विच औने अपनां जाके सामने थाणा सी गा, थाणे औदो हो के गया मुण्डा कि मेरे घर भीड़ आ गयी है, पब्लिक इकट्ठी हो के आ गयी है भई तुस्सी अपनां जाके ते फटाफट औनां नूं बचाओ मेरे परिवार नूं बचाओ। औदा ताया सी गा औथे, ते नाल ही औदा पिता सी गा औथे ते ओ भैणा सी नाल अंदर चार। औनां ने की कित्ता अपने बच्चयाँ नूं ते अंदर बंद कर दित्ता, भीड़ आ गयी घर, पर जेड़ा पुलिस दे कौल गया सी गा ते औनूं औनां ने कहा मेरे घर चलो, मेरे भीड़ आ गयी, बचाओ, अब अपने प्रशासन से, अपने जो हमारी हिफाजत करती है दिल्ली पुलिस, उसी के पास जाणा सी गा, ते औदे कौल गये ते औने कहा, ''चल भाग जा।'' औनूं भजा दित्ता और उदे जब जा रहा था वापिस घर को तो पीछे से उसको उसी इंस्पेक्टर ने गोली मार दी, वहीं पे मार दिया उसको। और वो उसकी सिस्टर छत पे खड़ी

हो के देख रही सामने थाना था। तो अब हिसाब लगाओ कि वो क्या माहौल होगा और उसके जब ताया, ताई ने अपनां ताया और उसके फादर ने उनको अंदर बंद कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः कंप्लीट कीजिए।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः प्लीज, थोड़ा सा तो मौका मिला है। तो उसके बाद अपणा वो परिवार में जितना जोश था उनके पास, लड़े वो दोनों, अपना ताया और उसके पिता जी, और अंदर बच्चियाँ बंद थी उनको तो मार दिया वहीं पे। तो ये एक उनके परिवार कैसे उसने पाला, उसने अपनी जो सी एक 12 या 10 साल की बच्ची वो मां बन के उसने तीन बेटियों को उसने पाला अपनी सिस्टर को पाला। तो आज वो काफी अच्छे ओहदे पर हैं और अच्छे परिवार से हैं सारे वो लोग। तो कहने का भाव अगर जब इंसान ये जो सरकारें होती हैं, इन सरकारों से ये आस्था होती है कि हमारा ये अच्छी तरह पालन पोषण करें, हमारी सुरक्षा करें, सरकार इसलिए होती हैं क्योंकि ये मंदिर है, लोकसभा जो है या विधान सभा जो है, ये हमारा मंदिर है तो इस मंदिर से लोगों को आसें होती हैं। पर जब सरकार सरकार ही ऐसी बन जाएगी तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? तो ये कांग्रेस ने जो ये किया और इसमें अगर बीजेपी वाले कहें कि हम बिल्कुल फ्री हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है तो ये भूल कर रहे हैं। इंसाफ तो मिलेगा। अब कांग्रेस जिसने जुल्म किया था उस वक्त की हुकूमत ने, आज वो जीरो है दिल्ली के अंदर, जीरो। तो ये आने वाला समय ही बताएगा जो सरकारें इंसाफ नहीं करती, अगर आडवाणी जी ने अगर उकसाया था इंदिरा जी को कि आप अटैक करो, मैं आपके साथ हूँ तो आज वो कहाँ खड़े हुए

हैं? आज कहाँ खड़े हुए हैं, आज वो मैं पंजाबी विच मैं इक गल कह दां धोबी दा कुत्ता न घर दा न घाट दा। पंजाबी विच न कहनां होए तुहानुं दस्स दां। मतलब कि वो हाल होता है जो क्योंकि ये कर तो लेते हैं, वो कहते हैं न, 'लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।' ये कलंक तो देश पे चलता ही रहेगा अब। जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और इंसाफ तो लेना है, इंसाफ हम नहीं लेंगे हमारे बच्चे आएँगे, आगे आएँगी, जनरेशन नई आएगी, उनको जो इतिहास है वो पढ़ते रहेंगे। क्योंकि हमारी हिस्टरी है मैं आपको बताता हूँ। अब ये बैठे हैं, बादल दल के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना सामने कत्लेआम किया, इन्होंने तो सामने कत्लेआम मैं वो भी बात करूंगा। इन्होंने तो सामने कत्लेआम किया पर जो बीजेपी है, वो अंदर से सिक्ख हिस्टरी को खत्म करना चाहती है आरएसएस मिल के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो इनकी सोच गलत है। सच तो सच होता है और कि सच रहे। इन्होंने क्योंकि मैं इनको कहूँगा ये कौम के अंदर हर कौम के अंदर गद्दार होते हैं। मैं तो गद्दार बोलूंगा, इनके बादल साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे शिरोमणि अकाली दल बादल के बड़े–बड़े नेता बैठे हुए हैं वहाँ पे और सुषमा स्वराज कहती है, सुषमा स्वराज बोल रही है वहाँ पे कि चंदू का तो कोई दोष ही नहीं था। मतलब हिस्टरी को पलट के रख दिया इनके सामने। ये अकाली दल बादल वालों ने और ये उनके पिट्ठू बने हुए हैं और वो मुझे बड़े दुःख की बात है मेरे लिए कि आज दिल्ली सिक्खों का प्रबंधक कमिटी का जब इन्होंने सवाल उठाया अपना सौरभ जी ने, बोला कि ये क्योंकि जहाँ से लोगों की आस्था होती है लोग एक एक पैसा करके वहाँ पे देते हैं, मैं सौरभ जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं

सिरसा जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि ये अपना वहाँ के सैक्रेटरी हैं, मुझे ये सवाल नहीं आना चाहिए था क्योंकि इनकी कमिटी है वहाँ पे, ये पूरे साथ में इनके प्रधान साहब और अपना सिरसा साहब, मुझे फील होता है इस चीज का कि ये जो गुरूद्वारे होते हैं, यहाँ से लोगों की आस्था होती है बड़ी सेवा भावना वाला सारा भाव होता है, वो कैसे उसको लूटा गया, अब ये तो जगजाहिर हो गया जब कोर्ट के अंदर बात आ गयी तो वो उसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः कालका साहब, कन्क्लूड कीजिए।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः तो मैं ये चाहूँगा कि अगर नरेन्द्र मोदी जी ने अभी ये टीवी चैनल पर प्रोग्राम के दौरान कहा कि चार साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, चार साल पहले, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1984 के सिक्ख कत्लेआम के दोषी कांग्रेसी नेताओं को सजा मिलेगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। मैं अवतार सिंह कालकाजी दिल्ली विधान सभा की चर्चा करदे होआं आज मानयोग मोदी जी नूं मैं विनती करना चाहदां हाँ, कि ए बयाँ ते तुस्सी अपनी सरकार दी पिठ ठोक थपथपान लईं दे दित्ता क्योंकि आगे वो चुनाव आ रहा है न उसकी वजह से इन्होंने अपना बयान दे दिया कि चार साल में किसी ने सोचा भी न होगा। हमने तो सोचा नहीं, हम तो सदियों तक ही सोचेंगे कि इंसाफ मिलेगा, आपने नहीं सोचा तो बात अलग है। अगर ये सिक्खों से इतनी हमदर्दी रखते हैं तो कृपया करके 1984 के सिक्ख कत्लेआम संबंधित सिक्खां दे अनगिणत ते अनमूल्य इनां सवालां दे जवाब देन दी खेंचल करन क्योंकि तुहाडे कौल सारी सरकारी

मशीनरी है, सारा तामझाम आपके पास है। तुस्सी केवल आदेश ही करने ने, तुस्सी सिर्फ हुक्म करो, सब कुछ सामने दूध दा दूध पानी दा पानी हो जायेगा, अगर तुस्सी चाहंदे हो, तुस्सी चाहे बहुत सच्चे हो, तुस्सी बड़ा प्यार करदे हो। ए सानूं नजर आंदा है कि पंजाब दे विच मैं कहदां कि अगर कोई पंजाब विच गया जिस धर्म दा धर्मोवारक है, अस्सी जाके उनां दे सिर ते पग रख देईये, औ पता लग नहीं पायाँ पंजाबी विच कहंदे चौन्या द पिंड तराली तो पता लग जांदा है पंजाबी विच कहंदे ने। जहाँ चावल होते हैं न, उसकी पराली पड़ी होती है। जहाँ पे चावल लगने होते हैं, पता लग जाता है गाँव में। पता लग जाता है दूर से ही। ते पता लग रहा है कि ओदे उत्ते अपना बादल साहब साडे पग रख देनगे सिर ते। उन्होंने पगड़ी रखी, उन्होंने ऐसे मुंह घुमाया, ऐसे उठा के रख दी पीछे। यहाँ से पता लगता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। बड़ा मान करदे सी गे कि हुण साडी मोदी सरकार आ गयी है, पंजाब विच फिरदे ओ ट्रक भर भर के, ओ माया लै के जावांगे उत्थे असी पंजाब दे अंदर। क्या किया सिर्फ और सिर्फ उनके पिट्ठू बनके रह गए और कुछ नहीं। बड़ी शर्म की बात है ये क्योंकि कौम कभी माफ नहीं करती जो उन्होंने किया है वो सामने आयेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो सवाल हैं हमारे कि 1984 दे सिर्फ दिल्ली विच लगभग पाँच हजार कत्ल होए, सिखां दी लाशां कित्थे गईयाँ? वो लाशें कहाँ हैं? आप बता दो। इनां लाशां नूं कटठा किवें कित्ता गया, ते ए लाशां केड़े केड़े मुर्दाघरां विच रखी गईयां, जो लोग कत्लेआम हुए थे वो कित्थे कित्थे, केड़े केड़े मुर्दाघर विच लाशां रखी गईयाँ? मोदी जी, तुहाडी सरकार है। अगर आप चाहें तो ये बताएँ न, इमिडिएट बता सकते हैं ये। इनां लाशां

दा संस्कार कदो, कित्थे कित्ता गया? इनां लाशां दा संस्कार करन मर्यादा नाल कित्ता गया जो सिक्खों की मर्यादा है उससे किया गया उनका संस्कार, जो अगर किया गया है तो वो कौन से, कौन से ग्रंथी थे जिनको आपने बुलाया गया था वहाँ पे, जिन्होंने अरदास की होगी उनकी? जो अगर सिक्ख मर्यादा अनुसार किता तां कि इनां लाशां दा संस्कार कठे रख के किता, भई इकट्ठे करके आपने कर दिए सारे एक जगह डाल दी सारी लाशें, कैसे हुआ? और कफन कितना डाला गया उनके ऊपर? बड़ा दुखदायी है ये और कितनी सामग्री लगी, क्या सरकार की तरफ से किया गया या लोगों ने दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया या सेंटर सरकार की तरफ से किया गया? इनां लाशां दा संस्कार करन लई केड़े केड़े लोकां दी डयूटी लगाई गयी ते औ लोक कौन सी? इनां लाशां दा संस्कार करन समय फोटो वी खिची गयी होणियां, फोटुआ कित्थे नें? हमें पता तो लगे कि कितने लोग मरे हैं, कहाँ है वो लोग, उनकी फोटो तस्वीरें होंगी? इनां लाशां दां संस्कार करन तो पहलां केड़ी–केड़ी कानूनी प्रक्रिया की गयी, कौन सी कानूनी प्रक्रिया हुई थी वहाँ पे? और केड़े–केड़े पुलिस अफसरां दे दस्ख्तां नाल ए लाशां दा संस्कार किता गया, उनका हिसाब दे दो मोदी जी? अगर आप हमदर्दी रखते हैं इतनी कि चार साल आपके पास अभी तो टाईम है, आप कुछ भी कर सकते हो। जब ईवीएम मशीन में सब कुछ हो सकता है तो इधर भी सब कुछ हो सकता है, इमिडिएट हो सकता है। मानजोग मोदी जी, सिक्ख जगत दे सवालां दे जवाब मंगदा हाँ जे अगर तुस्सी सचमुच 1984 दे सिक्ख कत्लेआम दे कातिलां नूं सजा दिवान दे हक विच हो या सिक्ख कौम दी नाल तुहाडी सच्ची हमदर्दी है ते इनां सवालां दे जवाब जल्दी तो जल्दी देओ

नहीं ता सयासी रोटियाँ सेकनियाँ जेड़ियाँ बंद करो, एतो गुरेज करो क्योंकि जाने वाले तो चले गये क्योंकि ऐसा है स्पीकर साहब, मरना तो है, मरता मरता जग मुआ, मर्म भी ना जाने कोय, ऐसी मरनी जे मरे बहोर ना मरना होय। हम ऐसी मरनी मरना चाहते हैं, ऐसे नहीं, किसी के हाथ से मरना चाहते हैं, लड़ के मरना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं, सेवा करते हुए मरना चाहते हैं। ऐसा मरना भी मुझे कबूल नहीं है। ऐसे कत्लेआम, जो सरकारें... एक देश के ऊपर कलंक लगता है। हम चाहते हैं कि हम किसी की धी बैन की रक्षा करते हुए मरें, देश के लिए लड़ते हुए मरें, किसी के लिए... मेरा नेचर भी है अगर हम आधी रात को रस्ते में आ रहे हैं... ये नहीं कि हम सिक्ख हैं, हम फलानां ये फलानां है क्योंकि गुरबानी में कहते हैं ना, 'को वैरी नहीं बेगाना, सगल संगम को बनाई। हमारा सबसे प्यार है। हमें तो पता ही नहीं होता क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो प्यार करते हैं, न वो डरते नहीं हैं, जो डरते हैं, वो प्यार करते नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश ऋषि जी।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः और इनको डर लगता है, ये अंदर से डरते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप का नाम सबसे पहले लिया था, आप थे नहीं।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः क्योंकि सिक्ख जो...

माननीय अध्यक्ष महोदयाः सर, कंपलीट कीजिये और भी लोग हैं।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः ये अपने जो फर्ज हैं न हमारे, उनको अच्छी तरह पहचानते हैं कि अपने देश के लिए... क्योंकि जब सिक्ख पैदा होता है ना, तो सबसे पहले जब अरदास होती है, उसमें आता है, देश का उनको सेवादार बनाना। पहले देश का नाम आता है फिर अपनी कौम का नाम आता है। तो ये हमारे गुरू गोविंद सिंह जी ने जो हमें सिखाया है जो हमारे अंदर गुडती डाली हुई है अगर ये पगड़ी होगी ना, तो समझो वहाँ पर अपने आप संस्कार आ जाएँगे। अगर पगड़ी नहीं है सर पर तो फिर मैं... मुझे सौ बार सोचना पड़ेगा, मैं यहाँ से... अगर जुल्म हो रहा है तो मैं निकल गया तो मुझे मेरे लिए मुझे ये दुःख देगा कि मुझे यहाँ पर खड़े होकर के इसके साथ हेल्प करनी चाहिए थी। तो ऐसी सोच होनी चाहिए हमारे पूरे देश वासियों की। खालसा पंथ जुल्म के खिलाफ पैदा हुआ था और खालसा पंथ के साथ ही अब सिक्खों के सहारे तो अपना हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं पर जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग भी होते हैं, उनकी भी बात चलती है, साथ के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगा माननीय स्पीकर साहब, मैं अपनी चर्चा नू खत्म करदां हैं ते कहना चाहदा हैं कि दिल्ली सरकार कौल 1984 सिक्ख कत्लेआम दा जो संबंधित जितना भी सरकारी रिकॉर्ड है, ओ देन दी क पालता करन ताकि जो कातिल ने ओनांनू वाद तो वाद सजा दिति जा सके जो भी सबूत हमारे पास पड़े हैं, वो दिये जायें ताकि उन्हांनू अपना कातिंला तक पहुंचाया ओने सजा देन वास्ते, ओनांनू पहुंचाया जाये क्योंकि कांग्रेसी... अभी जगदीश टाइटलर जो जगदीश टाइटलर हैं, मुख्यमंत्री बन कर वो अपना हमारे अपना क्या कहते हैं ये

कमलदास जी जो अभी मौज कर रहे हैं, कमलनाथ जी, सौरी तो ये कमलनाथ जी और ये हमार प्रधानमंत्री जी को है कि अभी लगता है तो इमीजीयेट आप एक्शन लें ना। आप कहिये उनको भी इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते अगर जब बात आ रही है, सामने सब कुछ हुआ है और सारा सबूत हैं टीवी में एक नोन सिक्खों को देख रहा था वो भी अपना बता रहा था इन्होंने क्या किया था। तो सारी ये बातें सामने हैं। अगर सरकारें चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है।

मैं तो दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसी सरकार आई, हमारे पास ऐसा विकल्प आया। एक तो गुण्डों की सरकार, एक आरएसएस की सरकार जो अंदर ही अंदर खत्म करना चाहती है, हमारे को तो ये अगर ये सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने आते ही इनको पता लग गया था कि एसआईटी की जो हमने टीम बना दी है, जो अपना कमिटी बनाई है, इनको पता था कि इसमें अगर कांग्रेस के साथ में आयेंगे तो बीजेपी के भी साथ में रगड़े जाएँगे और केजरीवाल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये क्योंकि ये मोहमाया से ऊपर उठकर केजरीवाल जी आये हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी भी त्याग दी। इसके लिए मैं एक कहना चाहूँगा कि जो बंदा इंसानियत के लिए... क्योंकि राजनीति है ना तो राजनीति के हिसाब से बात होगी, अगर मानवता के अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर दी गल होयेगी। जे अंदर दी गल करांगें, असी जो सानू पता है कि जैसा असी की काम करदें हाँ, प्रति कि प्यार करदे हाँ अगर जे मानवता दे पले दी गल कर रहे हाँ, मानवता नू... राजनीति ते होनी है जब राजनीति में बैठे हैं तो अगर ये ऐसा काम अच्छा कर रहे हैं पब्लिक के लिए अगर

एसआईटी बना रहे थे, इन्होंने आते ही एसआईटी बना दी इन्होंने। इनको लग गया कि अब तो ये तो काम खराब हो जायेगा तो जो मोह–माया से उठ के, नौकरी त्याग कर आये हैं तो उनको गुरूनानक साहब भी आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं, 'नमस्कार, आप मुकत मुकत करें संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार।' जो अच्छे काम करता है, उसको भगवान भी नमस्कार करता है और आने वाला समय उन्हीं का होगा जो क्योंकि राज धर्मों से नहीं चलता, राज अपने कर्मों से धर्म चलता है। अपना कर्म अच्छा होगा तो धर्म अच्छा होगा। ये धर्म की बात करते हैं ना, अगर ये धर्म की बात करते हैं बीजेपी वाले, अगर ये राम जी की बात करते हैं, मैं एक बात करता हूँ कि राम जी एक हुए हैं मर्यादा पुरषोतम जी। ये अपने प्रोटोकाल में नहीं रहते। अगर बात करें, बहुत सारी बातें हैं... मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूँगा।

सिग्नेचर पुल के ऊपर जाकर अपनी मार्यादा को तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, राम जी ने मार्यादा सिखाई थी। हमारे को मर्यादा में आने के लिए कहा था। हम तो मर्यादा ही भूल गये। हम तो मर्यादा ही भूल गये। आप जाकर स्टेज के ऊपर खड़े हो गये साथ में। कहाँ है आपकी मार्यादा! आप जिम्मेदार लोग हो। आप प्रधानमंत्री हो तो आपको भी अपना मर्यादा में रहकर करना चाहिए सब कुछ। तो ये बड़े दुःख की बात है कि आज इस विषय के ऊपर हमारी ये अपनी बात हो रही है अगर ये अडवाणी जी उस वक्त ना उकसाते उनको, अपना इंदिरा जी को तो मेरा ख्याल है ये न ब्लूस्टार होता, न वो हमारे वहाँ पर अपना हमारी 15 हजार के करीब फौज मारी गई, वो न मारी जाती, न बेअंत सिंह, सतवंत सिंह को फांसी लगती ना

अपना कोई ऐसा माहौल बनता देश के अंदर और न 2002 गोधरा कांड होता अगर 84 के सिक्खों का अपना कत्लेआम पर अगर सजा मिल गई होती तो अपना वो कह रहे थे ना, अपना अमानतुल्ला जी वो बात बिल्कुल सही कह रहे थे। तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि आगे आने वाला कोई नेता वहाँ पर कोई ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति करता लोगों की। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः चलिए धन्यवाद।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः जिंदगी को जीने के लिए... मैं दिल्ली सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने कहा है यहाँ पर, अगर कोई सबूत हैं हमारे पास, तो हू–ब–हू ही हमारे को दिये जायें ताकि हम आगे उनको देकर क्योंकि वो कोई न कोई रिकॉर्ड तो जरूर होंगे ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयाः चलिए, कालका जी।

श्री अवतार सिंह कालकाजीः हाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की है ना अपना प्रधानमंत्री जी से, मोदी से अगर आप हमदर्दी रखते हैं तो आप प्लीज हमारे को सारे रिकॉर्ड दें और हमारे को भी तसल्ली होगी। हमारे इतने लोग मरे थे, हम उनकी एक अंतिम अखंड पाठ साहब रख के उसका समाप्ति करें, उसको ये देश के ऊपर एक कलंक लगा था, ये लगा रहना है कि ऐसा कत्लेआम हुआ था तो ये आगे नहीं होना चाहिए, ऐसी सरकारें नहीं आनी चाहिये। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, तुसी बहोत अच्छा समय दिता मन्नूं बोलन दां, धनवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदयाः राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः स्पीकर महोदया, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री राजेश ऋषिः महोदया, मैं बताना चाहता हूँ अभी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयाः सोमनाथ जी, एक मिनट बैठिए, मैं जवाब देती हूँ। मैं जवाब देती हूँ, एक मिनट। एक बार में अगर एक ही व्यक्ति बोले तो समझ आता है, आपको मना तो नहीं करा, चर्चा में भाग लेने के लिए आप बैठिए, आपको टाइम देंगे। बात खत्म...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयाः बहुत सारे लोग...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयाः बहुत सारे... सोमनाथ जी, बैठिए दो मिनट। भारती जी, बैठिए दो मिनट।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्षा जी, सौरभ भाई ने अभी जो 84 दंगों पर चर्चा पर शुरूआत की है, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए...

माननीय अध्यक्ष महोदयाः आप दो मिनट बैठ जाइए जी।

श्री राजेश ऋषिः मैं उसी चर्चा को आगे बढाते हुए आगे बात करना चाहता हूँ। अभी कालका जी बोल रहे थे खालसा पंथ के बारे में। हमें पहले

ये देखना चाहिए कि सिक्ख समुदाय कहाँ से पैदा हुआ? ये इतिहास बहुत लंबा है। सिक्खों ने कितनी देश के लिए कुर्बानियाँ दीं, जब देश के ऊपर मुगलों का... मंगोलियों का देश के ऊपर अटैक होता था तो हमारे देश के मर्दों को मारकर वो महिलाओं को उठाकर ले जाते थे। उसी को देखते हुए गुरू नानक देव जी ने हर हिंदू घर से उसके बड़े लड़के को दान के स्वरूप लिया और उन्होंने एक फौज बनाई जिसको पंथ खालसा पंथ नाम दिया। ये गुरू गोविंद सिंह जी तो बाद में आये थे, उससे पहले गुरू नानक जी की फौज थी। ये उसके बाद ये फौज अपने हिंदू भाइयों को ही बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए कार्य करती रही। अपने छोटे छोटे प्रदेशों को... धीरे धीरे ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। गुरू गोविंद सिंह जी आये। उन्होंने इनमें चिन्ह दिया। उन्होंने जो हमारे पाँच दिये गये, उनको मेरे को पूरा ध्यान नहीं है अभी – पगड़ी, कंघा ये सब दिये उन्होंने निशान दिये उसके बाद पंच प्यारे उन्होंने बनाये थे। ये कड़ा, ये दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 84 का आज हम चर्चा कर रहे हैं 31 अक्तूबर 1984, ये देश के अंदर एक काला इतिहास बन के आया हमारा। इंदिरा जी की हत्या हुई थी उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, इसकी पूरी कहानी 31 तारीख को बैठकर बनाई गई। उस समय हमारे यहाँ एच. के.एल. भगत जी थे, हमारे यहाँ जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, ये तीन ऐसे भाख्स थे जो कांग्रेस के पिल्लर माने जाते थे, उन लोगों ने बैठकर मीटिंग की और डिसाइड किया कि किस तरीके से कत्लेआम को अंजाम दिया जाए। ...(व्यवधान) आप ही के थे सर। ...(व्यवधान) कांग्रेस के ये तीनों दिग्गज जिन्होंने इस हालात को पैदा किया और उन्होंने इस कत्लेआम को

पूरा प्लान किया, कुछ लोग बाहर से बुलाए गएँ, कुछ लोग वहाँ से खड़े किए गए। इनको हथियार दिए गए। खुलेआम तेल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यमुना पार हुआ, राजनगर के पास हुआ। हमारे सागरपुर में हुआ। जनकपुरी के आसपास के क्षेत्रों में कत्लेआम डटकर हुआ। जो सरकारी आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ये बहुत कम है। वाकई कालका जी सही कह रहे हैं कि लगभग 5 हजार के आसपास ये कत्लेआम हुआ। पूरे देश के अंदर कत्लेआम हुआ था लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। इस कत्लेआम के अंदर बच्चों को मारा गया।

सिक्खों को पकड़कर सड़क के ऊपर उनके बाल खोलकर के, केश खोलकर आपस में बांध दिए गए। जलते हुए टायर उनके गलों में डाल दिए गए और तड़पा–तड़पा कर मारा गया और सब लोग खड़े देखते रहे। मानवता की हत्या हुई। इंसानियत की हत्या हुई। और देश के अंदर ऐसा कत्लेआम जो खुले आम रोड पर हुआ, ये आगे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सबको वचनबद्ध होना चाहिए। राजनीति इतनी गिर जाएगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। देश के अंदर शासन करने वाला और देश के अंदर सुरक्षा करने वाली पुलिस, आर्मी ये सब कहाँ चली गई उस समय पुलिस वाले थाने में बैठे थे और खुलेआम इसको इल्जाम दे रहे थे कि कत्लेआम होने दो। ऐसा देश के इतिहास के अंदर जो हुआ है कि ये दोहरायें नहीं, इसके लिए हम सब आज इस पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इसके बारे में हमें बहुत सोचना चाहिए, क्या इंसानियत इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझेगी? अरे दो आदमियों ने गलती करी, उसकी सजा पूरी कौम क्यों भुगते? ये सोच का विषय है। इसके लिए मानवता से ऊपर उठकर लोगों को काम करना चाहिए था।

सिख वो समुदाय है जिसने देश की आजादी में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश की सुरक्षा में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और तो और आप गुरूद्वारों में चले जाओ, जहाँ हर भूखे इंसान को खाना मिलता है, आप कहीं भी, किसी भी संस्थान में चले जाओगे, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, जो यहाँ मिलता है। ये समुदाय हर किसी की सुरक्षा के लिए खड़ा है। हर किसी के बढ़ावे के लिए खड़ा है और हर किसी का पेट भरने के लिए खड़ा है। इसलिए इस समुदाय को तो पूजा जाए, ये कम होगा। मेरा यही मानना है कि जिस तरीके से ये राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का प्रयोग करती हैं, आर्मी का प्रयोग करती हैं और खुलआम कत्लेआम करती है, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए।

जिस तरीके से आज हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, ये निर्णय बहुत पहले अगर आ जाता तो वाकई सही बात है कि आगे कोई कत्लेआम न होते। खुलेआम खड़ा करके फांसी दे दी गई होती सज्जन कुमार को अगर आज से 30 साल पहले तो इसके बाद जितने भी कत्लेआम हुए हैं, वो कत्लेआम न होते। हमारी न्याय प्रणाली बहुत ढीली है। इसको भी बहुत तेज करना पड़ेगा। क्योंकि निचली अदालतें पुलिस के कारण प्रभावित हो जाती हैं, कुछ पैसे के कारण प्रभावित हो जाती हैं और तो और कुछ रसूख के कारण प्रभावित हो जाती हैं। इस राजनीति को बदलने के लिए ही हम लोग आए हैं। हम चाहते है कि ऐसी हरकतें न हों।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जब कोई नेता खड़ा होकर अपने समुदाय की बड़ाई करे और दूसरे समुदाय को नीचा दिखाए, उस पर तत्काल

केस दर्ज किया जाए और उसे इमीडिऐट बंद किया जाए ताकि ऐसी भविष्य में गंदी हरकतें आगे न हों। क्योंकि ऐसे ही नेता खड़े होकर भड़काते हैं। कोई अपनी जाति के नाम पर भड़काता है, कोई हमें प्रदेश के नाम पर भड़काता है और इसी तरह से भड़काने से ही लोगों के बीच में आक्रोश पैदा करता है। तो इन चीजों को रोकने के लिए हम सबको इन सब चीज को देखना पड़ेगा। हमारी न्याय प्रणाली को देखना पड़ेगा क्योंकि स्थिति बिगड़ती चली जा रही है।

अभी आपने देखा कि 2002 के दंगे जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जैसे सौरभ भाई ने बताया कि 84 के दंगें हुए और 2010 के अंदर केस दर्ज हुए। इतना लम्बा समय क्यों लगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस भी मिली हुई थी। जब प्रशासन के साथ सुरक्षाकर्मी मिलकर काम करेंगे तो देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होगी ही होगी। इसको बदलना जरूरी है। क्योंकि हम लोग भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं। अगर हम भी खड़े होकर दूसरे समुदाय को गाली दें या कुछ करें, तो इसका मतलब हमें भी जेल में जाना चाहिए क्योंकि हम गलत काम कर रहे है। अब जैसै सौरभ भाई ने अभी बताया था कि मैं विदेश गया वहाँ पर जाकर, जो एक ब्राह्मण होने के नाते वो मुस्लिम से इतना ज्यादा नफरत कर रहा है। अरे! मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम का खून हरा है, क्या हिंदू का खून लाल है, क्या सिक्ख का खून नारंगी है? अरे! सबका खून लाल है भाई! फिर किस चीज के लिए लड़ाई? तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को इन चीजों पर ध्यान देते हुए अपना सबसे पहले न्याय प्रणाली को बदलना चाहिए। अगर हमें न्याय जल्दी मिला होता तो आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती।

84 के दंगों के बाद मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ ये 84 के दंगे हुए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कम्पलीट कर दें।

श्री राजेश ऋषिः मैं मुजफ्फरपुर में रहता था। मेरा घर मुजफ्फरपुर में है। मेरे यहाँ भी दो किराएदार सरदार थे। तो वो लोगों को मार न दें लोग, क्योंकि वहाँ भी बहुत हलचल मची थी, वहाँ पर तो पंजाबियों की दुकानों को ही लूटना शुरू कर दिया था। तो इस चलते हम उनको अपने घर में ले आए। मेरे घर के अंदर थे तो लोगों ने कहा अंदर हैं, अंदर हैं तो उन्होंने मेरे गेट पर आग लगाई, बहुत कुछ किया। लेकिन एसपी जो था वहाँ का, वो हमारा बहुत अच्छा मिलने वाला था, तो उसने इमीडिऐट फोर्स भेज दी तो बचाव हो गया, वर्ना हर जगह लूट की और तो और डकैती की, दुकानों में लूटने की बहुत घटनाएँ हुईं जो इतिहास में कहीं दिखती नहीं हैं। जो आज सिक्खों का दिखा रहे है कि ये सिक्खों का कत्लेआम, अरे! कत्लेआम तो हुआ हुआ, रेप भी हुएँ, उठाकर ले गए, और तो और उनकी प्रॉपर्टी को लूटा, करोड़ो रूपए लूटकर ले गए उनके। लेकिन ऊपरवाला बैठा है। जो ईमानदारी से काम करता है, वो फिर उसी तरह दुबारा से खड़े हो गए वो लोग, लेकिन इस तरीके से... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरे मित्र हैं राणा जी, मेरी ही जनकपुरी में रहते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि मैं एक बार कांग्रेस के स्टाल, इलेक्शन में उनके वहाँ बाहर बैठा था काउंटर पर, तो एक बच्चा मेरे पास, छोटी सी बच्ची

चलकर आई, वो मुझे बोलती है कि दारजी–दारजी तुहाडे घरों कोई 84 दंगया विच नहीं मरया सी। तो वो कहंदा बेटा क्यों? कहंदी है तुसी कांग्रेस दे काउंटर ते बैठे, जिनाने मारया साढया नूं। कहंदा मैं उसी वेल्ले खड़ा होया, उसी वेल्ले कांग्रेस छड़ी, ओदे बाद मैं दुबारा कांग्रेस दे काउंटर विच नहीं गया। तो ये टीस थी, इंसानियत की कि इंसान कांग्रसे के साथ आज भी जुड़े बैठे हैं सिख। उनको भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे को मरवाने वाली ही कांग्रेस थी। फिर भी पता नहीं क्यों... राजनीति इतनी बुरी है क्या!

सबसे बड़ी बात ये है कि ये 84 के दंगों का जो न्याय मिला, मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये बता रहे है कि किस तरीके से लोगों को जलाया गया। ये दैनिक जागरण अखबार ने छापा है, 'पैसे नहीं थे, पति, बेटे व भाइयों के शवों पर रजाई डालकर अंतिम संस्कार किया।' अब ये स्थिति थी उस समय की कि घर के दरवाजे तोड़–तोड़कर जलाकर लोगों ने अंतिम संस्कार किए। और तो और उन्होंने... बहुत कुछ छापा है कि आज राजनगर की हर गली में थे सिक्ख परिवार, अब नहीं रहे, अब रहे गिने चुनें। तो ये स्थिति है कि हर आदमी डरने लगा। एक इन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया। मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार में कानून बन रहा है लाचार। हमारे जब कानून ही लाचार हो जाएगा, हमारी कानून व्यवस्था इतनी ढीली हो जाएगी, हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली हो जाएगी तो ऐसे नरसंहार तो होंगे। जब राजनीति अपने को, अपने राजनीति के द्वारा अगर हम लोग, या हमारे ऊपर बैठे मोदी जी जैसी सरकार जिनकी पुलिस उनके साथ खड़ी होगी तो हमारे जैसे नेता तो पिटेंगे–पिटेंगे, केस भी होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो न्याय मिला, देर से मिला, लेकिन ये

न्याय अभी पूर्ण नहीं है। क्योंकि अभी जगदीश टाइटलर भी बाहर बैठा है और इसको फांसी भी लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर एक बार फांसी लगेगी तो दुबारा ऐसा इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। इस काले अध्याय पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ और 84 दंगा पीड़ितों में जो हमारे नरसंहार के अंदर जो सिक्ख हमारे शहीद हुए, मैं उनको शहीद का दर्जा इसलिए दूँगा क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपने लिए लड़ते चले गए, उनके लिए मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जय हिंद!

अध्यक्ष महोदया: ये चर्चा कल भी यूं ही जारी रहेगी और जो साथी आज चर्चा में भाग नहीं ले सके, वो कल भाग लेंगे। अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार 21 दिसम्बर, 2018 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 21 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...